C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXIII, Eleventh Session, 2017/1939 (Saka)
No. 17, Thursday, March 23, 2017/Chaitra 02, 1939 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCES BY THE SPEAKER	
Homage to Martyrs of freedom struggle and loss of lives in terrorist attack in London	10
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 301 to 303	11-45
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 304 to 320	46-99
Unstarred Question Nos. 3451 to 3680	100-579

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 580-583

COMMITTEE ON ESTIMATES
22nd Report 584

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Agitation by Anganwadi workers in many parts of the country including Karnataka due to reported move by the Union Government to reduce its share thereby affecting their salary and overburdening State Governments and also a need for increasing their honorarium 585-590

(ii) Re: Intrusion into fundamental rights of the citizens by the State machinery 599-601

(iii) Re: Problems being faced by jute industry 614-616

MATTERS UNDER RULE 377 622-646

(i) Need to implement Uniform Civil Code in the country

Shri Subhash Chandra Baheria 623

(ii) Need to formulate a scheme for supply of water in villages facing scarcity of water and also launch start-ups for power-generation through solid and liquid waste management in the country

Dr. Virendra Kumar 624

(iii) Need to accord approval to the proposal of Government of Maharashtra for development of airports in the State under Regional Connectivity Scheme

Shri Gopal Shetty 625

(iv) Regarding increasing use of Bitcoin currency

Dr. Kirit Somaiya 626

(v) Need to develop a tourist circuit of historical places associated with Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar in the country

Dr. Kirit P. Solanki 627

(vi) Regarding inclusion of Deoghar, Jharkhand, in Amritsar-Delhi-Kolkata Industrial Corridor

Shri Nishikant Dubey 628-629

(vii) Need to withdraw the notification regarding Eco-sensitive Zone in Karnataka

Shri Nalin Kumar Kateel 630

(viii) Need to raise more battalions of para-military forces in Jammu and Kashmir

Shri Jugal Kishore 631

(ix) Need to resolve the issues of land oustees of South Eastern Coal Fields Limited in Chhattisgarh

Dr. Banshilal Mahato 632

(x) Need to extend Chitrakoot - Kanpur Intercity Express Train upto Lucknow

Shri Bhairon Prasad Mishra 633

(xi) Need to declare Minimum Support Price for crops in Rajasthan

Shri Om Birla 634

(xii) Need to establish a Sainik School in Jalna parliamentary constituency, Maharashtra

Shri Raosaheb Patil Danve 635

(xiii) Need to amend the guidelines of Pradhan Mantri Awas Yojana

Col. Sona Ram Choudhary 636

(xiv) Need to provide BPL cards to all the eligible families in the country particularly in Tonk-Sawai Madhopur Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Sukhbir Singh Jaunapuria 637

(xv) Need to regularise the services of temporary employees of Central Cattle Breeding Farm and Department of Dairying and Fisheries, Andeshnagar in Lakhimpur Kheri district, Uttar Pradesh

Shrimati Rekha Verma 638

(xvi) Need to strictly implement the existing laws banning the sale of tobacco products to minors and smoking in public

Dr. Shashi Tharoor 639-40

(xvii) Regarding allocation of funds from the National Disaster Relief Fund to tackle drought in Kerala

Shri Mullappally Ramachandran 641

(xviii) Need to investigate into the death of a Lance Naik

Shri Kodikunnil Suresh 642

(xix) Need to establish Central Institute of Naturopathy and Yoga in Namakkal Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

Shri P.R. Sundaram 643

(xx) Need to continue Central Assistance for Area Development Programmes in Left Wing Extremism affected districts of Odisha

Dr. Prabhas Kumar Singh 644

(xxi) Need to lay railway line between Khamgaon and Jalna in Maharashtra

Shri Prataprao Jadhav 645

(xxii) Need to curb Caesarean deliveries in hospitals

Shri Jose K. Mani 646

CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS (AMENDMENT) BILL, 2017 647

Motion to Consider 647

Shri Thaawar Chand Gehlot 647-648
693-702
704-706

Shri Mallikarjun Kharge 649-655

Dr. Kirit P. Solanki 656-659

Shrimati Pratima Mondal 660-662

Dr. Kulamani Samal 663-664

Shri Vinayak Bhaurao Raut 665-666

Shri Vinod Kumar Sonkar 667-668

Dr. Ravindra Babu 669-671

Prof. A. S.R. Naik 672-674

Shri Rattan Lal Kataria 675-676

`

Shri Jitendra Chaudhury	677-678
Shri Charanjeet Singh Rori	679-680
Shri Virender Kashyap	681-682
Shri Kaushalendra Kumar	683
Shrimati Kamla Patle	684-685
Shri Dharam Vira Gandhi	686-687
Shri Y.V. Subba Reddy	688-689
Shri Rajesh Ranjan	690
Dr. Yashwant Singh	691-692
Clauses 2,3 and 1	707
Motion to Pass	707

MOTION RE: THIRTY-FIRST REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 708

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION

Steps to ensure welfare of employees provident fund pensioners 709

Shri Nishikant Dubey 709-729

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 730-742

Shri Ajay Misra Teni 743-751

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 752

Member-wise Index to Unstarred Questions 753-758

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 759

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 760-761

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, March 23, 2017/Chaitra 02, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

REFERENCES BY THE SPEAKER

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव हमारे देश को विदेशी शासन के बंधन से मुक्त कराने के लिए 23 मार्च, 1931 को शहीद हुए थे। इन शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति हमारे युवाओं एवं समस्त देश के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। इस अवसर पर हम शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरू और शहीद सुखदेव और उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर किए।

Hon. Members, as per reports, four persons have been killed and several others injured in a dastardly terrorist attack in London close to the British Parliament on March 22, 2017.

Condemning these heinous terrorist attacks, the House stands in solidarity with the Parliament, Government and the people of United Kingdom in this hour of crisis and supports the efforts of United Kingdom to bring to book the perpetrators of such terrorist violence.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of our freedom fighters and the departed.

11.03 hours

(The Members then stood in silence for a short while.)

11.04 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q.No.301, Shri Sunil Kumar Singh.

(Q. 301)

श्री सुनील कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत 2 अक्टूबर, 2014 को की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 5 साल में, 2019 तक भारत को खुले में शौच करने से मुक्त करना था। सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अच्छा काम किया है। अब तक निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य हुआ है। देश के लगभग 118 जिलों के एक लाख 74 हजार 242 गांवों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त कर लिया है। अगर हम इसका एचीवमैंट रेट देखें, तो जहां 2014-15 में 117 प्रतिशत लक्ष्य के हिसाब से था, वहीं 2016-17 में 123 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री तोमर जी और राज्य मंत्री सहित विभाग को धन्यवाद दूंगा। परन्तु एनवायरमैंटल निष्पादन सूचकांक में भारत अभी भी 163 देशों की सूची में 123वें स्थान पर है जो निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। अभी भी छ: राज्यों जैसे बिहार, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में 50 प्रतिशत से अधिक परिवार खुले में शौच जा रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा जिले में अब तक 18 पंचायतों के 101 गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। साथ ही मेरे द्वारा कानाचट्टी जो आदर्श ग्राम लिया गया है, वह पूरी तरह खुले में शौच जाने से मुक्त हो चुका है। लातेहार जिले में भी 115 पंचायतों में से 22 पंचायत इससे मुक्त हो चुके हैं जबकि मेरा क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित है और काफी गरीब क्षेत्र है। फिर भी गारू, महुआ डाड़ और चंदवा जैसे क्षेत्र इसी वित्तीय वर्ष में जून को इससे मुक्त हो जाएंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा सहित झारखंड राज्य के कितने गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं? ओडीएफ गांवों में, जैसे मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्रीय योजनाओं में प्राथमिकता देंगे, आप किस प्रकार की प्राथमिकता देंगे? साथ ही अभी तक 50 प्रतिशत से अधिक खुले में शौच जाने वाले जो छ: राज्य हैं, जिनमें झारखंड भी है, वहां 2014 के बाद कितने परिवार इससे मुक्त हुए हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको सैकंड सप्लीमैंट्री मिलेगी।

...(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार सिंह : क्या उन राज्यों के लिए कोई विशेष सहायता देंगे, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री रमेश जिगाजिनागि : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य के क्षेत्र चतरा में कुल 141 विलेज ओडीएफ हो गए हैं। पूरे चतरा क्षेत्र में 18 लाख 444 हाउसहोल्ड्स ओडीएफ हो गए हैं। चतरा क्षेत्र में 41 प्रतिशत ओडीएफ हो गया है।

माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के बारे में बताना चाहता हूं कि बिहार में वर्ष 2013 में 21.41 प्रतिशत था जो आज तक 27.71 प्रतिशत हो गया है। ओडिशा में 11.51 प्रतिशत था, अभी 40 प्रतिशत हो गया है। तेलंगाना में 25.83 प्रतिशत था, अभी 47.53 प्रतिशत हो गया है। आंध्र प्रदेश में 33.84 प्रतिशत था, अभी 51.75 प्रतिशत हो गया है। यूपी में 37 प्रतिशत था, अभी 47.34 प्रतिशत हो गया है। जम्मू-कश्मीर में 24.55 प्रतिशत था, अभी 36.66 प्रतिशत हो गया है। जिन क्षेत्रों ने अच्छा काम किया, सरकार की बहुत सी स्कीम्स हैं। वे स्कीम्स को यूज कर सकते हैं।

श्री सुनील कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदया, झारखंड राज्य का जो अति पिछड़ा क्षेत्र है, खासकर चतरा, लातेहार और पलामू जिलों में गांवों में परिवार काफी दूर-दूर तक बसते हैं। साथ ही यहां के जो छोटे-छोटे शहरी क्षेत्र हैं, नगरपालिका भी एक लाख से नीचे की है, उन्हें भी सीधे ओडीएफ के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं मिलती। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है कि पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के साथ-साथ शहरी मंत्रालय का भी समन्वय हो।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो 12 हजार रुपये प्रोत्साहन का देते हैं, उसके लिए बहुत सारी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। खासकर गरीब क्षेत्र और जहां शिक्षा की कमी है, वहां लोगों को कठिनाई होती है। क्या उन राज्यों के लिए कोई विशेष सहायता

12,000 रुपए कि प्रोत्साहन राशि तय की गई है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी शर्तों के सरलीकरण करने का कोई विचार है? साथ ही साथ छोटे शहरी क्षेत्रों में बसावटों की शहरी विकास मंत्रालय से कोआर्डिनेशन स्थापित करने की कोई योजना है तो बताएं?

SHRI RAMESH JIGAJINAGI: There is a coordination between the State Governments and the Central Government. दो या तीन महीने में बैठकर उस क्षेत्र की जो भी प्राब्लम हो, सॉल्व करते हैं।

माननीय सदस्य ने जो 12,000 रुपए की राशि देते हैं, उसके सरलीकरण के बारे में प्रश्न पूछा है। मेरा कहना है कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि मानिटरिंग प्राब्लम होती है। यह केंद्र सरकार के पास नहीं है,

राज्य सरकार इसे देखती है कि वे यूज करते हैं या नहीं करते हैं, बीच में कोई रुकावट न आए, इसके लिए मानिटरिंग करते हैं इसलिए यह नहीं हो सकता है।

PROF. K.V. THOMAS : Madam Speaker, the Swachh Bharat Mission – Gramin is a commendable project which is the continuation of the Nirmal Bharat Yojana of the UPA Government.

Kerala is one of the States where we are going to declare by December that Kerala will become 100 per cent Open Defecation Free State. One of the problems which we are facing is that from place to place the cost of construction of toilets differs. Now, the Government of India gives a fixed amount. That has to be changed because it differs from place to place.

Secondly, water should be available. So, a water supply scheme has to be implemented. So, all these schemes have to be implemented through the State Governments. Kerala has been provided with only Rs. 8.50 crore this year. Before that, in 2014-15 it was Rs. 33.97 crore. So, adequate financial assistance has to be given to that States like Kerala where we are going to implement it 100 per cent.

श्री रमेश जिगाजिनागि: केरल तो ओडीएफ डिक्लेयर हो गया है। देश में तीन राज्यों में केरल भी एक राज्य है जो पूरा ओडीएफ हो गया है। माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि 12,000 रुपए की राशि कम पड़ती है, यह राशि ज्यादा नहीं की जा सकती है।

SHRI BIJOY CHANDRA BARMAN : Respected Madam, thank you for allowing me to speak.

It is the need of the time that the Central Government should come forward to supplement the utmost effort put by our hon. Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee to mitigate the problems of tea garden workers and for the development of North Bengal, especially the hilly areas.

Vast areas of hilly region of North Bengal have been reeling under acute drinking water scarcity since long as a result of inaction by the earlier Left Front Government and a section of tea garden owners. These areas have large population

of tribal people and most of them are poor and work relentlessly to provide the morning tea to the nation.

HON. SPEAKER: Please put a short question.

SHRI BIJOY CHANDRA BARMAN : But drinking water shortage and arsenic contamination in ground water have made their already strenuous lives tougher. … (*Interruptions*)

I would like to know whether the Government is aware of the fact that vast hilly areas of the tea-producing belt of North Bengal, including my constituency Jalpaiguri, are facing shortage of drinking water and if so, the steps that have been taken under the Central schemes, if any. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only one supplementary question is allowed.

श्री रमेश जिगाजिनागि: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत लंबा प्रश्न पूछा है। उनके क्षेत्र में पानी की प्राब्लम है, हम इसको निपटा देंगे।...(व्यवधान) हमें हिंदी कम समझ में आती है, इसके लिए थोड़ी क्षमा करना।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : Madam, firstly, I would like to congratulate the Ministry on the Gramin Swachh Bharat Drive and its achievements so far. Under the Gramin Swachh Bharat Programme, individual household toilets are there of a particular design, which is little flexible. We also have the village solid and liquid waste management, under which there is a garbage dumb and a large septic tank to handle liquid and sewage. But in the same village, under the individual household toilets, it is mandated that they should have two leach pits. So, there is a redundancy here. Leach pits cannot be connected to the solid and liquid waste management. The Government is giving up to Rs.20 lakh. Hence, there is a gap in the policy. Is the Government considering giving exemption wherever there is village solid and waste management, the individual households need not have two leach pits as it affects drinking water requirement? Will the Government give exemption to the individual household latrines which do not have two leach pits?

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से बहुत ही मुख्य बात पूछी है। स्वच्छता के क्षेत्र में गांव को ओडीएफ करना एक विषय है, लेकिन पूरी तरह स्वच्छ करना इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए ठोस एवं तरल पदार्थ, जो वेस्ट है, उसका प्रबंधन हो, यह समय की आवश्यकता भी है और सरकार भी इसके प्रति सजग है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों कई सरकारों ने अनेक प्रकार के प्रयोग किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जब लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं तो उसे बहुत आधुनिक मॉडलों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाएबिलिटी नहीं आती है और रैवेन्यु मॉडल एक सक्सेस नहीं बनता है। इसके कारण देशज पद्धतियों को अपनाना आवश्यक होता है। हमने मंत्रालय में प्रोफेसर माशेलकर जी की अध्यक्षता में समिति बनाई है, वह इस प्रकार की तकनीक का परीक्षण करती है, जब वह एप्रूव करते हैं तो हम राज्यों को कहते हैं कि इसे अपनाओ। इस मामले में तमिलनाडु ने अच्छा काम किया है और अन्य राज्यों में 2431 ग्राम पंचायतों में यह काम चल रहा है। ओडीएफ और हम लोगों का थ्रस्ट है। अभी तक 1 करोड़ 76 लाख गांव ओडीएफ हो चुके हैं। हम इस टार्गेट को अचीव करना चाहते हैं, इसके साथ सालिड और लिक्विड मैनेजेमेंट भी है। हम जल्दी ही इसे गति देंगे। भारत पूरी तरह स्वच्छ हो, यह भारत सरकार की भी प्राथमिकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी प्राथमिकता है। पेयजल की जो स्थिति है या शौचालय की जो स्थिति है, अगर शौचालय बनेगा तो निश्चित रूप से पानी की आवश्यकता रहेगी, इस आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से भी पेयजल मंत्रालय पूरी तरह से विचार कर रहा है। कल भी एक बड़ा कान्फ्रेंस हुआ, जिसमें देश भर के आफिसर और 12 राज्यों के मंत्री उपस्थित हुए थे।

मैं कहना चाहता हूं कि शौचालय बनने की गति बनी रहनी चाहिए। जो गांव ओडीएफ होता है, वहां हमारी कोशिश होती है और हम राज्यों से आग्रह करते हैं कि केंद्र परिवर्तित योजनाएं, चाहे पेयजल योजना हो या आवास योजना हो, ओडीएफ गांव को उसमें प्राथमिकता देनी चाहिए।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे : अध्यक्ष महोदया, मैं सर्वप्रथम सरकार का अभिनंदन करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को जिस गंभीरता से लिया है, वह बेहद सराहनीय है। मैं कहना चाहती हूं कि शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है, उसमें शौचालय नहीं बन पाते, ऐसा हमें हर जगह सुनने को मिलता है। जहां हम हर क्षेत्र में नयी-नयी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां हम प्रीफैब्रिकैटिड टायलेट्स, जो कम कीमत और कम समय में बन जाते हैं, उन्हें क्या सरकार स्पोंसर करने, बढ़ावा देने के बारे में कोई सोच रखती है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार शौचालय के लिए 12 हजार रुपये प्रत्येक लाभार्थी को देती है। यह सच है कि अनेक स्थान ऐसे हैं, जहां 12 हजार रुपये कम पड़ते हैं। मैं सदस्य महोदया को आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि यह 12 हजार रुपये शौचालय के निर्माण की कीमत नहीं है। यह एक तरह से भारत सरकार की प्रोत्साहन राशि है। यह व्यक्ति मूलक योजना है, इसलिए लोग शौचालय उपयोग करने, स्वच्छता और शौचालय बनाने की दृष्टि से प्रवृत्त हों, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन मिलना चाहिए इसलिए इस प्रोत्साहन के रूप में यह 12 हजार रुपये दिये जाते हैं। लेकिन राज्य इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपने यहां किसी भी प्रकार के ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसमें अतिरिक्त राशि देने की जरूरत है, तो राज्य उसे दे सकते हैं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : अध्यक्ष महोदया, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को निधि का आबंटन होता है। मैं कहना चाहता हूं कि देश भर में 62 कन्टोनमेंट बोड्र्स हैं। इन बोड्र्स को राज्यों से कोई निधि नहीं मिलती और न ही उन्हें केन्द्र की किसी योजना में शामिल किया जाता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में देहू रोड कन्टोनमेंट बोर्ड है और पुणे में पुणे और खड़की कन्टोनमैंट बोर्ड है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर के कन्टोनमेंट बोड्र्स को शामिल करने के लिए विचार कर रही है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदया, छावनी क्षेत्र निश्चित रूप से एक अलग संस्था है, स्वायत्त संस्था है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। उनके पास जो फंड्स रहते हैं, वे उसका उपयोग स्वच्छता के लिए कर सकते हैं। सदस्य की जो भावना है, उससे मैं डिफेंस मिनिस्ट्री को अवगत करा दूंगा।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Madam, as our hon. Minister of Rural Development, Shri Tomar-ji, is aware that Telanga State has taken up a flagship programme with Rs. 46,000 crore on Mission Bhagiratha to give water to each and every household.

But, Madam, that scheme is already coming to an end. Perhaps it would take still about one to one and a half years to complete. However, as you know that the summer is coming up. तेलंगाना में सिर के ऊपर धूप मंडरा रही है। वहां मार्च के महीने में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। The water table level has come down. हर गांव में पानी की दिक्कत है। There is a lot of problem about drinking water. So, we have already requested the hon. Minister to give extra funds to our State for drinking water. I

would like to ask the hon. Minister whether he is going to consider our request. Thank you.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदया, यद्यपि यह स्वच्छता से संबंधित प्रश्न है, लेकिन जितेन्द्र जी ने पानी के बारे में कहा है। स्वच्छ पेयजल सबको मिले, यह भारत सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में भारत सरकार लगातार राज्यों के साथ सम्पर्क और विचार-विमर्श कर रही है। हमने कल - हर घर जल और स्वच्छता के संबध में एक कांफ्रेंस की थी, जिसमें तेलंगाना राज्य के माननीय मंत्री जी के साथ-साथ देश भर के अधिकारी, एनजीओज, ग्राम पंचायत समितियों के अधिकारी, जो पानी की दृष्टि से काम करते हैं, वे भी आये थे और बारह राज्यों के मंत्री भी आये थे। हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर काम किया जाए। राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि पेयजल का मामला काफी व्यापक है। इसके लिए और सतत विकास के हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें बड़ी धनराशि चाहिए। वर्ष 2030 तक हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करें, यह सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इस पर काम भी कर रही है। यह सच है कि गर्मी की ऋतु में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां तापमान बढ़ जाता है और वहां पानी की समस्या बढ़ जाती है। माननीय सदस्य के राज्य को एवं बाकी सभी राज्यों को, आबादी के हिसाब से उनका जो हक बनता है, उसे हम लोग समय-समय पर देते हैं और आगे भी आवश्यकता पड़ने पर हम देते रहेंगे।

एक विषय मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। यहां थॉमस साहब ने कहा था कि केरल को कुछ अतिरिक्त मदद मिलनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि स्वच्छता को यह सरकार बहुत प्राथमिकता पर ले रही है। जिन राज्यों ने अपने आपको ओडीएफ घोषित किया है, उन राज्यों को कल हम लोगों ने कुछ अतिरिक्त राशि दी है। इस दृष्टि से, स्वच्छता के केरल को 20 करोड़ रुपये और सिक्किम को पांच करोड़ रूपये दिए गए हैं। यह बात मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

(Q.302)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : Thank you Madam Speaker. In the recent auctions of the wind power, the wind power tariffs came down to Rs. 3.46 per unit which is the lowest so far. Four new projects of 250 megawatt each have been awarded through this auction. The completion period of these new projects is 18 months. One of the major incentives for the renewable power generators were high tariff as compared to the conventional power because of high input cost. Now, experts are already raising doubts over the viability of these projects because of such a low tariff. Their input cost is not going to change much. We have seen that aspect with the solar energy too. During the last auctions in the last month, the average tariff is coming down to Rs. 3.30 per unit.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is planning to offer any new tax sops to upcoming and the future windmill projects so that the input cost of new projects can be brought down, and these projects are completed within the stipulated time.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, I would have thought that the whole House and the entire country would be happy that this Government has brought in transparency in its procurement and has given everybody an equal and fair opportunity to bid for projects, and to determine and discover the best price possible by using our transparent mechanism.

In the past, there was a system of feed-in tariff. It had its own utility and it was useful in that period of time to promote wind energy. But after all, the nation's priority is that we keep power cost low. The people of India cannot afford to pay high price for power. It often came to my attention that feed-in tariff once determined almost set a benchmark for the cost of power. Due to improved technologies, there is reduction in cost of power worldwide but the benefit was not coming to India because we were cocoon with feed-in tariff. We were getting generation-based incentive worth Rs. 1 crore per megawatt; we were allowing accelerated depreciation and a serious of promotional measures which were

necessary at that point of time and they were continuing. The States and their DISCOMs were in stress and any additional renewable power obligation on them at those high prices was certainly unviable. By and large, the whole world believes that an equal opportunity provided to everybody to bid will determine the most efficient tariff. The same concerns were raised during solar bidding where we brought down the prices from Rs. 7 to Rs. 8 per unit of power to nearly, as he rightly pointed out, to a levelised tariff of Rs. 3.30 per unit and the first year tariff was at Rs. 2.97 per unit. At that price, renewable power is affordable for DISCOMs. It will encourage rapid expansion of renewable energy.

The hon. Prime Minister, Shri Modi, from day one, has been clear that as we expand the scope of renewable energy, not only we are serving the cause of mankind with less pollution but also we are preparing for the energy security of this country. We will get power at these low rates even after 25 years. That is what the people of India expect from the Government, and that is what we are doing. All the naysayers, who used to criticize solar tariffs falling from Rs. 7 or Rs. 8 to Rs. 3.30, have been proven wrong. All the projects which have come up through this auction process, if at all there is any delay in signing PPA, they come and fight with the Department saying: “We want to supply. Please execute the documents quickly”. I am sure this is a more efficient way of discovering prices. We saw that benefit in LEDs where prices fell from Rs. 310 to Rs. 38 and the nation has benefited. Consumer bills, if you take public private together, have fallen by nearly Rs. 20,000 crore by the use of efficient LEDs. Similarly, I believe a transparent auction process is most welcome as in the spirit of the Government led by the Prime Minister, Shri Modi where we give transparency and a corruption free regime great importance in all the work that we do.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : We are really happy that these tariff rates will come down. My only concern was about the viability of the issue that more companies should come in and this project of renewable energy should go on.

My second question is this. We all know that Maharashtra is a pioneer in wind power and it has approximately 720 kilometres of coastline. A consortium led by Global Wind Energy Council which has a couple of Government agencies also, has initiated a research to find out potential sites off the coast of Gujarat and Tamil Nadu with the grant of four million Euros by the European Union. It has already identified Hazira and Pipavav in Gujarat and Tuticorin in Tamil Nadu as potential zones for wind power development.

My question to the hon. Minister is whether it plans to undertake any such study in the State of Maharashtra to make the best use of these 720 kilometres of coastline.

SHRI PIYUSH GOYAL: The hon. Member has raised a very good point.

First of all, as regards the viability of these projects, let us all understand that all these bidders are coming into the auction with their eyes open. We are not forcing anybody to give one price or the other. We are not determining whether they will give low or high or medium prices. Very often, you read it in the newspapers a lot of Members saying we should encourage private sector; we should encourage open competition. I am sure all these so called bidders are very intelligent companies. They know their interest best and all the flab and corruption that possibly existed earlier, the high windfall gains that they were getting earlier, is being captured now through lower prices and the benefit is going to the people. So, I have no doubt that this will be a viable price. If it is not viable in the next bidding, we will get another price. So, it is complete transparency that we are focusing on.

As regards the coastline power projects, off-shore wind projects, our Government has taken out a policy to encourage and promote off-shore wind projects about six months ago. As the technologies are not yet matured, I have talked to companies around the world. Britain has done a lot of work in off-shore wind technology. The processes are getting matured. India plans to get into that business as a pioneer to start developing these technologies. It will still take some

time before this technology becomes viable. So, as a pilot, we are looking at Hazira, Pipavav, Tuticorin to begin this development. As this technology matures, as we get more and more efficiency and there is price reduction in this, I am sure that industry will also grow. The off-shore policy by the way was taken out in October, 2015. We are doing this assessment only in these regions, to begin with. Once the installation cost becomes more viable, I am sure Maharashtra will also join in the process.

श्री विनायक भाऊराव राऊत : माननीय अध्यक्ष जी, पवन ऊर्जा का निर्माण इस देश में कई राज्यों में होता है, ऐसा आपने अपने उत्तर में लिखा है, लेकिन मेरी जानकारी में केवल इस देश में तमिलनाडु एकमात्र राज्य है, जहां भारी मात्रा में इस पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। पवन ऊर्जा पूरी तरह से हवा पर निर्भर होती है और जो विंड्स की स्पीड रहती है, वह अन्य राज्यों में उतनी नहीं मिल रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस पवन ऊर्जा का निर्माण करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि साथ साथ में पवन ऊर्जा का निर्माण करना हो तो सोलर एनर्जी से भी ज्यादा यह महंगी है कि कम से कम 7 करोड़ रुपये प्रति मेगावॉट इस पवन ऊर्जा के निर्माण में लगाना पड़ता है, इसलिए यदि वहां सोलर एनर्जी का निर्माण करना हो तो 5 या 6 करोड़ में निर्माण हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और जैसे कि डॉ. श्रीकांत शिंदे ने कहा कि हमारे देश में तीनों तरफ सागर है और कई प्रदेशों में समुद्र की लहरों के ऊपर निर्माण करने वाली जो ऊर्जा है, उसके ऊपर सारे देश ध्यान दे रहे हैं। इस देश में भी सागर की लहरों से ऊपर ऊर्जा का निर्माण करने के लिए सरकार प्रयत्न करे। इसके साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 175 गीगॉवाट का सोलर एनर्जी का निर्माण करने का उद्देश्य रखा था, आज तक उस उद्देश्य की पूर्ति सरकार ने कहां तक की है?

माननीय अध्यक्ष : अभी तो पवन ऊर्जा की बात करिए। फिर सोचते हैं।

श्री पीयूष गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात मैं माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं कि सोलर एनर्जी का दाम जो उन्होंने 5-6 करोड़ रुपये कहा, वह अब लगभग चार और साढ़े चार करोड़ रुपये पर आ गया है। उसमें इतनी कमी हुई है। पवन ऊर्जा का खर्चा जो 7 करोड़ रुपये आज के दिन माना जाता है, 6 करोड़ रुपये प्लांट के लिए, 1 करोड़ रुपये ट्रांसमिशन के लिए, जैसे-जैसे और ट्रांसपेरेंसी आएगी, बिडिंग प्रोसैस बढ़ेगी, इसका दाम और ज्यादा कम होगा, ऐसा मेरा खुद का अनुमान है।

डॉ. शिंदे जी ने भी जो प्रश्न पूछा, मैं बताना चाहता हूं कि उनको चिंता थी कि आगे कोई कम्पीटीटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी चार दिन पहले मैं ऊर्जा के सब प्लेयर्स- पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर प्लेयर्स के साथ बैठा था। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की थी कि 5-6 हजार मेगावॉट पवन ऊर्जा की बिडिंग करवाइए। जहां तक अलग-अलग स्टेट की बात है, सिर्फ तमिलनाडु में ही जो 302 गीगॉवाट देश भर का विंड पोटेंशियल 100 मीटर हाइट पर एक अध्ययन के द्वारा निर्धारित किया गया है, तमिलनाडु का एक पोटेंशियल 33 गीगावॉट का है। सबसे अधिक पोटेंशियल गुजरात में है। वहां पर 84 हजार गीगावॉट है। महाराष्ट्र में भी लगभग 45000 मेगावॉट है। इस प्रकार से 8 राज्य हैं- आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। इन आठ राज्यों को मिलाकर 297 गीगावॉट का पोटेंशियल है। हम सभी राज्यों में प्रोत्साहन दे रहे हैं, किंतु तमिलनाडु ने इस पर पहल की थी, जिसके कारण उनकी जो कैपेसिटी है, वह आज के दिन लगभग 7720 मेगावॉट पिछले वर्ष के अंत में हो गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी 4667 मेगावॉट लग चुका है। अब और लग रहा है और इस वर्ष के आखिर तक हम 30000 मेगावॉट क्रास कर जाएंगे। यह मुझे बताते हुए खुशी है और वर्ष 2012 से 2014, इन दो वर्षों में 3779 मेगावॉट लगा था। हमारे तीन वर्ष का आंकड़ा पहले वर्ष में 2312 जो लगभग 60 प्रतिशत है, पूरे इतिहास में अभी तक लगा था। वर्ष 2015-16 में 3423.05 जो लगभग पहले का 90 प्रतिशत था, और अभी इस साल में हम लगभग 4000 मेगावॉट विंड पॉवर एड करेंगे।

जहां तक आपने 1,75,000 मेगावॉट की बात कही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रीन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का कुल लक्ष्य 1,75,000 था, ...(व्यवधान) उसमें से सौर ऊर्जा का टार्गेट 1 लाख मेगावॉट है। 1,75,000 मेगावॉट नहीं है। 1 लाख मेगावॉट में भी हमने 10 मार्च 2017 को 10,000 मेगावॉट पार कर लिया है। जब मैं मंत्री बना था, तब 2650 मेगावॉट था, अब 10,000 मेगावॉट हो गया है और वर्ष 2018 के मार्च तक यह 20,000 मेगावॉट हो जाएगा।

श्री निहाल चन्द : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने पॉवर के मामले में इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राज्य अगर बाहरी कंपनियों से विद्युत खरीदकर अपने उपभोक्ताओं को देता है तो वह बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। सोलर पॉवर और विंड पॉवर दो ऐसी चीजें हैं, जहां से विद्युत सीधा स्टेट को मिलती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नॉर्थ-ईस्ट और उत्तराखंड को छोड़कर, क्योंकि वहां कहीं भी सब्सिडी नहीं है, क्या दूसरे राज्य में विंड पॉवर और सोलर पॉवर को सब्सिडी देंगे? क्या राजस्थान में जो 55,000 करोड़

रुपये का कर्जा पॉवर पर चढ़ा हुआ है, क्या केन्द्र सरकार उसमें कुछ सहयोग करने का विचार रखती है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

श्री पीयूष गोयल : महोदया, हमारी सरकार का मानना है कि किसी भी उद्योग या विद्युत क्षेत्र के ऊपर सब्सिडी के माध्यम से ग्रोथ करने जाएंगे, तब तक उसमें रिस्ट्रिक्शन आएगी। सब्सिडी से एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास एक हजार करोड़ रुपये हैं, तो सभी इंतजार करते हैं कि इस पैसे में हमें कितना शेयर मिलेगा और उतना ही डेवलपमेंट होता है। उसमें पारदर्शिता लाने, कॉम्पीटिशन और स्केल बढ़ाने से उसके दामों को ही कम कर दिया है। क्या आज वह कॉम्पीटिटिव हो गया है? 'विंड का 346' इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। हमने जीबीआई भी हटा दिया है। एक्सलरेटिड डेपरिशिएशन भी 40 प्रतिशत कर दिया है, आधा कर दिया है। उसके बावजूद यह प्राइज आया है। पहले जो साढ़े चार, पांच और छह प्रतिशत होता था, उसमें जीबीआई अलग मिलता था। उसमें एक्सलरेटिड डेपरिशिएशन मिलने की संभावना थी। हमारा मानना है कि सब्सिडी के बगैर इंडस्ट्री ज्यादा फ्लरिश होती है, ग्रो होती है।

महोदया, जहां तक राजस्थान की बात है कि वर्ष 2013 में जब माननीय वसुंधरा राजे जी मुख्य मंत्री बनीं, तब उन्हें लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का सालाना घाटा विद्युत क्षेत्र में होता था। उनके सामने जो कठिनाई आई, उसका उन्होंने बहुत धैर्य से सामना किया। उन्होंने 'उदय' योजना के सभी लाभ उठाए और उनके राज्य का डिस्कॉम तेजी से सुधार की तरफ जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले दो वर्षों में वह प्रोफिट में आ जाएगा। कुछ सांसदों को सुनने में दिक्कत होती है, लेकिन यह सच्चाई है कि वर्ष 2008 से 2013 के बीच जो नुकसान राजस्थान सरकार को हुआ है, उसकी भरपाई करने का प्रयत्न वसुंधरा राजे जी की सरकार ने किया है, वह बहुत तारीफ के योग्य है।

DR. P. VENUGOPAL : Madam Speaker, already hon. Members, Dr. Shrikant Eknath Shinde and Shri Vinayak Raut, have already asked this question. Anyhow, I would like to say that Tamil Nadu has a long coastline of more than 1,000 kilometres, which is the second longest after Gujarat. The major source of wind energy is the coastal areas. Moreover, wind energy is clean energy, unlike thermal energy which causes pollution.

Since Tamil Nadu has a long coastline, the Government can think of setting up wind energy mills all along the coast of Tamil Nadu where there are no

habitations. In fact, the Centre itself on its own set up several wind energy plants all along the coastal area.

Will the Government come forward to give grants and give permission to the State Government of Tamil Nadu to set up wind energy plants along the coast of Tamil Nadu?

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, as I mentioned earlier, Tamil Nadu has made very rapid strides. Tamil Nadu had almost 7,700 MW as of last year and has taken a great initiative in wind energy.

As regards the offshore plants, I just mention that we took out the policy in October, 2015. The offshore plants are still relatively more expensive. We are getting into that business. We are giving some Central support also. We will help to set up transmission line, which is an added cost in these offshore projects.

I think, this technology will take some time to mature, but I would be very happy to inform the hon. Member that this is in our zone of consideration and going forward, we will develop this further. As the costs keep falling, we will keep expanding in that sector also.

(Q. 303)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बुनकरों की शिक्षा के बारे में बोलने की अनुमति दी है। मैं स्वयं बुनकर का पुत्र हूं। मैं हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत आभारी हूं और हमारी बहन स्मृति जी और टम्टा जी का भी आभारी हूं कि वे बुनकरों और हस्तशिल्पियों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं। जहां तक हमारे देश का सवाल है, हस्तकला हमारी धरोहर है। मैं गुजरात क्षेत्र से आता हूं। गुजरात में चाहे कच्छ हो, चाहे पाटन के पटौले हों, चाहे स्वराष्ट्र की बांधनी हो, पूरे देश के अलग राज्यों में हमारी हस्तकला एक धरोहर के रूप में जानी जाती है। जब हस्तकर्मियों को आइडेंटिटी कार्ड देने थे, तब वह कार्यक्रम स्मृति जी ने सबसे पहले अहमदाबाद में मेरे क्षेत्र में रखा था। मैं स्मृति जी का आभार व्यक्त करता हूं।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। स्मृति जी की वजह से हस्तकर्मियों और बुनकरों के सामान की वैल्यू एडिड होती है और उन्हें ज्यादा आमदनी मिलती है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बुनकरों को शिक्षा देने के लिए नेशनल हैंडीक्राफ्ट विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए सरकार की कोई सोच है?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे सबसे पहले श्री किरीट भाई का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने आशीर्वाद देकर अभिभूत किया।

महोदया, बुनकरों और उनके परिवारों के मध्य में शिक्षा का स्तर जानने के लिए वर्ष 2009-10 में सेंसस हुआ। यह पाया गया कि 30 प्रतिशत बुनकर और उनके परिवार के सभी सदस्य कभी विद्यालय गये ही नहीं और मात्र एक प्रतिशत बुनकर ही ग्रेजुएशन या उसके ऊपर की पढ़ाई कर पाये।

माननीय अध्यक्ष : उस एक प्रतिशत में ही किरीट जी शामिल हैं।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : जी हाँ। उनका अभिनन्दन है कि एक बुनकर के पुत्र होने के बावजूद वे न सिर्फ डॉक्टर बने, बल्कि आज भी स्वयं बुनते हैं।

जब कारणों को टटोला गया तो यह पाया गया कि बुनकर और उनके परिवार पढ़ने की इच्छा रखतें हैं, लेकिन वे शुल्क अदा नहीं कर पाते हैं अथवा उन्हें मुख्यतः मॉडर्न वीविंग टैक्नीक सिखाई जाती है और वे चाहते हैं कि उससे जुड़े कुछ नये कोर्सेज़ भी हों।

7 अगस्त, 2016 को हमने इग्नू और एनआईओएस के साथ हैंडलूम डवलपमेंट कमिश्नर कार्यालय के माध्यम से एक एमओयू किया। मैं श्री किरीट भाई से कहना चाहती हूँ कि यह मात्र बुनकरों के लिए ही नहीं, बल्कि हस्तशिल्पियों के लिए भी 9 नवम्बर और जनवरी के माह में हमने एनआईओएस और इगनू के माध्यम से एक करार किया। इग्नू और एनआईओएस के माध्यम से यह सुविधा मिलती है कि बुनकर और

शिल्पकार घर पर बैठकर अपनी चीजों को बनाते हैं, वे रेगुलर किसी संस्थान में जाकर पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए शिक्षा स्वयं उनके घरों तक आए, हमने ऐसी व्यवस्था की है। उनकी जो आर्थिक चुनौतियाँ रहती हैं, उनको देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय किया है कि 1 अप्रैल, 2017 से जो भी बुनकर समाज और हस्तशिल्प समाज के नागरिक हैं, यदि वे एससी, एसटी, माइनॉरिटी परिवार से हैं, बीपीएल परिवार से हैं, महिला हैं अथवा दिव्यांग हैं, उनकी 75 प्रतिशत शुल्क की राशि भारत सरकार स्वयं भरेगी।

मैं सदन के सभी सदस्यों के समक्ष यह भी कहना चाहूँगी कि वे बुनकरों और शिल्पकारों से संबंधित कई कठिनाइयाँ मेरे पास लेकर आते हैं। हमने राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 4 जनवरी को बुनकर मित्र हेल्पलाइन शुरू की है, जिसका नम्बर 18002089988 है। दो माह में लगभग 3500 बुनकरों ने अपनी कठिनाइयाँ बतायीं और हमने उनका समाधान किया। आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, आपके माध्यम से भी यदि किसी को सहायता चाहिए तो यह हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक चलता है। चाहे शिक्षा की मुसीबत हो या कोई भी चुनौती हो, वे इसके माध्यम से हम तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैडम स्पीकर, मैं अहमदाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, किसी जमाने में अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, वहाँ करीबन 75 से ज्यादा टैक्सटाइल मिल्स थे। इन मिलों में काम करने वाले कर्मचारी गरीब और दलित वर्ग के थे। समयान्तराल में, वे मिलें बंद हो गयीं और अब कुछ ही मिलें बची हैं। उन बंद मिलों के जो बेरोजगार कर्मचारी हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि हमारी गुजरात सरकार ने उन लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की है, वे छोटे-छोटे व्यवसाय करते हैं, फिर भी उनके बच्चों के लिए पढ़ाई, उनके रहने के लिए आवास की सुविधा में दिक्कत आती है। इसलिए मैं मंत्री जी से विनती करता हूँ कि बंद पड़े मिलों के जो बेरोजगार लोग हैं, क्या उनके लिए भारत सरकार कोई पैकेज लाएगी ताकि उनकी स्थिति सुधर सके?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : महोदया, चूंकि माननीय सदस्य महोदय का प्रश्न हैंडलूम से संबंधित था, इसलिए ये जिन मिलों की चर्चा कर रहे हैं, वह मुख्य प्रश्न का अंग नहीं है, फिर भी उन्होंने जो चिन्ता व्यक्त की है, उसके संदर्भ में मैं उनको एक जानकारी देना चाहती हूँ। पहली अप्रैल से पूरे पावरलूम सेक्टर के लिए एक विशेष पैकेज घोषित करने वाले हैं और हमारी यह कोशिश है कि पावरलूम के वर्कर्स की आय में वृद्धि हो। यदि इसके संबंध में, आप किसी भी वर्कर को इस स्कीम में जोड़ना चाहें, तो निश्चित रूप से मैं उसमें सहायता करूँगी।

श्री ताम्रध्वज साहू : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ। मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर 'घ' में जानकारी दी है कि बुनकर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं। मेरा सीधा और छोटा सा प्रश्न यह है कि जो योजनाएँ बुनकरों के लिए जो योजनाएँ बनती हैं, उनका लाभ बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज एवं उद्योगपतियों द्वारा उठाया जाता है। ग्रामीण अँचल में रहने वाले छोटे बुनकरों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ग्रामीण बुनकरों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या निःशुल्क जमीन पर निर्माण व कच्चे माल की खरीद के लिए बिना ब्याज का ऋण तथा उनके उत्पाद की बिक्री के लिए जिला और प्रदेश मुख्यालय पर मार्केटिंग की कोई योजना बनाई जाएगी?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : मैं माननीय सदस्य के साथ एक चिंता शेयर करना चाहती हूँ। टैक्सटाइल मिनिस्ट्री का यह दुर्भाग्य यह रहा कि जब 2014 में हमें सेवा का अवसर मिला, उससे 4-5 वर्ष पहले तक टैक्सटाइल की लगभग 10 से 18 स्कीमों पर कोई काम नहीं किया गया था। भारत सरकार द्वारा इन योजनओं के लिए राशि का आबंटन किया जाता था, किंतु धरातल तक कुछ नहीं पहुँचता था। इस बात का उल्लेख सदन में कई बार हुआ है। इस वजह से दो-तीन चिंताएँ इस क्षेत्र को पूरी तरह से ग्रसित कर चुकी हैं। माननीय सदस्य बुनकरों तक लाभ पहुँचाने की बात कर रहे हैं। मैंने जिस सैंसस का उल्लेख किया है, वह 2009 में हुआ था। उस सैंसस में बुनकर समाज के कई प्रश्न और चिंताएँ व्यक्त की गईं थीं, परंतु उनके समाधान हेतु कई चीजें नहीं हुई थीं। हमारे एक वरिष्ठ मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ बैठे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। ...(व्यवधान) अधीर दा का उपहास करने का एक पुराना तरीका रहता है।

महोदया, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि बुनकरों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उन्हें क्रेडिट चाहिए है, परंतु क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आसानी से उन तक नहीं पहुँचते हैं। हमने वीवर्स सर्विस सेंटर्स के माध्यम से सभी बुनकरों को मुद्रा लोन से जोड़ा है। हमने वित्त मंत्रालय से भी यह विशेष निवेदन किया है कि वह हमारे मंत्रालय से समन्वय कर के बुनकरों के साथ मीटिंग करे। आज बुनकर यह कहते हैं कि यदि नाबार्ड की व्यवस्था उन्हें भी मिले, तो वह उस व्यवस्था का लाभ उठाना चाहेंगे। अर्जुन जी ने हमारी बात रखी और इसलिए मैं उनका एवं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि कल उन्होंने यह निर्णय लिया है कि अब नाबार्ड में हैण्डलूम को भी एक एंटिटी की तरह लिस्ट किया जाएगा, ताकि हम बुनकरों को क्रेडिट सिक्योरिटी दे सकें।

माननीय सांसद ने यह भी बताया है कि बुनकर की यह दरकार है कि उसकी लूम काफी पुरानी होने के बाद चलती नहीं है। इस लूम के लिए वह उधार लेता है, जिसके तले वह दबता चला जाता है। हमने क्रेडिट को किफायती दामों पर एविलेबल करवाकर उसे सरल तरीके से नाबार्ड से जोड़ा है। हमने बुनकरों के लिए लूम की व्यवस्था करने के लिए हथकरघा संवर्धन सहायता योजना का निर्माण किया है। हमने डी.बी.टी. के माध्यम से उन सभी बुनकरों को इससे जोड़ा है जिनके पास लूम है। हम प्रत्येक बुनकर के क्लस्टर में वीवर्स सर्विस सेंटर्स के माध्यम से कैंप्स लगाएंगे। इन कैंप्स में आकर बुनकर स्वयं यह सलैक्ट कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी नई लूम चाहिए है। हमने यह निर्णय किया है कि जब बुनकर लूम प्राप्त करेगा, तो उसे मात्र 10 प्रतिशत राशि देनी होगी, शेष 90 प्रतिशत पैसा भारत सरकार देगी।

माननीय अध्यक्ष : अनुपम हाज़रा जी।

DR. ANUPAM HAZRA : Madam, I represent the constituency of Bolpur where Shantiniketan Handicrafts is quite well known for its products made of *batik, butik and kantha* stitch which, I think, the hon. Minister is also aware of.

In my constituency, there are around thousands of Self Help Groups which comprise rural and tribal women who are quite expert and well known for their handicrafts. What is happening on the ground is that some of the established fashion designers and the people who are in this field are purchasing their products at a very cheaper rate, and they are putting their own tag on those products and promoting their own brand. At the end of the day, the Self Help Group women are somehow being victimized financially and they are not being able to promote their products in the market in a proper way. So, is there any scheme or policy in the near future with the Ministry so that their products can be fine-tuned and can be oriented and promoted in a better way and also can get a good price in the market?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, the hon. Member has reflected a concern which is very well thought of. For years, in the handicrafts sector, this is an unfortunate fact that many NGOs tried to become a link between Government and the weaver or the artisan, and in the name of being that link did

not allow the actual benefits that the Government wanted to give to the individual artisan or to the individual, little society or the group that artisans formed.

I would only like to tell him that we have actually ensured that there is a portal called 'India Handmade Bazaar' through which we are connecting individual artisans, weavers and even groups of weavers and artisans directly to showcase their wares so that the buyers can connect with them directly. We are also trying to educate them about patents, about geographical indications so that they understand how rich their heritage is and what is the kind of market price they can demand.

Since the hon. Member has reflected about a personal concern that he has witnessed in his own constituency, I will like to tell him that the Handloom and Handicrafts Development Commissioner will ensure that these women artisans in your constituency get through design intervention and skill upgradation, the help that you so seek for them in this House.

SEVERAL HON. MEMBERS: Good, good.

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : महोदया, आज स्मृति जी का जन्मदिन है। मैं अपनी और सदन की ओर से इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से अच्छे काम करती रहें।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : महोदया, मैं स्मृति जो को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ ही मैं उनका अभिनंदन भी करना चाहूंगी कि उन्होंने टैक्सटाइल के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगी।

सूरत डायमण्ड और टैक्सटाइल के साथ-साथ जरी के उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। जरदोशी तार गोल्ड और सिल्वर बेस्ड होता है। इसमें जो बुनकर काम करते हैं, उनको उसके तार के लिए काफी दिक्कत आती है। इसके अलावा टैक्सटाइल के क्षेत्र में काफी अपग्रेडेशन्स हुए हैं, जिसके लिए काफी तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जैसे नयी मशीनों से बीडिंग वगैरह होते हैं। उसके लिए नये अभ्यासक्रम को जोड़कर लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है। वैसे तो 1 अप्रैल को सूरत से कई योजनाओं के बारे में डिक्लरेशन होने वाला है और आगे भी हो चुका है। पहले अपग्रेडेशन स्कीम बनायी गयी थी, लेकिन उसके

लिए कोई फण्ड नहीं रखा गया था। मैं इस सरकार के वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी कि उनकी वजह से टफ अपग्रडेशन स्कीम के लिए भी धन मिल चुका है। इन दोनों को मिलाकर स्किल डेवलपमेंट पर मंत्री जी क्या कर रही हैं?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, firstly, I am grateful for the wishes of the hon. Member.

लेकिन उन्होंने जो चिंता व्यक्त की कि पैसे नहीं पहुंच रहे थे, एलोकेट नहीं हो रहे थे। मैंने अपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पहले इस मंत्रालय की लगभग 18 स्कीम्स सरेण्डर होती थीं, इसलिए घोषणा के बाद उसकी अपेक्षा में लोग बैठे रहते थे, लेकिन उनके पास सहायता नहीं पहुंचती थी।

माननीय सदस्या ने बीडिंग का उल्लेख किया है। यह हेण्डलूम और हेण्डीक्राफ्ट से संबंधित नहीं है। पावरलूम अथवा मिल्स के लिए एक्ससरीज बनाते हैं, उससे संबंधित है। जिस प्रकार से नाबार्ड की व्यवस्था हेण्डलूम के लिए है, उसी प्रकार से प्रमुखता से जो मुद्रा योजना है, उसका लाभ बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल्स जो इंडस्ट्री के लिए एक्ससरीज बनाते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक स्किलिंग की बात इन्होंने की है, मुझे लगता है कि वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी अभिनंदन के पात्र हैं, इंडस्ट्री भी अभिनंदन की पात्र है कि हमारी मिनिस्ट्री के स्किलिंग प्रोग्राम में 79 परसेंट प्लेसमेंट अब तक हुआ है। हम प्लेसमेंट के सर्टिफिकेट के साथ ही संतोष नहीं करते हैं, बल्कि छः महीने बाद इस बात को कंफर्म करते हैं कि क्या वह व्यक्ति अभी भी वहीं काम कर रहा है या नहीं।

DR. PRABHAS KUMAR SINGH : Madam, this is regarding my parliamentary constituency where a large section of weavers, especially handloom weavers, produce Sambalpuri Sari that is tie & dye, which is famous throughout the world but is now in a state of danger. It is an ancient form of art heritage. Now, due to large-scale duplication of Sambalpuri Sari and Sambalpuri clothes, the Sambalpuri weavers are going to starve.

In the last Session, I had asked the hon. Minister to take appropriate steps to stop this type of duplication. The team had gone to Bargarh and Sambalpur. But, nothing has been reported till now. The Sambalpur handloom is known for its tie and dye fabric. Can I know from the hon. Minister as to what steps she is going to take to stop marketing of duplicate products?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, for the challenge of duplication, we have the Handloom Mark. I would also request the hon. Member to ensure that weavers and those who are producing more and more of these parts of our legacy connect themselves to the India Handloom Brand and they would get that protection. For the first time, in the history of our country, it is our hon. Prime Minister under whose guidance the India Handloom Brand was established. One of the benefits of the India Handloom Brand is that we are now directly connecting the agencies and companies, like, Biba, Allen Solly, Peter England to the weavers so that the cloth that a weaver produces, is directly procured by the company and the payments are made directly to the weavers. I implore that the Member ensure that weavers in his constituency connect to the India Handloom Brand and also insist on getting the Handloom Mark for their ware so that the protection he so desires for them, is given.

12.00 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be Laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI VIJAY GOEL): Madam, I beg to lay on the Table: --

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Dope Testing Laboratory, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Dope Testing Laboratory, New Delhi, for the year 2014-2015.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6694/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam, I beg to lay on the Table: -

(1) A copy of the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Third Amendment) Regulations, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. L-7/1/0844(159)-CERC in Gazette of India dated 10th February, 2017 under Section 179 of the Electricity Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 6695/16/17]

(2) A copy of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.169(E) in Gazette of India dated 27th February, 2017 under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

[Placed in Library, See No. LT 6696/16/17]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : --

(1) (एक) नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6697/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, I beg to lay on the Table: --

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Hooghly Dock and Port Engineers Limited, Kolkata, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Hooghly Dock and Port Engineers Limited, Kolkata, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6698/16/17]

(3) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988:-

(i) The Central Motor Vehicles (19th Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.1034(E) published in Gazette of India dated 2nd November, 2016.

(ii) The Central Motor Vehicles (20th Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.1095(E) published in Gazette of India dated 28th November, 2016.

(iii) The Central Motor Vehicles (21st Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.1096(E) published in Gazette of India dated 28th November, 2016.

(iv) The Central Motor Vehicles (22nd Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.1183(E) published in Gazette of India dated 29th December, 2016.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6699/16/17]

12.02 hours

COMMITTEE ON ESTIMATES
22nd Report

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (कानपुर) : मैं ''राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना'' के बारे में प्राक्कलन समिति (16वीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति (2016-17) का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

____

HON. SPEAKER: Now, we take up ‘Zero Hour’. Shri Kharge.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, we want to raise one important matter. Earlier, all the Members have also given notices of Adjournment Motion. Naturally, you have rejected all the notices of the Adjournment Motion.

HON. SPEAKER: Today also I have rejected all the notices of Adjournment Motion.

12.03 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Agitation by Anganwadi workers in many parts of the country including Karnataka due to reported move by the Union Government to reduce its share thereby affecting their salary and overburdening State Governments and also a need for increasing their honorarium

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): It is about the situation arising out of ongoing agitation by the Anganwadi workers in many parts of the country including Karnataka due to low salaries owing to the Central Government's decision to reduce its share from 90:10 to 60:40. This has overburdened various State Governments. Further, the Union Government has not increased the honorarium for Anganwadi workers since 2011-12. मैडम, वर्ष 2011-12 से अब तक उनका जो ऑनरेरियम है, वह इनक्रीज नहीं किया गया है। इस देश में कम से कम 36 लाख लोग काम करते हैं। आंगनबाड़ी के कम से कम 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं और उनके सहायक व अन्य कम से कम 25 लाख कर्मचारी काम करते हैं। पहले केंद्र सरकार की ओर से उनका ऑनरेरियम 3,000 रुपये और 1,500 रुपये फिक्स हुआ था। उसमें जो रेश्यो था, जिसमें 90 प्रतिशत भारत सरकार देती थी और 10 प्रतिशत राज्य सरकारें देती थीं। इस सरकार के आने के बाद उस रेश्यो को रिड्यूस कर के 60 प्रतिशत केंद्र सरकार दे रही है और 40 प्रतिशत राज्य सरकारें दे रही हैं। इससे राज्यों के बजट पर बोझा पड़ गया है और एक भारी संकट आया है। राज्य सरकारें दे भी नहीं सकतीं और मिनिमम वेजेस के तहत उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है।

इसीलिए, खासकर कर्नाटक में कम से कम 68 हजार लोग सत्याग्रह पर हैं और पूरे देश में कम से कम 35 लाख लोग इसमें इनवोल्वड हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि सरकार इसे सीरियसली ले और जो पहले 90:10 का रेश्यो था, वह रेश्यो रिस्टोर करे और ऑनरेरियम को बढ़ाए। क्योंकि एक तरफ हम मिनिमम वेजिज की बात करते हैं और उन्हें इम्पलायमैन्ट देने की बात भी कहते हैं, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए उनकी प्रोत्साहन राशि नहीं बढ़ा रहे हैं। यह केन्द्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और केन्द्र सरकार को इसके लिए तैयार होना चाहिए।

दूसरी तरफ आबादी बढ़ रही है, कुपोषण भी बढ़ रहा है। गरीब बच्चे उचित शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाते हैं। अगर उनकी अटेंडेन्स ठीक रखनी है तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और मिडडे मील को इफैक्टिवली इम्पलीमैन्ट करना जरूरी है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इसे इमिडिएटली रिस्टोर करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके साथ अन्याय होगा और इस देश में एक बहुत बड़ा एजिटेशन होगा। क्योंकि ये 35 लाख लोग हैं। कई स्टेट्स में 10 हजार, 15 हजार, 50 हजार और एक लाख तक लोग काम करते हैं। इस तरह से एक-एक राज्य में ये लोग बहुत बड़ी संख्या में काम करते हैं। शायद मोर ओर लैस जितने गवर्नमैन्ट सर्वेन्ट्स होते हैं, उतनी संख्या में ये लोग भी हैं या उनसे भी ज्यादा हैं। एक तरफ आप स्टेट्स को मजबूत करने और उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब आपने प्लानिंग कमीशन को अबोलिश कर दिया...

माननीय अध्यक्ष : आप कितनी सारी बातें बोल रहे हो, आपने अपना विषय रख दिया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, यह मेरा विषय है, आपका विषय है, सबका विषय है।

माननीय अध्यक्ष : यह सबका विषय है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह हर जगह है।

माननीय अध्यक्ष : आप चिंता मत करो, यह सबका विषय है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसीलिए यह जरूरी है...(व्यवधान) यही लोग हर काम करते हैं, चुनाव में काम करते हैं, हर जगह जाते हैं, सैंसज में काम करते हैं। इनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सैलरी बहुत कम है।

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि वूमैन एंड चाइल्ड वैलफेयर के जो कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं, वह कम से कम इसका उत्तर दें और आश्वासन दें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री पी.के.बिजू, श्री एम.बी.राजेश, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन तथा श्री शंकर प्रसाद दत्ता को श्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : इसी बात के लिए आप बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उनकी बात से सहमत हो जाइये।

SHRI MOHAMMAD SALIM : Madam, you will appreciate that most ICDS, Anganwadi and mid-day meal workers, almost 100 per cent of them, are womenfolk. वे कमजोर तबके से आते हैं और यह कमजोर तबकों की स्कीम है। लेकिन अगर वे खुद कुपोाण के शिकार होंगे। आप सब सैक्शंस की इनकम रेज करने की बात कर रहे हैं तो ये जो स्कीम वर्कर्स हैं, आई.सी.डी.एस. वर्कर्स हैं, इनके ऑनरेरियम को बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, इस मांग का मैं समर्थन कर रहा हूं।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, खड़गे साहब ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स के बारे में बहुत विस्तार से बात रखी। इसमें केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार का शेयर होता है। केन्द्र सरकार का तीन हजार रुपये का शेयर होता है और प्रदेश सरकार अपने शेयर को बढ़ा सकती है। आज कर्नाटक में आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो एक जन-आंदोलन चल रहा है, वहां की प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स को जितना पैसा देना चाहिए, वह उतना नहीं दे रही है, इसके कारण वहां आंदोलन चल रहा है। ...(व्यवधान) लेकिन खड़गे साहब ने उसे तोड़-मरोड़ कर यहां पेश करने की कोशिश की है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उनकी पूरी बात सुन लीजिए, यह ठीक नहीं है, हल्ला मत कीजिए। पहले उनकी पूरी बात सुन लीजिए, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : आप सुनने का धैर्य रखिये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको क्या मालूम है, आप बैठिये।

श्री अनन्तकुमार : मैडम, 2015-16 में 362 करोड़ रुपये आई.सी.डी.एस. जनरल के लिए कर्नाटक राज्य के लिए रिलीज किये गये। लेकिन कर्नाटक प्रदेश सरकार ने अपने स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर में, सन् 2015-16 में, 2011 करोड़ रूपये सैंट्रल शेयर दिखाया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने पत्र लिखा और उनसे सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू की। डेढ़ सौ करोड़ रूपये की मिसिंग कैसे हो रही है, वह पैसा कहां गया, ऐसा कर्नाटक सरकार से पूछा गया। ...(व्यवधान) जो पैसा भारत सरकार ने दिया। ...(व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूँ न। ...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : He is misleading. … (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: I am not misleading on anything. Madam, I am authenticating it with papers and placing them before you. … (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, 90 प्रतिशत केंद्र सरकार देने वाली थी, 10 प्रतिशत राज्य सरकार का था। ...(व्यवधान) यह सब ...* है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This cross-questioning will not go on record. यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : मैडम, जो डेढ़ सौ करोड़ रुपये उनको भेजा गया था, वह कहां खर्च हुआ है, एक्सपेंडीचर की डिटेल्स, उसके आंकड़े अब तक कर्नाटक प्रदेश सरकार ने नहीं दिए हैं। ...(व्यवधान) इतना ही नहीं है, मैं एक और आंकड़ा देना चाहूंगा। ...(व्यवधान) मैडम, हमारे विपक्ष के नेता ने अभी-अभी जो उद्‌गार निकाला ... * यह अनपार्लियामेंट्री है। ...(व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान) मैडम, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तराखण्ड, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा आदि कई प्रदेश सरकारों ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जितना राज्य का शेयर है, उससे अधिक पैसा ये सभी प्रदेश दे रहे हैं। यदि कर्नाटक की ... *को आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में रंच भर भी संवेदना है, तो जितना भारत सरकार तीन हज़ार रूपये दे रहे हैं, उसके बराबर, 50%, तीन हज़ार रूपये वे भी दे सकते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। ...(व्यवधान) लेकिन सिर्फ तीन हज़ार रूपये ही वे दे रहे हैं। इस बजट में भी कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। मैं आपके सामने एक और आंकड़ा रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबी बात हमारे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने की है। कर्नाटक में जितने आंगनवाड़ी सेविकाओं को भर्ती करना चाहिए, यानि 65911 आंगनवाड़ी वर्कर्स का सैंक्शंड पोस्ट भारत सरकार से है, मैं माननीय खड़गे साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने सभी पदों की भर्ती कर ली है? ...(व्यवधान) क्या कर्नाटक में बेरोज़गारी नहीं है? क्या काम नहीं है? लेकिन आपने भर्ती नहीं की है। आपने सिर्फ 63186 आंगनवाड़ी वर्कर्स को भर्ती किया है, इसलिए अभी भी 2700 आंगनवाड़ी वर्कर्स की जगह खाली है। मैं यह भी उनको बताना चाहूंगा। ...(व्यवधान) इसलिए माननीय खड़गे जी आप आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में घड़ियाली आँसू न बहाएं। आँगनवाड़ी वर्कर्स के साथ मोदी सरकार है। उनकी बीमा योजना के बारे में, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप के बारे में, हर चीज़ के बारे में, पिछले ढाई सालों में काफी काम किया है और करते रहेंगे। यह मैं कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran …

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बार-बार यह नहीं होता है। लिखित में नहीं पढ़ना है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

Shri N.K. Premachandran, please continue.

*…(Interruptions) …**

माननीय अध्यक्ष : यह नहीं चलेगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बार-बार यह नहीं होता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी, क्या आपको नहीं बोलना है?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यहाँ यह चर्चा नहीं हो रही है। आप बैठिए।

…(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, my 'Zero Hour' submission is in respect of … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing is going on record. आप क्यों बोल रहे हैं? आप तकलीफ मत उठाइए। Nothing is going on record.

…(Interruptions)… *

HON. SPEAKER: Pramachandran ji, you do not want to raise the matter.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, my 'Zero Hour' submission is in respect of constituting the Wage Board for the working journalists and non-journalists working in the print and electronic media.

The wage and conditions of service of the working journalists and the non-journalists working in the print media are governed by the Working Journalists

* Not recorded

Act, 1955. Under those provisions a wage board is being constituted and the wages and conditions of service of the journalists are revised once in five fears. Though the stipulation under the Journalists Act of 1955 is, the wage condition should be revised once in five years, the wages and condition of service have not been revised. The last Wage Board Committee was constituted 16 years past. Madam, 16 years have elapsed since the last Committee was constituted. You may kindly see that most of the newspaper industry in India has not even implemented the recommendations of the Majithia Wage Board.

I urge upon the Labour Ministry to immediately constitute a wage board to revise the wages and conditions of services of the working journalists and non-journalists who are working in the print media.

The Working Journalists Act was enacted in the year 1955 and was amended in 1956, 1957 and 1979. But in the year 1979 there was no visual media or electronic media. Thousands and thousands of journalists are working in the electronic media. They do not come under the purview of the Wage Board and the Journalists Act. Media is the fourth estate of our democratic system. Definitely, their interest has to be protected. So, the working journalists and non-journalists, who are working in the visual and electronic media, should also be brought within the purview of the Working Journalists Act and also within the purview of the Wage Board so that their wage will be protected.

Most of the newspapers are mercilessly retrenching the journalists and non-journalists without observing the labour laws and rules. I would urge upon the Minister to ensure stringent enforcement of the labour laws in the newspaper industry and in the media industry. With these words, I conclude. Thank you very much.

HON. SPEAKER: S/Shri Mullappally Ramachandran, Sankar Prasad Datta, Md. Badaruddoza Khan, P.K. Biju, Jitendra Chaudhury, M.B. Rajesh, Jose K. Mani, Adv. Joice George, Dr. Mamtaz Sanghamita, and Kunwar Pushpendra Singh

Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri N.K. Premachandran.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद इसलिए, क्योंकि आपने एक नई परम्परा की शुरूआत करने का कार्य किया है। अब तक अमर शहीदों का नाम लेने से भी कुछ लोग यहाँ कतराते थे, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। यह विषय उनके बारे में एन.सी.ई.आर.टी. की किताबों में आया था जिन भारत माँ के अमर सपूतों को आज आपने श्रद्धाँजलि दी है।

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय इससे अलग है।

श्री शरद त्रिपाठी : मैं सबसे पहले आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर राजगुरू, सुखदेव, प्रसाद और भगत सिंह को ह्रदय से श्रद्धाँजलि व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज पूरे देश के लिए यह विषय था। कभी हम कहा करते थे कि "जिन वीरों ने स्वच्छंद तिरंगा भारत पर लहराया और मिली न उनको एक दिवस भी इसकी शीतल छाया।"

उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि आज डॉ0 राम मनोहर लोहिया का जन्मदिवस भी है। आदरणीया स्मृति ईरानी जी का भी जन्मदिवस है। आज ओम प्रकाश यादव जी, सांसद जी का भी जन्मदिवस है। मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : क्या आपका कोई विषय नहीं है?

श्री शरद त्रिपाठी : महोदया, मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में एक जैविक अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना हुई थी, लेकिन तत्कालीन प्रदेशों के राजनीतिक तुष्टिकरण के कारण आज वह जैविक अनुसन्धान केन्द्र काम नहीं कर रहा है, वह निष्प्रयोज्य हो गया है। चूँकि भगत सिंह युवा शक्ति के प्रतीक थे, उस अनुसन्धान केन्द्र में युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो आज मैं उनकी शहादत दिवस के अवसर पर आपसे विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा कि उस जैविक अनुसन्धान केन्द्र को पुनः जीवित करके और उसे भगत सिंह युवा जैविक अनुसन्धान केन्द्र का नाम देते हुए शुरू किया जाये, जिससे बेरोजगार उसमें आसानी से रोजगार पायें और उस क्षेत्र का विकास हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. SPEAKER: S/Shri Bhairon Prasad Mishra, Chandra Prakash Joshi and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Sharad Tripathi.

DR. MRIGANKA MAHATO (PURULIA): Thank you, Madam. The farmers of different parts of the country, particularly in my constituency, Purulia, which is

one of the remote districts of South Bengal, are facing severe problem regarding conservation of their vegetables and fruits due to shortage of cold storage.

I would like to request the Central Government to take immediate measures and actions in this regard so that at least five cold storages be built in every district to save the vegetables and fruits of the farmers from being destroyed due to non-availability of conservation.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Dr. Mriganka Mahato.

श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 'डिजीटल इंडिया' के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने हिन्दुस्तान को एक सुपर स्पीड से बढ़ाने के लिए शुरूआत की है। इसलिए पूरा देश उनका आभारी है। जैसे-जैसे हम डिजीटल की दुनिया से परिचित होते हैं, वैसे-वैसे हमारे सामने नई-नई बातें आती हैं, जिसके लिए बहुत तेजी से नए कानून बनाने की जरूरत भी पड़ती है।

भारत देश में न्यायिक कोर्टों में भारी संख्या में सी.सी.टी.वी. कैमरे से संबंधित ज्युडिशियल केसेज बिना कोई फैसले के पड़े हैं, जो अपनी लम्बी न्यायिक कार्यवाही की वज़ह से वर्षों से पड़े हैं। इसमें तेजी से नए केसेज भी बढ़ रहे हैं। डिजीटल क्रांति की वज़ह से अब पूरे देश में सी.सी.टी.वी. कैमरे लग रहे हैं। प्राइवेट ज़गहों से लेकर सारे पब्लिक परिसरों पर भी बहुत तेजी से ये लगाए जा रहे हैं।

देश के कोर्ट्स में ऐसे कई सारे केसेज हैं, जिनमें आरोपी गलत काम करते हुए ऐसे कैमरे में पकड़े गए हैं, जो उनका गुनाह साबित करने के लिए काफी है। लेकिन, फिर भी कोर्टों में साक्षी का बयान लिया जाता है और संबंधित साक्षी न होने के कारण न्याय में देरी होती है या अपराधी छूट भी जाता है।

महोदया, मेरा मंत्रालय से विनती है कि ऐसे अपराधी, जिनका गुनाह कैमरे में पाया जाता है, तो उसकी बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया किए, तुरन्त उसकी सुनवाई कर उन्हें सज़ा देनी चाहिए। ऐसा कानून बनाने की जरूरत है। इससे कोर्ट्स में भी न्यायिक केसों की संख्या कम होगी।

HON. SPEAKER: Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri D.S. Rathod.

SHRI THUPSTAN CHHEWANG (LADAKH): Thank you, Madam Speaker. The Central Government employees serving and posted in remote and extremely difficult stations in our country are given special incentives and allowances from

time to time to encourage them to serve in such difficult stations. The Ladakh region of Jammu and Kashmir State is the most remote and difficult stations of our country. In view of its extreme hard geo-climatic conditions and the high cost of living, the 6th Central Pay Commission had recommended and the Government having accepted, it was being paid a Special Duty Allowance (SDA) at the rate of 12.5 per cent in addition to a Special Compensatory Allowance called Remote Locality Allowance.

The 7th Central Pay Commission, in their report, is stated to have recommended abolishing these allowances. The Central Government employees serving in Ladakh have been demanding and agitating for an increase in these allowances. Instead the Pay Commission is seem to have recommended its abrogation. The Empowered Committee of Secretaries are in the process of review and finalization of the report.

I urge upon the Government to make tough location allowance admissible to the Central Government employees serving in Ladakh as per the rates mentioned against R2H2 of the Risk and Hardship Matrix Table in addition to SDA and also enhance Special Duty Allowance to 25 per cent to make it at par with the Central Government employees serving in the Andaman and Nicobar Islands.

मैडम, जो लद्दाख क्षेत्र है, वह सबसे डिफीकल्ट स्टेशन है। वहां कोई सेन्ट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाई जाने को तैयार नहीं है। इससे वहां का काम सफर हो रहा है। वहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइज़ की संख्या बहुत कम होती जा रही है। वहां पर इतना कम एलाउंस दिया जाता है कि ग्रेड-बी सिटीज से भी कोई वहां जाने को तैयार नहीं है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर गौर करे और सेवेन्थ पे कमीशन में यह रिकमेंडेशन जरूर शामिल हो, यह मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Thupstan Chhewang.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदया जी, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश के सभी नागरिकों को अपना जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, यह अधिकार भारत के संविधान द्वारा दिया गया हैं। अगर देश के प्रत्येक चुनाव को देखा जाए, तो केवल 50-60 प्रतिशत लोग ही अपने जन प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान करते हैं, लेकिन कई सारे लोग मतदान नहीं करते हैं। कई ऐसे मतदाता हैं, जिनका नाम तीन-चार जगहों पर वोटिंग लिस्ट्स में होता हैं। कई जिलों व राज्यों में ऐसे नागिरक हैं, जो नौकरी या व्यवसाय के काम से बाहर चले जाते हैं, उनका नाम कई वोटिंग लिस्ट में होता है। हमारे देश के प्रत्येक नागिरक को मतदान का अधिकार होना चाहिए, लेकिन देश में एक मतदाता का नाम एक ही वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए, उसे एक ही जगह मतदान करने का अधिकार होना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि देश के सभी नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए कि सभी वोटिंग लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। अगर आधार कार्ड का एक ही नंबर सभी वोटिंग लिस्ट से जोड़ा जाता है तो देश में कहीं पर भी बोगस वोटिंग नहीं होगी। मैं आपसे इसकी मांग करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to raise an important issue regarding the voters of my parliamentary constituency who are now in other State. मैं गवर्नमेंट से जानना चाहता हूं तथा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह समस्या आपको भी मालूम है। यह आदिवासी लोगों की समस्या है। हमारे यहां के 60 हजार आदिवासी लोगों को सात मंडल के जरिए आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया था। ये 60 हजार लोग मुझे वोट देकर जिताए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन 60 हजार लोगों के एम.पी. कौन है, एम.एल.ए. कौन है और ये लोग अपनी समस्या के बारे में किससे पूछेंगे? ये लोग बहुत ही पैथेटिक कंडिशन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसी भी राज्य में कहीं भी मीटिंग हो, हमारे कई नेता यहां पर बात करते हैं कि वहां पर आदिवासी व जनजाती लोग हैं, हम लोग उनका भला कर रहे हैं। मैं जिस दिन से पार्लियामेंट में आया हूं, उसी दिन से मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उनका एम.पी. कौन है, पहले वहां पर हमारा हेडक्वार्टर भद्राचलम था, जहां पर भगवान श्रीरामचंद्रममूर्ति जी का मंदिर है। वहां पर लोग 10

से 15 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, ये लोग अभी भी मेडिसिन जैसे आवश्यक चीजों के लिए इधर आ रहे हैं।

12.27 hours (Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

वहां पर जो लोग हैं, उन लोगों को वन हंड्रेड-टू हंड्रेड किलोमीटर तक बाहर जाना होता है। इनके बारे में कम से कम इतना सोचना चाहिए कि इनका कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सोचना चाहिए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now. You are telling some other thing.

प्रो.ए.एस.आर.नायक : दूसरे, वहां पर चार ग्राम पंचायत है। मैं आदिवासी लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। एक स्ट्रोक में वहां के 60 हजार आदिवासी लोगों को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। अगर आप मुझे इनके लिए एक मिनट का समय बोलने के लिए नहीं देते हैं, तो मैं यहां पर क्या करूँ These seven Gram Panchayats have been shifted on the pretext of Polavaram project. यह ठीक है कि ये लोग दूसरी तरफ चले गए हैं। ये चार ग्राम पंचायत सब-मर्जड नहीं हैं। भद्राचलम के बाद जो ग्राम पंचायत है, वहां से आंध्र प्रदेश का रीजन आ जाता है। आदिवासी लोग वहां से कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। वहां के लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Prof. A.S.R. Naik.

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। सम्मानीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो पूर्व एन.डी.ए. की सरकार थी, उसके कार्यकाल में विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन इस देश के लिए हुआ था। साथ ही तीन राज्यों का गठन भी हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। मैं इस सदन के माध्यम से सम्मानीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं।

हमारे छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में 9 जिलों का निर्माण हुआ है। इन जिलों के निर्माण के बाद विकास की परिकल्पना आम लोगों तक पहुंच रही है। सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी द्वारा जब से मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से किया जा रहा है, निरन्तर आम लोगों में रेडियो के प्रति आर्कांण बढ़ा है। साथ ही साथ शिक्षा,

स्वास्थ्य, रोजगार और मनोरंजन के साथ ही साथ जो आम लोगों की जानकारी और जागरूकता है, इसके माध्यम से बढ़ी है।

मैं बिलासपुर लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। बिलासपुर लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत मुंगेली, नवनिर्मित जिला है, जो मेरा गृह क्षेत्र भी है। मैं आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री से गुजारिश करूंगा कि वहां पर एफ. एम. बैंड रेडियो स्टेशन की स्थापना की जाए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Lakhan Lal Sahu.

12.30 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS ….Contd.
(ii) Re: Intrusion into fundamental rights of the citizens by the State machinery

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाना चाहती हूं। आज भगत सिंह जी की पुण्यतिथि है, शहीदी दिवस है, उनके साथ ही राजगुरू, सुखदेव जी की भी है। उनकी एक कोटेशन याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि "बुराई तब नहीं बढ़ती, जब बुरे लोग बढ़ जाते हैं, बुराई तब बढ़ जाती है, जब सहने वाले लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं।" मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। मैं जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब प्रदेशों में इस तरह की घटनायें होती हैं, तो सदन जो सबसे बड़ी पंचायत है, तब इस सेंटर की गवर्नमेंट को उसको देखना पड़ता है कि क्या वहां संविधान की अवहेलना हो रही है। अगर आप फुल मेजारिटी में आते हैं और लोकतंत्र के कारण आते हैं, तो क्या लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, लोगों की, युवाओं की, बच्चियों की आजादी का मजाक उड़ाना या उसी का कानून बनाना और कोई भी मनमानी करना ही राज्य या सत्ता होती है।

मैं यह नहीं कह रही हूं कि मैं अश्लीलता के खिलाफ नहीं हूं या जो बच्चे फूहड़ता करते हैं, हम लोग उनके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन यह किस तरह का कानून है कि कानून की आड़ में आप किसी भी लड़का-लड़की को उठक-बैठक करा रहे हैं, किसी के भी कान खींच रहे हैं। कोई भाई-बहन जा रहे हैं, उनको भी बुरी नजर से देखा जा रहा है। क्या हमारे हिंदुस्तान में प्यार करना गलत है, क्या गर्ल फ्रैंड, ब्वाय फ्रैंड होना गलत है? अगर वे सभ्य तरीके से बैठे हुए हैं, तो उनको क्या हक है कि पुलिस जाकर छेड़े कि आपको पार्क में नहीं बैठना है? क्या आज सरकार यह तय करेगी कि लड़का-लड़की को पार्क में किस तरह से बैठना है, कैसे बैठना है, क्या इसका कोई मापदण्ड तय होगा? …(व्यवधान) जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बूचड़खाने के तौर पर कुछ जातियों को और आज एक आईपीएस की अखबार में स्टेटमेंट आई है, उसमें एक जाति विशेष के लिए कहा जा रहा है तो मैं कहूंगी कि जो आपके पांच मिनिस्टर्स हैं, उनको भी हटा दीजिए। जिस तरह से यादवों, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाई जा रही है, यह संविधान की अवहेलना है, युवाओं की अवहेलना है, हमारी आजादी की अवहेलना है, जिसकी सरकार को जांच करनी चाहिए। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: He is replying.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Sanghamita Mamtaz, Shri P.K.Biju, Shri M. B. Rajesh and Shri K.C. Venugopal are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Ranjeet Ranjan.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): They have to sit down, when hon. Home Minister is answering.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सरकार बने बामुश्किल दो-तीन दिन हुए हैं और मैं समझता हूं कि …(व्यवधान) आतंक छाने का कोई सवाल ही नहीं है। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है, मैं यह स्पट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कास्ट, क्रीड अथवा रिलीजन की बेसिस पर किसी भी सूरत में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनिशन नहीं करती है। आपने देखा होगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने भी अपनी पहली प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि मैं एक ही सिद्धांत को अपनाकर चलूंगा, 'सबका साथ और सबका विकास'। इसी सिद्धांत को ही अपनाकर वे वहां पर काम कर रहे हैं। …(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : आपसे बड़ा देवता कोई नहीं है। …(व्यवधान), आप ही संभाल सकते हैं। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him reply.

… (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : माननीय गृह मंत्री जी …(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : धर्मेन्द्र जी, बैठ जाइए। …(व्यवधान) यदि कोई स्पेसिफिक इंसीडेंट ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, यदि उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो मैं उसे दिखवा लूंगा। …(व्यवधान)

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on an important issue.

I would like to draw the attention of the Minister of HRD through you that there is no Kendriya Vidyalaya in my parliamentary constituency, Murshidabad. So, the children of my constituency are not getting any admission or reading opportunity in the Kendriya Vidyalaya.

Also, I suggest names of ten children for admission to the nearest Kendriya Vidyalaya in the adjacent constituency as there is no Kendriya Vidyalaya in my constituency. These children are also facing huge difficulty to attend classes regularly in those Kendriya Vidyalayas.

So, I request the hon. Minister through you to kindly set up a Kendriya Vidyalaya in Islampur which is actually in my constituency, 11-Murshidabad of West Bengal.

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): Hon. Deputy Speaker Sir, Indian citizens, residents of my Parliamentary constituency, Jangipur and Murshidabad, West Bengal are being detained and prosecuted as illegal Bangladeshi immigrants to Assam Government. Please note that these people are engaged in small businesses like selling plastic items, mosquito nets, gamcha, etc. in different parts of Assam and other States across the country.

In this regard, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities of the Government of India that about 400 persons, both Hindu and Muslims, are currently being prosecuted by Assam Government as illegal Bangladeshi immigrants.

I wonder, if this prosecution of these Indians citizens is because of the language they speak which is similar to a national language of our neighbouring country.

Sir, as per the Indian Constitution, Indian citizens can move or live or earn their bread across the country. Prosecution of domicile of one State by the other State as a foreigner is uncalled for.

In this context, I demand Government of India's intervention to stop this illegal and unethical prosecution of bonafide Indian citizens of my constituency by a State Government like Assam.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Mamtaz Sanghamita and Shri Md. Badaruddoza Khan are permitted to associate with the issue raised by Shri Abhijit Mukherjee.

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सौराष्ट्र क्षेत्र विशेषकर राजकोट के औद्योगिक एवं व्यावसायिक लोगों की काफी समय से लंबित मांग की ओर दिलाना चाहता हूं। जैसे आप जानते हैं, राजकोट शहर की आबादी 30 लाख है तथा यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में व्यावसायिक एवं आर्थिक हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। गुजरात के इस भाग के लोग राजकोट-दिल्ली-राजकोट सैक्टर में सीधी वायु सेवा में सीटों की क्षमता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस रूट पर चलने वाले एयरक्राफ्ट की सिटिंग क्षमता काफी कम है और यह राजकोट, मोरबी, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, सुरेन्द्र नगर, अमरेली, भावनगर तथा कच्छ के यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। आप सहमत होंगे कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने, उसका विकास करने तथा व्यावसायिक पर्यटकों और सोमनाथ एवं द्वारका मंदिर जैसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने वाले धार्मिक पर्यटकों के आसानी से आवागमन के लिए हमें इस रूट पर वर्तमान फ्लाइटों में सीटों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ एयर कनैक्टिविटी भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं इस क्षेत्र में वायु सेवा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि दिल्ली-राजकोट-दिल्ली सैक्टर में चलने वाली फ्लाइटों में बैठने की क्षमता बढ़ाई जाए। यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली-उदयपुर की फ्लाइट को राजकोट तक बढ़ाया जाए।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उपरोक्त सुझावों पर विचार करें।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya.

प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे जन सामान्य की पीड़ा को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सीबीएसई एफलिएटिड करीब 18,700 स्कूल हैं। इन स्कूलों पर न तो राज्य सरकार और न ही सीबीएसई का नियंत्रण है। इसका परिणाम

यह है कि प्राइवेट स्कूल और संस्थान दो हजार से लेकर दस हजार रुपए तक प्रति माह फीस वसूल करते हैं। इसके अतिरिक्त डोनेशन के नाम पर एक लाख रुपए ले लिया जाता है। यह सब तो है ही और साथ में कॉपी, किताबें, जूते आदि एक ही निश्चित दुकान से खरीदने को विवश किया जाता है। जो आंकड़े आए है, इसमें केवल मध्य प्रदेश में करीब 2000 करोड़ के कमीशन की हेराफेरी हो सकती है। अगर पूरे देश में इस नजर से देखा जाए तो करीब 50,000 करोड़ का केवल खरीदी की कमीशन का मामला है, जो अभिभावकों को उठाना पड़ता है। सुविधाओं के नाम पर आरओ का पानी तक बच्चों को उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। मासूम बच्चों को इतने भारी बस्ते के साथ एक लीटर पानी की बोतल भी उठानी पड़ती है। यह सीबीएसई स्कूलों की स्थिति है। यह बहुत महत्वपूर्ण विाय है कि नियंत्रण न होने के कारण एक अलग तरह की कसमसाहट और पीड़ा समाज में है। शिक्षा के नाम पर बाजारीकरण और व्यावसायिकरण किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि एक नियामक संस्था बनाई जाए और दिशानिर्देश जारी किए जाएं ताकि सीबीएसई स्कूलों द्वारा जो लूट मची है और जो नियंत्रणहीनता स्कूलों के नाम पर आ गई है, समाप्त हो सके।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are allowed to associate with the matter raised by Prof. Chintamani Malviya.

*SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Deputy Speaker Sir, Vanakkam.

In our country, in every 15 minutes, a person joins the waiting list meant for organ transplantation. And in every 10 minutes, a person dies due to non-availability of organs for transplantation. There are legal options available for organ donation of the deceased. But at the same time, a person who is alive and wanting to donate his organ has no legal support for doing the same. As per legal provisions one can donate organs like kidney through organ donation to only the close relatives. However in the organ transplants that take place in the country 90 to 95 percent are done through the organs donated by living donors. At the same time only 5 to 10 percent of these organ transplants are done through the organs

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

taken from deceased donors. In foreign countries, the organ transplants done through organs received from deceased donors, stand at 80 percent whereas the same is at 0.1 percent in our country. I therefore urge that awareness should be created among public about organ donation. Moreover some private hospitals charge exorbitant amount of nearly 40 lakh rupees from the persons who need kidney for transplantation and indeed in turn pay a maximum of up to Rs.2 lakh to the actual donors. Therefore, I urge upon the Union Government to explore the implementation of the legal options relating to selling and receiving of organs after the sale amount is paid fully to the donor. Without the influence of middlemen, the sale amount should be paid into the bank account of donors. Therefore my appeal to you is to legalize the selling of organs in our country. It is through which we can even prevent all the illegal practices that prevail due to several restrictions in place, particularly for kidney transplants. I therefore urge upon the Union Government to take necessary steps for legalizing the voluntary sale of organs by any living human being and for ensuring safer organ transplantation. Thank you Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shrimati V. Sathyabama are allowed to associate with the matter raised by Shri K. Ashok Kumar.

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भारतीय रेल सेवाओं में आर.आर.बी. से पास होकर सीधी नियुक्ति प्राप्त अभियंताओं को समयबद्ध पदोन्नति के साथ ग्रुप बी श्रेणी में रखने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भारतीय रेल में लगभग तीन हजार से ज्यादा सीधी नियुक्ति प्राप्त अभियंता कार्यरत हैं, जो भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में बीटेक, एमटेक या समकक्ष डिग्री धारक हैं। रेल इनकी नियुक्ति गुप सी श्रेणी तक सीमित रखती है, जबकि अन्य केंद्रीय संस्थानों में राज्य सरकारों ने इन्हें ग्रुप बी राजपत्रित श्रेणी में रखा है। सीधी नियुक्ति प्राप्त अभियंताओं को न तो समयबद्ध पदोन्नति, न पूरे सेवा काल में उच्च पद को प्राप्त कर पाते हैं। जबकि 10+2 एवं आईटीआई पास ग्रुप डी श्रेणी कर्मी वरिष्ठ अनुभाग अभियंता बन जाते हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सेवाओं में लागू नियमों की तरह सीधी नियुक्ति प्राप्त अभियंताओं को समयबद्ध पदोन्नति एवं ग्रुप बी श्रेणी में रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Laxman Giluwa.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Hon. Deputy Speaker, Sir, today I would like to state that a meeting was held on 16.11.2016 under the chairmanship of hon. Minister of Road Transport, Highways and Shipping in his chamber with the State PWD Minister of Tripura and other high officials of Central and State Governments. In that meeting the issues concerning National Highways in Tripura from Chorabari to Sabroom, from Amtali to Sabroom, NH-208 from Kumarghat to Sabroom, NH-208A from Kailashahar to Chandkhira, and NH-108B from Khowai-Agartala were discussed. Construction of bridges on rivers Gomati, Feni and Mohori was also discussed. In the said meeting, it was discussed and decided that sanction would be given by January, 2017. We are in March, 2017. Four months have elapsed. Due to bad condition of road, transportation of food and other necessary essential products have become a problem. Roads from Assam side are not maintained properly. It is our request and I also urge upon the Ministry of Road Transport that the roads of Tripura are to be constructed on a priority basis. Roads from Assam side also have to be maintained.

Lastly, now a days, all the Central Ministers are visiting our State and making many bombastic speeches with big things…… … (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The Ministry of AYUSH has planned for setting up of a National Institute for Nature Cure and Yoga Institute in Kerala. Nature cure and yoga treatment are very beneficial for the common man. Thousands of patients in the country need nature cure and yoga treatment. In Kerala, this treatment is very much liked by the people and there are a number of Ayurveda and

Siddha hospitals, at the same time there are not sufficient number of Nature Cure Hospitals in Kerala.

In Varkala, there is one Nature Cure Hospital and Yoga Centre, which comes under the Government of Kerala. If Government of India under the Ministry of AYUSH sets up a Nature Cure Institute, that would be of great help to the common man in Kerala. In my Parliamentary Constituency, Mavelikkara, there is one Leprosy Sanatorium at Nooranad, where leprosy patients are rehabilitated. This Sanatorium has more than 150 acres of land. If the Government of India requests the Government of Kerala to get 10 to 15 acres of land from it, the proposed National Institute of Nature Cure and Yoga can be set up at this place.

The Leprosy Centre at Nooranad is an ideal place for setting up the said institute because it is equidistant from the East, the State Highway and on the West, the National Highway. The Leprosy Centre at Nooranad is also very near to the Mavelikkara, Changanassery and Kayamkulam railway stations.

Hence, I would like to request the hon. Minister of AYUSH to approach the Government of Kerala for getting 10 to 15 acres of land from the Sanatorium for establishing the proposed Nature Cure and Yoga Institute in Kerala.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): उपाध्यक्ष जी, मुम्बई में मुम्बई महानगरपालिका के 1200 स्कूल हैं, जिनमें लगभग साढ़े पांच लाख बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी एजुकेशन देने की जिम्मेदारी मुम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन की है, सेकण्डरी और हायर एजुकेशन देने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। दुर्भाग्य से मुम्बई में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी स्कूल नहीं है।

मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर से मांग करता हूं कि मुम्बई में जो बीएमसी के 1200 स्कूल हैं, वहां केन्द्रीय विद्यालय शुरू किया जाए। राइट टू एजुकेशन कानून के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिस्पांसिबिल्टी है, उसके तहत मुम्बई शहर में केन्द्रीय विद्यालय शुरू किए जाएं तो मुम्बई के आम बच्चों को उसका लाभ मिलेगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Rahul Shewale.

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Hon. Deputy-Speaker, I am thankful to you for giving me an opportunity to raise an urgent matter of public importance.

The Banjaras have a unique culture of their own. This community occupies an important role in the Indian culture. But today, a majority of the people of this community is in vicious cycle of poverty. Many people are in debt trap and they are selling even their baby girls. Some people are even migrating from their area.

Sir, 85 per cent people of this Banjara community are consuming alcohol at an early age. Sixty-seven per cent people of this community are malnourished. They are frequently exposed to the waterborne diseases also.

Sir, today, in the Telangana villages, the Banjara culture, their social system, administration system, economic system and societal values are getting eroded in this globalization era.

Sir, in this regard, I would demand that the Sathguru Sevala Maharaj Jayanti, which is celebrated in Telangana on 15th February, should be celebrated all over India and 15th February should be declared as a public holiday.

There should be 12 per cent reservation for the Banjara community. Similarly, I would also request that the Mathura and Lambadi communities, which presently come under Backward Classes, should be converted into Scheduled Tribe category, which is currently pending with the Chellappa Commission.

Sir, we are grateful that recently the Telangana Government has already sanctioned one acre of land for Banjara Bhawan and Rs. 10 crore for Banjara Bhawan.

Under the Kalyan Laxmi Scheme for new marriage couple, the Telangana Government has increased the amount from Rs. 51,000 in 2016-17 to Rs. 75,116 in 2017-18 to be given to the Banjara Samaj. The Telangana Government has also

sanctioned a residential school in each and every Constituency in the State. Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Bheemrao B. Patil.

SHRIMATI HEMAMALINI (MATHURA): Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir for giving me this opportunity to raise an urgent and important matter. My subject is about establishing an Indian Consulate in Georgia.

I recently visited this beautiful country to attend a conference on the subject 'Women and Art for Economic Development' on the invitation of the Ambassador to European Council. I met many eminent personalities there from various fields. They are very fond of Indian art and culture; they are very fond of Bollywood films and artists; and they look up at the Indians with lots of respect. I met a lot of Indian people also. There are so many Indian tourists also who visit Georgia. There are also Indians who are settled down there like students, businessmen and some artists.

Sir, their only problem is that since there is no Indian Consulate in Georgia, for small, small documents relating to trade and tourists, they have to go all the way to Armenia and Azerbaijan as the Indian Embassies are there. So, they requested me to establish an Indian Consulate in Georgia as it would help them. A trade exchange between India and Georgia has registered an impressive growth in the last few years. There are many possibilities of cooperation between India and Georgia in various fields especially industrial, education and cultural sector.

So, it would be very nice if we can establish an Indian Consulate in Georgia. I would, therefore, request the hon. Minister of External Affairs to consider setting up an Indian Consulate in Georgia at the earliest. Thank you so much.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Hemamalini.

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही): उपाध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकृट करना चाहता हूं। स्वर्गीय दत्तोपन्त ठेंगड़ी दुनिया में सबसे बड़े किसान और मजदूर नेता थे, राज्य सभा के दो बार सदस्य रहे। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, सामाजिक समरसता मंच आदि तमाम संगठन इस देश के समाज की सामाजिक समरसता के मंच बने। उन्होंने समाज में जो काम किए हैं, देश की एकता-अखण्डता के लिए बहुत बड़े काम किए हैं।

मैं इस सदन में आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि उनकी स्मृति में, संसद में उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। उनकी मूर्ति यहां लगाकर उनकी स्मृति का संदेश पूरे देश में देना चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Gopal Shetty, Shri Rodmal Nagar, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Dr. Manoj Rajoria, Shri Hariom Singh Rathore, Shri Sumedhanand Sarswati, Shri Ravindra Kumar Pandey, Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Sharad Tripathi are permitted to associate with the issue raised by Shri Virendra Singh.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, earlier there was a plan allocation for modernization of State police force which has been discontinued from 2015-16. This has stalled several infrastructure projects pertaining to modernization of State police forces across the country. It has also badly affected the expansion and modernization programme of Odisha Police initiated by the Government of Odisha recently on account of rapid urbanization, industrialization and to a great extent because of the Maoist violence that is being prevalent in that State.

I, therefore, urge upon the Government to continue this type of Union Government allocation under the said Scheme to enable the State Governments not only of Odisha but other respective states to give momentum to the expansion and modernization programme of police forces.

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Sir, I would like to draw the attention of the Government towards the state of affairs of BSNL. In a highly competitive environment prevailing in the cellular services, it seems that BSNL is deliberately lagging behind in terms of competitiveness and decided not to acquire an edge over the private players.

All the private players in the cellular field have converted themselves into 4G whereas BSNL and MTNL are still in the 3G form. Even the private players are going in for 5G. We all MPs are allowed only to use BSNL and MTNL.

The revenue market shares of Airtel, Idea, Vodafone and Reliance Communication, in first quarter of 2017, have registered 35.5 per cent, 42.2 per cent, 17 per cent growth respectively while BSNL is only at 5.1 per cent.

Therefore, I urge upon the Government to take immediate steps for converting BSNL into 4G and 5G so that we will be at par with the private players. Thank you Mr. Deputy Speaker, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rajeev Satav and Shri M.B. Rajesh are permitted to associate with the issue raised by Shri M.I. Shanavas.

12.57 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS ...Contd

(iii) Re: Problems faced by jute industry

श्री तारिक अनवर (कटिहार): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे क्षेत्र की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या उठाने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया देता हूं। अच्छी बात यह है कि यहां स्मृति ईरानी जी भी मौजूद हैं और यह समस्या इन्हीं के मंत्रालय से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इस शुभ अवसर पर आप हमारी समस्या का समाधान कर दें तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और मेरे क्षेत्र के लिए नहीं हो सकती।...(व्यवधान)

मेरे क्षेत्र में एक जूट मिल है जो एन.जे.एम.सी. के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन पिछली जनवरी 2016 से वह बंद पड़ी है। उस मिल को अचानक बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां के जो कामगार, मजदूर और उनके परिवार हैं, उनका जीवन अधर में लटका हुआ है और उनका जीवन अंधकार में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय में कटिहार एक औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन धीरे-धीरे तमाम उद्योग वहां समाप्त हो चुके हैं। लोग वहां से बड़े-बड़े शहरों में पलायन कर रहे हैं। यह क्षेत्र जूट ग्रोइंग माना जाता है और है। जूट की पैदावार को देखते हुए दो जूट मिल वहां थीं और दो में से जो आर.बी.एच.एम. जूट मिल है, वह केन्द्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है और एक प्राइवेट मिल है, उसकी भी स्थिति बहुत ही दयनीय है, ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever you have suggested, the hon. Minister wants to respond to that.

श्री तारिक अनवर : सर, क्षेत्र का मामला है, ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is 'Zero Hour'. You cannot give any speech.

… (*Interruptions*)

श्री तारिक अनवर : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि एक तो जूट मिल बंद कर दी गई और दूसरे 40 दिन की मजदूरी भी उनको नहीं मिली है। आप समझ सकते हैं कि जो मजदूर पूरी तरह से इस पर निर्भर हैं, उनकी कितनी खराब स्थिति होगी।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Jitendra Choudhary is permitted to associate with the issue raised by Shri Tariq Anwar.

13.00 hours

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : माननीय सदस्य ने यह चिंता पत्र के माध्यम से भी व्यक्त की है और मैं आशा करती हूं कि पत्र का जवाब उन तक पहुंच गया होगा। यदि माननीय सदस्य के पास अभी तक जवाब नहीं पहुंचा है, तो उस जवाब की एक कापी मैं इन्हें दोबारा दे दूंगी।

जूट की समस्या का जहां तक बिहार से संबंध है, कल ही कृषि मंत्री राधा मोहन जी के साथ हमने संयुक्त बैठक जूट फार्मिंग के संबंध में की है। उसमें बिहार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। One of the biggest challenges in jute production is that the industry wants more and more diversified products but the crop quality is not so that it sustains or supports that diversification. And one of the biggest challenges in that is that more and more farmers do not have access to certified seeds. We had requested the representative of Bihar yesterday, who could not confirm, in the presence of both Ministers that they have been able to send the demand for the jute farmers of Bihar to the Central Government to certify seeds. … (*Interruptions*) Allow me to finish my answer. West Bengal was also a part of that meeting. The only issue in terms of the textile workers relief that he seeks is the issue that has already been addressed in the communication to him. I will give him a specific copy of that response if he has not read the response which has been sent to him.

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Thank you Deputy Speaker Sir, I would like to urge the Government to take action for imposing uniform tax including VAT on prices of petrol and diesel. There is different kind of taxes imposed by the State and the Central Government in price of petrol and diesel. Further, the Government has permitted oil marketing companies to fix the price themselves and change the same periodically.

Our former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma had been opposing such kind of taxes and the permission given by the Central Government to oil marketing companies to fix price for petrol. It is because of different kinds of taxes in States, the burden has been imposed on common people. Recently, the State Government of Tamil Nadu increased value added tax on prices of petrol and diesel. The VAT of petrol has been increased from 27 per cent to 34 per cent, while that on diesel from 21 per cent to 25 per cent with effect. Such kind of hike is against vision of our hon. Puratchi Thalaivi Amma who wanted to abolish different taxes and urged the Government to withdraw the rights give oil marketing companies for fixing prices.

Therefore, I request the Government to bring uniform tax on petrol and diesel.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Smt. V. Sathyabama are permitted to associate with the issue raised by Shri P.R. Sundaram.

Hon. Members, if you take half minute, I can accommodate most of the people. If you go on speaking, then, I cannot do it.

Shri Chandrakant Khaire, please take half minute.

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले दिनों देश भर के रेलवे अप्रेंटिस ने दिल्ली आकर सभी ट्रेंड अप्रेंटिस को नौकरी देने की मांग करते हुए धरना दिया था। रेल मंत्रालय के समक्ष उन्हें प्रशासन के विरोध का सामना करना पड़ा था और उन पर लाठी चार्ज भी किया गया था। परंतु मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इन बेरोजगार

ट्रेंड रेल अप्रेंटिस की ओर दिलाना चाहता हूं। पश्चिमी रेलवे में ग्रुप-डी के 12000 पद आज भी रिक्त हैं। इस पश्चिमी रेलवे में बेरोजगार ट्रेंड रेल अप्रेंटिस की संख्या 1600 के लगभग है। अन्य रेलवे जमीन के महाप्रबंधकों ने ट्रेंड रेलवे अप्रेंटिस को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी में बहाली की है। सिर्फ पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सरकार ने 20.06.2016 को घोाणा की कि ग्रुप-डी की नौकरियों में 20 प्रतिशत का आरक्षण ट्रेंड रेलवे अप्रेंटिस को दिया जाए। मैं इन रेल अप्रेंटिसों की मांग माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष रखकर इसे पूरा करने की मांग करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rajeev Satav, Shri Gajendra Singh Shekhawat and Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad are permitted to associate with the issue raised by Shri Chandrakant Khaire.

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय खान मंत्री जी से अपने संसदीय क्षेत्र झुंझुनू जिले में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स में ठेके पर काम कर रहे ठेकाकर्मियों के एक मार्च से दिए जा रहे धरने की तरफ दिलाना चाहती हूं। कॉपर कॉम्प्लेक्स कभी इस धरा की पहचान होता था, आज इतिहास के पन्नों में गुम होता नज़र आ रहा है। समेलटर रिफाइनरी अमल और उर्वरक प्लांट अब बंद हो गए हैं, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। टीसीएल कम्पनी और एनपीपीएल का कार्यकल्प खत्म हो गया है। महोदय, गरीब मजदूर मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपनी मजदूरी मांग रहे हैं और ठेकाकर्मियों को बिना नोटिस दिए हटा दिया गया है, लेकिन उन्हें कम से कम उनकी मजदूरी देने का काम तो किया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Dr. Manoj Rajoria, Shri Ramcharan Bohra and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Santosh Ahlawat.

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले श्रीमती स्मृति इरानी जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया।

HON. DEPUTY SPEAKER: You state what you want. Do not tell the other things.

SHRI K.H. MUNIYAPPA: I will explain it. You are also concerned. Coming to silk industry, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and West Bengal are the areas where we are producing silk. It is a foreign exchange earning good. I request the hon. Minister to look into this. We will come with a delegation to explain the problem. Import duty has been reduced. The market has fallen. Silk farmers, reelers—everybody is suffering. I would request the hon. Minister to increase the import duty and save the silk industry in India. It is getting foreign exchange for the country. I hope the hon. Minister will take care of this. I will bring a delegation to explain the problem.

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में अंतर्राष्ट्रीय मानक के विश्वविद्यालयों के अभाव के कारण देश के विद्यार्थियों का विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों में अध्ययन से उनके समय और धन का भारी व्यय हो रहा है। स्वदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों में अपेक्षाकृत कनीय भाव उत्पन्न होते हैं। अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय मानक के विश्वविद्यालयों की स्थापना से स्वदेशी एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना भी बलवती होगी।

ज्ञातव्य हो कि प्राचीन काल में भारत जगत्गुरू रहा है। यहाँ नालन्दा जैसे विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान यज्ञ होता था। आज पुनः भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरू बनने की राह पर है।

अतः मेरा आप तथा सदन के माध्यम से विशेष आग्रह है कि भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में विश्वस्तरीय मानके का एक-एक विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु संबंधित मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा करें।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Sharad Tripathi and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Chhedi Paswan.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): On the occasion of the 86th Anniversary of Martyrdom of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, I would like to seek an assurance from the Government today here and right now that the international airport at Chandigarh should be named after Shaheed Bhagat Singh. I hope the Government will accept this suggestion and will assure this august House that this airport will be named after Shaheed Bhagat Singh. Thank you, Sir.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Md. Badaruddoza Khan, Shri Sankar Prasad Datta, Shri Jitendra Chaudhury and Dr. Mamtaz Sanghamita are permitted to associate with the issue raised by Shri M.B. Rajesh.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और किसानों के नेता स्वर्गीय वसंतराव नाइक जी बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: You make your demand.

श्री राजीव सातव : उन्होंने वहाँ पर 11 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। मनरेगा योजना स्वर्गीय वसंतराव नाइक जी की देन है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि वसंतराव नाइक जी को भारत रत्न दिया जाए और उनकी मूर्ति संसद भवन में स्थापित की जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

<u>13.08 hours</u>

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.03 hours

The Lok Sabha re-assembled at Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within twenty minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

---

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to implement Uniform Civil Code in the country

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : देश में समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर व्यापक चर्चा हो रही है। देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। यह आज की आवश्यकता है। 21वीं सदी में हमारे यहां मजहब के आधार पर पर्सनल लॉ विद्यमान है। यह एक रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। हिन्दू विधि एवं मुस्लिम विधि दो अलग-अलग कानून भारत के नागरिकों पर लागू है। इससे एक ही देश का नागरिक कानून की दृष्टि से बंटा हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत आवश्यक है कि जल्द से जल्द सदन एक कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़े, ताकि हमारे देश के नागरिक एक सूत्र में बंध सके। इससे देश की एकता को बल मिलेगा। आज के दौर में अदालतें भी यह उम्मीद कर रही हैं कि भारतीय संसद जल्दी ही समान नागरिक संहिता लागू करे ताकि फैसलों में भी अनावश्यक देरी नहीं हो तथा धार्मिक कानूनों की आड़ में ऐसे लोग नहीं बचे जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध व्यवहार करते हैं परन्तु कानूनी रूप से अपने आप को सही साबित कर देते हैं।

(ii) Need to formulate a scheme for supply of water in villages facing scarcity of water and also launch start-ups for power-generation through solid and liquid waste management in the country

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : देश में गंदगी के खिलाफ जंग का बिगुल फूंकते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लगभग ढाई साल पहले "स्वच्छ भारत मिशन " की शुरुआत की थी। इसका नतीजा निचले स्तर पर दिखने लगा है। गांवों से लेकर शहरों तक चलाए जा रहे इस अभियान से लोग जुड़ने लगे हैं। लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विश्व बैंक की एक अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 फीसदी नुकसान गंदगी से हो रहा है। गंदगी से होने वाली बीमारियों से मौत हो रही है। साथ ही लोगों की कार्यक्षमता भी गिर रही है। इसका सीधा नुकसान अर्थव्यवस्था का हो रहा है।

"स्वच्छ भारत मिशन " के मुख्य रूप से 3 आयाम हैं। पहला, हर घर में शौचालय का निर्माण। दूसरा, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय परिसर बनाना और तीसरा, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन। शौचालय निर्माण की दिशा में शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उत्साहजनक सफलता मिल रही है। एक अनुमान के मुताबिक मार्च, 2017 के अंत तक देश के 100 से अधिक जिले खुले शौच से मुक्त हो जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 2019 तक देश के सभी घरों में शौचालय का निर्माण करना है। इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता में कमी तथा ठोस व तरल कचरा प्रबंधन है।

इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि देश में पानी की कमी वाले गांवों की पहचान करके उन्हें जल ग्राम योजना के तहत जल क्रांति अभियान से जोड़कर पानी की कमी को पूरा किया जाए तथा ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के द्वारा ऊर्जा पैदा करने हेतु युवाओं को स्टार्ट-अप शुरु करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(iii) Need to accord approval to the proposal of Government of Maharashtra for development of airports in the State under Regional Connectivity Scheme

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : महाराष्ट्र सरकार ने नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, 2016 के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उड़ान (आर.सी.एस.-उड़ान) से संबंधित केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई आम आदमी को सुरक्षित, सस्ती एवं सतत हवाई यात्रा सुलभ कराए जाने के लक्ष्य के अनुरूप प्रथम फेज में शिर्डी, अमरावती, गोंदिया, नासिक, जलगांव, नांदेड़, सोलापुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के एयरपोर्ट्स के विकास हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते हुए राज्य सरकार और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को जरूरी सुविधाएं और छूट प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया है ताकि उपर्युक्त योजना को शीघ्र और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार और एयरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इण्डिया के साथ 23 अगस्त, 2016 में सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। लेकिन, अब तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है, जिस कारण राज्य के चयनित शहरों में हवाई यात्रा प्रारंभ किए जाने में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र सरकार ने नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, 2016 के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उड़ान (आर.सी.एस.-उड़ान) के कार्यान्वयन हेतु जो प्रस्ताव प्रेषित किया है, उसको शीघ्र क्रियान्वित किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(iv) Regarding increasing use of Bitcoin currency

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): The use of Bitcoin, a hypothetical currency, is increasing at a rapid speed in India as well as in the world. Experts have expressed concern that Bitcoin is a pyramid ponzi type scheme. This issue should be taken very seriously and there is urgent need to have a study on development of Bitcoin in India. There is no regulator. As it is functioning like currency and seems like Ponzi scheme, RBI, SEBI as well as Finance Ministry should take appropriate step to save the people from another big ponzi fraud.

(v)Need to develop a tourist circuit of historical places associated with Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar in the country

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए चार महत्वपूर्ण स्थान निम्नवत् हैं-

1.	जन्म स्थान	-	मध्य प्रदेश, महू
2.	दीक्षा भूमि	-	नागपुर
3.	अंतिम श्वास स्थान	-	26, अलीपुर रोड, नई दिल्ली
4.	अंतिम संस्कार	-	चैतन्य भूमि, मुम्बई

भाजपा सरकारों द्वारा उक्त चारों स्थानों को भव्य स्मारकों में परिवर्तित किया गया है। उक्त स्थानों को भारत सरकार द्वारा टूरिज्म सर्किट की श्रेणी की सूची में सूचीबद्ध करना चाहिए।

(vi) Regarding inclusion of Deoghar, Jharkhand in Amritsar-Delhi-Kolkata Industrial Corridor

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): As per the announcement the Inter-Ministerial Group was to examine the feasibility of setting up Amritsar-Delhi-Kolkata Industrial Corridor alongwith structural and financial arrangements that would be required.

The Amritsar-Delhi-Kolkata Industrial Corridor will use the Eastern Dedicated Freight Corridor (DFC) as the backbone. The Eastern DFC extends train Ludhiana in Punjab to Dankuni near Kolkata. Therefore, the Amritsar-Delhi-Kolkata Industrial Corridor will be structured around the Eastern DFC and also the highway network that exists on this route, It will also leverage the Inland Waterway System being developed along National Waterway-1, which extends from Allahabad to Haldia.

The Project will cover Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand and West Bengal. This is one of the most densely populated regions in the world and houses about 40% of India's population.

Interestingly, the corridor is to cover the cities of Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, Ambala, Saharanpur, Delhi, Roorkee, Moradabad, Bareilly, Aligarh, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna, Hazaribagh, Dhanbad, Asansol, Durgapur and Kolkata.

While originally, the alignment was being considered differently, changes seem to have been suggested. These changes would result in this vital corridor bypassing the Santhal Pargana region and that too by just 100-odd Kilometers. While the Corridor is proposed to link Patna, I would urge you to consider connecting DEOGHAR in Jharkhand, which is less than 100 Kilometers to the proposed alignment. The area is in extreme need of infrastructure and just a slight change in alignment would make a huge difference to the lives of the poor tribals of the region. The tribals of Santhal Pargana will forever thank the Government of India for this.

(vii) Need to withdraw the notification regarding Eco-sensitive Zone in Karnataka

SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA): I would like to draw the attention of the Union government towards an important issue regarding withdrawal of Notification for implementation of the Kasturirangan Committee Report in Karnataka. People of Karnataka are opposed to notification of Eco-Sensitive Zone since beginning itself. The state government has sent its objection to the Union Government not to implement the Kasturirangan report. According to the notification, about 20,668 square kilometers area in the state including 1,576 villages in 10 districts were declared eco-sensitive zone. If the notification is implemented, it would not permit development works in the notified area. It will lead to a ban on construction of schools, hospitals and roads in these villages. lt would also prevent granting of land rights to farmers for cultivation. Further this would also affect the existing plantations like coffee and tea. Major economic activities of the people in the said districts are dependent on Tea and coffee plantations. This notification would affect the people of the region to a great extent, whereas the Centre has dropped many villages from eco-sensitive zone in Kerala after the neighbouring state submitted its objections. Therefore, I urge upon the Union Government to withdraw the notification to declare Eco Sensitive Zone in Karnataka.

(viii) Need to raise more battalions of para-military forces in Jammu & Kashmir

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर राज्य में अर्धसैनिक बलों की पाँच बटालियन खड़ी करने का अभियान जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि भारत-पाक सीमा पर रहने वाले नौजवान देश की सेवा करने के लिए भर्ती हो सकें और उनके परिवार सीमा पर ही डटे रहें और वहाँ से पलायन न करें।

(ix) Need to resolve the issues of land oustees of South Eastern Coal Fields Limited in Chhattisgarh

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा) : मैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। साऊथ इस्टर्न कोल्फील्ड लिमिटेड में भू-विस्थापितों के अनेक मामले लंबित हैं, इससे मेरे संसदीय क्षेत्र के 41 गाँवों के लोग प्रभावित हुए हैं। इन लोगों द्वारा आये दिन धरना, प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इन मामलों में अधिकांश मामले उचित एवं जायज हैं, जिनका शीघ्र निराकरण होना आवश्यक है। इसके साथ ही, साऊथ इस्टर्न कोल्फील्ड लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) में नौकरी कर रहे लोगों की वंशावली भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। पटवारी, राजस्व निरीक्षकों से मिलीभगत करके अनेक अपात्र लोग नौकरी का लाभ रहे हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए तथा पात्र एवं योग्य लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए। अतः मैं सरकार से उक्त प्रकरण का त्वरित निराकरण करने का अनुरोध करना चाहता हूँ।

(x) Need to extend Chitrakoot-Kanpur Intercity Express Train upto Lucknow

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाली रेलगाड़ी चित्रकूट-कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाने की मांग काफी समय से की जा रही है। इससे हज़ारों यात्रियों को फायदा होगा तथा राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही, लोगों को प्रदेश की राजधानी से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग भी काफी समय से माँग कर रहा है।

अस्तु, मेरा अनुरोध है कि चित्रकूट-कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाने व उसमें एक ए.सी. चेयर कार लगाने का निर्देश देने की कृपा करें।

(xi) Need to declare Minimum Support Price for crops in Rajasthan

श्री ओम बिरला (कोटा) : भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर कुछ फसलों की बुवाई सत्र के आरम्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। यह भारत सरकार द्वारा उत्पादकों-किसानों को अत्यधिक उत्पाद वर्षों के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट के विरूद्ध सुरक्षित करने के लिए नियत किया गया मूल्य है।

वर्तमान में तकरीबन 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जिनमें सात अनाज, पांच दालें, आठ तिलहन शामिल हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि किसानों के हित में राजस्थान की विशिष्ट फसलों यथा ग्वार, मोठ, चवाला, जीरा, धनिया, लहसुन, इसबगोल, अरंडी, ग्वारपाठा तथा मेहन्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी की जाए जिससे राजस्थान के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो।

(xii) Need to establish a Sainik School in Jalna Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री रावसाहेब पाटील दानवे (जालना) : देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना के बाद देश भर में सैनिक स्कूलों ने छात्रों एवं शिक्षा की गुणवत्ता के माध्यम से राष्ट्र की अद्‌भुत सेवा की है। सैनिक स्कूल कैडेट समुदाय को सैन्य उन्मुख शिक्षा प्रदान करने वाला देश का प्रमुख शैक्षिक संस्थान है। सैनिक स्कूल आज के युवाओं के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक गुणों को विकसित करके उन्हें अच्छे और उपयोगी नागरिक बनने के लिए सक्षम बनाते हैं।

महाराष्ट्र राज्य में केवल एक ही सैनिक स्कूल है। हालांकि दुनिया भर में बदले हुए परिदृश्य के साथ देश में सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र जालना में एक सैनिक स्कूल खोला जाये, जिससे कि आसपास के पिछड़े जिलों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा किया जा सके एवं इससे क्षेत्र के युवाओं के विकास में अद्वितीय योगदान मिलेगा।

(xiii) Need to amend the guidelines of Pradhan Mantri Awas Yojana

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : मैं सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) के संबंध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। यह मोदी सरकार की एक ऐतिहासिक योजना है। मानव जीवन में मूलभूत आवश्यकता है-रोटी, कपड़ा और मकान। इस योजना के तहत 2019 तक ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ एवं शहरी क्षेत्र में एक करोड़ मकान उपलब्ध करवाना है। इसके लिए युद्ध स्तर पर प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शंस कार्य हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर में योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। परंतु इस योजना में सरकार की मंशा के अनुसार लागू करने में कुछ कठिनाइयां आ रही है जो देश में अन्य स्थानों पर भी होंगी। मेरे द्वारा बाड़मेर-जैसलमेर जिले में दिशा की पिछली 2-3 बैठकों में फीडबैक लिया गया और उसी अनुभव के आधार पर कुछ कमियां रही हैं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, ताकि हकदार परिवार लाभांवित हो सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर कई बार राजनैतिक कारणों से सही सर्वे नहीं होता है। कुछ धरातल पर कमियां हैं उस पर गौर करना जरूरी है। हालांकि पी.एम.ए.वाई. के लिए भारत सरकार की गाईडलाइंस काफी विस्तार से हैं, फिर भी नीचे लिखे बिंदुओं पर ध्यान देकर भारत सरकार को गाईडलाइंस में कुछ अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। मेरी तरफ से कुछ ऑब्जरवेशन एंड सजेशन निम्न प्रकार हैं- ए) लाभांवितों के चयन का आधार सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 है, जिसका सर्वे सही नहीं हो पाया है। कई परिवार वंचित रह गये हैं। बी) सर्वे में अंकित परिवारों के नाम को ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित करवाया था जिसमें कई परिवारों को व्यक्तिगत एवं राजनैतिक द्वेषवश वंचित रख दिया गया है। सी) सर्वे 2011 में हुआ है गत 5 वर्षों में कई परिवार अलग हुए हैं, जिनको इन लाभांवितों की संख्या में सम्मिलित नहीं किया गया है। डी) कई जिलों में 2011 के सर्वे के आंकड़े लेकर सारे रिकॉर्ड बंद कर दिये, परिणामस्वरूप हकदार एवं वंचित परिवारों को शामिल नहीं किया जा रहा है। ई) कई अधिकारी 2011 के सर्वे आंकड़ें मानकर सही आपत्तियों पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं, जिससे सही परिवार वंचित रह रहे हैं। इस पर ध्यान दिया जाये यदि आवश्यक हो तो सर्वे दोबारा होना चाहिए।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि हकदार गरीब जो वंचित रह रहे हैं जैसे कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 2,85,099 प्रकरणों में अपील प्राप्त हुई है, जिन पर कोई विचार नहीं किया जा रह है। प्रधानमंत्री आवास योजना की गाईडलाइंस में संशोधन की आवश्यकता है, जिस पर मेरे सुझाव निम्न प्रकार से है- 1) यदि अन्य राज्यों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं तो उन पर गौर किया जाना चाहिए। 2) एक स्वतंत्र एजेंसी

(अपीलाधिकारी) की नियुक्ति कर वंचितों को अपील करने एवं उनकी अपील पर नियमानुसार विचार कर सूची में शामिल करने का प्रावधान किया जाये।

अतः मेरा प्रधानमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री एवं शहरी आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की गाईडलाइंस में उक्तानुसार संशोधन कराएं या फिर कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाये ताकि केंद्र सरकार की मंशानुसार वंचित, दलित, गरीब का अपना घर का सपना साकार हो सके।

(xiv) Need to provide BPL cards to all the eligible families in the country particularly in Tonk-Sawai Madhopur Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर) : मैं सरकार से मांग करता हूँ कि देश में वर्ष 2011-12 में जनगणना के अनुसार गरीब परिवारों के लिए बी.पी.एल. कार्ड जारी किए गए थे परंतु वास्तव में गरीब परिवारों को बी.पी.एल. कार्ड नहीं मिला। मेरे संसदीय क्षेत्र टोंक-सवाई माधोपुर के लोगों ने जन-सुनवाई के दौरान यह बताया कि अभी भी ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके बी.पी.एल. कार्ड नहीं बने हैं और इनके पास बी.पी.एल. कार्ड न होने के कारण इनको बी.पी.एल. की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार दोबारा से बी.पी.एल. परिवारों की सूची तैयार करने के लिए देश की सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसी योजना बनाए जिससे कि वास्तव में गरीब परिवारों को बी.पी.एल. कार्ड का फायदा मिल सके।

(xv) Need to regularise the services of temporary employees of Central Cattle Breeding Farm and Department of Dairying and Fisheries, Andeshnagar in Lakhimpur Kheri district, Uttar Pradesh

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : बहुत से श्रमिक, जो केन्द्रीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र एवं डेयरी व मछली पालन, अन्देश नगर जनपद लखीमपुर खीरी, उ.प्र. में सन् 1976 एवं 1989 से आज तक अस्थाई कामगार के रूप में कार्य कर रहे हैं, को प्रशासन की ओर से वैधानिक रूप से मिलने वाले वेतन के अलावा इनको प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे पी.एफ., ई.सी.एस. व अन्य लाभ इस संस्थान द्वारा पूर्णतया नहीं दिए जा रहे हैं। क्योंकि इस संस्थान द्वारा श्रमिकों को अस्थाई तौर पर रखकर 60 वर्ष पूरे होने के बाद एक माह पहले नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जा रहा है। जिसके कारण विवश होकर श्रमिकों ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इस संस्थान में स्थाई किए जाने हेतु अपना प्रत्यावेदन सामूहक रूप से प्रस्तुत किया। जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 11.10.2013 द्वारा वरिष्ठता सूची तैयार कर एक वर्ष की नियमित अवधि में स्थाई रूप से नियुक्त किए जाने का निर्देश लागू किया था, लेकिन इस संस्थान द्वारा आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील/याचिका प्रस्तुत की गई और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.08.2002 को संशोधित करके निर्देशित किया कि स्थान रिक्त होने पर प्रतिपादित नियमों के अनुसार नियुक्ति कर दी जाएगी। परंतु इस संस्थान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया, जो कि माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना है।

मेरी सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए इन सभी श्रमिकों की स्थाई नियुक्ति कर व प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं प्रदान करने की महान कृपा करें।

(xvi) Need to strictly implement the existing laws banning the sale of tobacco products to minors and smoking in public

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Smoking kills over one million Indians annually and is the fourth leading cause of non—communicable diseases, accounting for 53% of all deaths in India. The Health Ministry estimates that the total economic cost from tobacco use in 2011 amounted to Rs 1,04,500 crore, equivalent to 1.04 per cent of our GDP. This, ironically, is greater than the revenue generated from the overall sale of tobacco. Despite its longstanding illegality, millions of children are addicted to tobacco and serve as lucrative customers to the tobacco industry. A million others die due to passive smoking alone.

These are shocking numbers and I urge this government to not only strictly implement existing laws banning the sale of tobacco products to minors and smoking in public, but also to improve to proactive levels our efforts to spread awareness on the subject to prevent both the young and old from falling prey to tobacco addiction. Making tobacco products unaffordable has been a deterrent to a considerable degree, but the sale of loose cigarettes means that it is easy to circumvent the law. I urge this government, therefore, to also place an immediate ban on the sale of loose cigarettes. Furthermore, beer is, which many Indians smoke, are not taxed in the same category as cigarettes nor do they carry pictorial warnings on their boxes. For the health of our citizens, beedis must also be brought within the same regime.

I also call upon the government to look into utilising revenue generation from the sale of tobacco products to provide alternative sources of employment to beedi workers as well as towards the treatment of those who suffer from smoking related diseases such as cancer.

(xvii) Regarding allocation of funds from the National Disaster Relief Fund to tackle drought in Kerala

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Kerala is witnessing unprecedented drought which is the worst in the century. More than 30,000 hectares of agriculture land have been affected by drought. Preliminary estimate shows that more than 27,000 hectares of paddy cultivation have been badly hit. The drought has caused loss of about 250 crores. The drinking water scarcity is also becoming grimmer and acute as most of the wells and tanks started drying up fast. The reservoirs have only 40% water and the underground water has dropped by 2 to 4 meters. The situation is very grave. In order to tackle the drought condition, the Kerala Government has already sought assistance from the Central Government on war-footing. I request the Union Government to take urgent necessary steps to save the State from this disastrous situation. I urge the Government to allocate an amount of Rs. 1000 crore from the National Disaster Relief Fund to meet the drought situation in the State.

(xviii) Need to investigate into the death of a Lance Naik

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The Government is seized of the sad demise of Lance Naik Roy Mathew, who was found dead in mysterious circumstances in an abandoned Army barrack in Deolali Cantonment in Nashik. The demise of the soldier and the circumstances purportedly leading to the drastic turn of events require an investigation as demanded by the next of kin of late Roy Mathew. It is in this context that I would urge upon the Government. to immediately constitute a high level committee to investigate the matter and submit its report at the earliest with all angles examined.

Lance Naik Roy Mathew belongs to my Parliamentary constituency. His family is very poor. His family was depending on him only. After his death, there is nobody to look after his father, mother and wife. Therefore, the Ministry of Defence should consider the financial assistance to his family and provide a suitable employment to his wife.

(xix) Need to establish Central Institute of Naturopathy and Yoga in Namakkal Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Naturopathy & Yoga an ancient traditional science which integrates physical, mental and spiritual aspects of our body is very popular in my Namakkal Constituency. The multi-disciplinary approach of Naturopathy & Yoga uses the healing power of natural resources like food, herbs, earth, water & air to allow the body to heal itself. Our Hon’ble Leader Puratchi Thalaivi Amma had given importance to Naturopathy & Yoga by starting Lifestyle Clinics all over the State.

Hon’ble Prime Minister’s efforts made the world nations to conduct International Yoga Day on June 21st. I have spoken many times in this august house regarding establishing a Central Research Institute of Naturopathy & Yoga at Namakkal District. I have also met the Hon'ble AYUSH Minister in this regard. The Namakkal District Administration has identified 23.61 acres of land in Anaipalayam Village of Rasipuram Taluk on the NH-I7 for establishing the same. The identified land is located 100 Mts. away from NH-7 which connects northern & southern corridor of the country.

Hence, I request the Hon’ble AYUSH Minister to instruct the concerned officials to carry out the feasibility study for establishing Central Research Institute of Naturopathy & Yoga in my Namakkal Constituency.

(xx) Need to continue Central Assistance for Area Development Programmes in Left Wing Extremism affected districts of Odisha

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Government of India have discontinued Central assistance for Area Development Programmes like Special Plan for KBK, Backward Region Grant Fund (BRGF) and Integrated Action Plan (IAP) for Left Wing Extremism affected districts which will affect the developmental programmes of some of the most vulnerable and backward regions of Odisha. The State Government finds it difficult to carry on the programmes taken up under these schemes during the current plan period, since it involves resource commitment of Rs.1226.51 crore (Special Plan for KBK- Rs,250.00 crore, Backward Region Grant Fund (BRGF) - Rs.436,51 crore and Integrated Action Plan (TAP) - R.540.00 crore for Left Wing Extremism affected Districts). The State Government have raised the issue in various fora and requested for continuance of these schemes.

Central Assistance of Rs. 132.07 crore and Rs. 367.93 crore have been released by Government of India during 2015-16 and 2016-17 respectively for completion of projects taken up under Special Plan for KBK.

The Government of India may continue the Central Assistance for these schemes keeping in view the developmental needs of the most vulnerable and backward regions of Odisha.

(xxi) Need to lay railway line between Khamgaon and Jalna in Maharashtra

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के खामगांव-जालना के बीच स्वीकृत नई रेलवे लाईन के निर्माण कार्य पर दिलाना चाहता हूँ। खामगांव-जालना के बीच नई रेलवे लाईन बनाने की मांग जनता द्वारा स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले से की जा रही है। 2009-2010 के बजट में खामगांव-जालना के बीच 155 किलोमीटर नई रेलवे लाईन बनाने के लिए सर्वेक्षण कार्य मंजूर हुआ और सर्वेक्षण की रिपोर्ट वर्ष 2012 में पेश की गई। 2016-17 के बजट में खामगांव-जालना के बीच नई रेलवे लाईन बनाने के लिए पूंजी निवेश कार्यक्रम के तहत प्रावधान किया गया जिसके लिए 3 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई। खामगांव-जालना के बीच नई रेलवे लाईन मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा में 130 किलोमीटर के करीब पड़ती है। इस रेलवे लाईन के बनने से उत्तर से दक्षिण जाने वाली रेल गाड़ियों की समय दूरी कम हो जाएगी एवं मध्य रेलवे को दक्षिण रेलवे से जोड़ा जा सकेगा। बुलढाणा एक पिछड़ा जिला है जिसमें तीन बड़ी बाजार पेठ खामगांव, मल्कापुर एवं चिखली हैं और विश्व विख्यात लोनार सरोवर स्थल एवं विख्यात धार्मिक स्थल गजानन महाराज मंदिर है जिनके दर्शनों के लिए हर महीने लाखों लोग आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी जीजामाता का जन्म स्थान सिंदखेड़ राजा भी इस संसदीय क्षेत्र में स्थित है, जहां पर पर्यटक आते हैं। खामगांव-जालना के बीच नई रेलवे लाईन बनाने से बुलढाणा एवं आस-पास के जिलों में रोजग़ार बढ़ने, विकास के अवसर पैदा होंगे। अभी तक खामगांव-जालना के बीच नई रेलवे लाईन बनाने का कार्य शुरु नहीं हुआ है और न ही किसी प्रकार की प्रगति को देखा जा रहा है जिसके कारण यहां के लोगों में काफी आक्रोश है और आंदोलन के मूड में है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि खामगांव-जालना के बीच नई रेलवे लाईन बनाने के कार्य को शीघ्र शुरु किया जाए और इसके कार्य को शुरु नहीं होने के कारण बताए जाएं।

(xxii) Need to curb Caesarean deliveries in hospitals

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): I would like to raise an issue that has assumed alarming proportions as reflected in a mass petition signed by more than 1.5 lakh people alleging a sudden surge in Caesarean deliveries in India solely to extort money from unsuspecting women by pushing them towards surgical deliveries. The WHO has recommended that C-Section surgeries should normally constitute 10-15% of total deliveries.

The WHO findings also reveal that Caesarean section rates higher than 10% are not associated with reductions in maternal and new born mortality rates.

I find that as per National-Family Health Survey-IV, the incidence of C-section in India is 17.2%. Against this national average, Kerala has recorded 35.8%. in C-section deliveries. It is strange that Kerala recognised as the state with lowest maternity and new born mortality rate in India, now topping the list with 35.8% of C-section deliveries in the country. I urge the Centre to check this rampant racket in both private and government hospitals.

14.04 hours

CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS (AMENDMENT) BILL, 2017

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we are taking Item No. 8 - the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2017.

Hon. Minister, do you want to say anything?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का ओडिशा राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपान्तरित करने और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

महोदय, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति में अगर किसी का समावेश करना हो या आज जो विद्यमान है, उसको विलोपित करना हो तो एक प्रक्रिया है आर्टिकल 341 और 342 में, उसके अनुसार राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजना होता है और केन्द्र सरकार उसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को राय के लिए भेजती है। यदि वह उसको क्लीयर कर देते हैं तो उसको एससी कमीशन के पास हम भेजते हैं और वहां से भी क्लीयर हो जाता है तो बिल बनता है। वह बिल कैबिनेट के पास जाता है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद वह संसद में आता है। इन सब प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के बाद यह बिल सदन में आया है, इसमें कोई बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं है, केवल दो बातें हैं। ओडिशा राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में सुआलगिरि समुदाय को क्रम संख्या 79 पर सबाखिया के पर्यायवाची के रूप में समावेशन का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव पर अनुमोदित क्रियाविधियों के अनुसार भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने अपनी सहमति दी है।

दूसरा प्रस्ताव पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के नाम को पुड्डूचेरी के रूप में परिवर्तित किए जाने के परिणामस्वरूप संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 में संघ राज्य क्षेत्र का नाम पांडिचेरी से पुड्डूचेरी करने के संबंध में। इस विधेयक को भी इस सदन में दिनांक 10.03.2017 को पुरःस्थापित किया गया था। मैं माननीय सदस्यों ने अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस पर विचार व्यक्त करते हुए इसे पारित करने में सहयोग दें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदय, यह बहुत छोटा बिल है और सिर्फ दो जातियों को सिनोनिम्स की तरह शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट में इनक्लूड करने का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडूचेरी नाम रखने का प्रावधान किया गया है। ये दोनों अमेंडमेंट बिल बहुत छोटे हैं और इन पर कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। हम सभी इस बिल का सपोर्ट करते हैं। लेकिन सपोर्ट करते हुए मैं सदन के और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, क्योंकि यह जरूरी है। मैं किसी एक सरकार पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं। यह सभी की जिम्मेदारी है कि शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट बनाते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि पार्टी बेसिस पर जातियों को रिकमण्ड करते हैं। अगर किसी कम्यूनिटी को अपनी तरफ लुभाना है, चाहे वह क्राइटेरिया फुलफिल करती है या नहीं, उसको रिकमण्ड करके भेज देते हैं। राज्य सरकार के द्वारा रिकमण्ड करने के बाद नेशनल कमीशन में सब तरह के प्रैशर डालकर रिकमण्ड कराया जाता है। जब नेशनल कमीशन से अप्रूव हो जाता है तो सरकार पर दबाव डालकर कैबिनेट से उसको पास कराया जाता है। चाहे वह किसी की भी सरकार हो, चाहे मेरी गवर्नमेंट हो, चाहे उनकी हो या किसी की भी गवर्नमेंट हो। हमेशा प्रेशर टैक्टिक्स से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट बनती गई। अगर बैकवर्ड क्लास की लिस्ट बनती गई तो जो असल में वंचित लोग हैं, जो depressed, suppressed, disregarded लोग हैं, उनकी हालत क्या होगी? उनको आप किस तरह का रक्षण देने वाले हैं?

इसीलिए मैं थावर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तेरी-मेरी गवर्नमेंट न करें या पिछले 60-70 साल में क्या किया गया, इन बातों को छोड़ दीजिए। आज के दिन इन समस्याओं को हल करने के लिए और इन लोगों की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए जो शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल 341 है, इसमें यह स्पट रूप से कहा जाता है, "The president may with respect to any State or Union Territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be a Scheduled Caste in relation to that State or Union Territory, as the case may be."

So, this is the condition. Second is: "Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in the notification issued..." इसका कारण क्या है? बहुत सी जगह ऐसा भी हो रहा है कि जब दलितों में, खासकर अस्पृश्यों में एक यूनिटी आती है, एक पॉलिटिकल फोर्स बनता है, तो वहां के राज्य के नेता लोग साजिश करते हैं। वे यह

साजिश करते हैं कि इन कम्यूनिटियों की यूनिटी को तोड़ना है, तो इसमें किसी और को जोड़ो। हमारे देश में एक स्टेट में अगर एक जाति शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट में है, तो दूसरी स्टेट में वह बैकवर्ड लिस्ट में है और तीसरी स्टेट में वह शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में है। यह इसलिए है कि उन राज्यों में उनकी इकोनॉमिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस और अनटचेबिलिटी को देखकर पहले उनको उन लिस्ट्स में किया गया था। हो सकता है एक कम्यूनिटी एक राज्य में टचेबल हो सकती है, किंतु वह दूसरे राज्य में अनटचेबल हो सकती है। इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा न हो कि एक जगह वह कम्यूनिटी शेड्यूल्ड कास्ट में है, इसीलिए उसे सारे देश में शेड्यूल्ड कास्ट में लाएं। इसका मकसद यह नहीं है। इसमें आपको एक इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस और एडूकेश्नल स्टेटस देखना होगा। पॉलिटिकली कौन सी कम्युनिटी इन इनग्रेडिएंट्स के साथ कितनी पॉवरफुल है, यह देखना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर राज्य में एजिटेशन हो रहा है। जो कम्यूनिटी पॉवरफुल हैं, जिनके पास लैण्ड है, पैसा है और जिनके पास एडूकेशन है, वे भी इस लिस्ट में जाने की दौड़ में हैं। इसीलिए इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना जरूरी है।

बहुत बार हम गलती कर जाते हैं। मैंने पहले ही बोला कोई भी सरकार हो, गलती ऐसी होती है कि कोई एक दलित वर्ग किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है तो उसको या तो डिलीट करने के लिए रिकमेंड किया जाता है, नहीं तो उनके काउंटर में किसको हम लिस्ट में डालें जिससे उनकी मदद हो जाए। अगर इस ढंग से हम पॉलिटिकली इस्तेमाल करते गए तो जो लोग सच में सोशली, इकोनॉमिकली, एडूकेश्नली बैकवर्ड हैं, उनकी हालत क्या होगी? इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। हालत तो सुधारनी होगी चाहे वह एडूकेशन हो, चाहे क्राइम रेट्स हों, चाहे कुछ भी हो। मैं बता सकता हूं, क्योंकि दलितों के ऊपर अत्याचार होते आए है, हो रहे हैं, अभी भी कंटीन्यू हैं। हमेशा क्या होता है, हम वाद-विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं और जब आपके सामने आंकड़े रखते हैं तो आप भी उन्हें तोड़-मरोड़ कर फिर आंकड़े रखते हैं। हम लोग आंकड़ों के झगड़ों में ज्यादा जाते हैं, लेकिन मूलभूत प्रश्न यह है कि इनकी समस्या कब हल होगी, इस पर ध्यान देना जरूरी है और इस तरीके से ही इसे सुलझाना होगा।

मैं एक चीज आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जब कांस्टीट्यूशन फ्रेम किया गया या कांस्टीट्यूशन के पहले भी 1935 में हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स ने एक रूल दिया था, उस 1935 के रूल में यही था - I am referring to Section 26 of the First Schedule of the Government of India Act, 1935. यह रिजर्वेशन आज नहीं आया। This reservation has not come now. It came after a great fight. Dr. Babasaheb Ambedkar and Mahatma Gandhi Ji had a compromise and it is called the "Poona Pact". In that "Poona Pact", they agreed to

give certain percentage of reservation to the Dalits, the Scheduled Castes, the suppressed and those who are untouchables. For them, he has agreed to give reservation.

In the 1935 Act, the "Scheduled Castes" have been defined as:

> "Scheduled Castes means such Castes, race or tribes or parts of or groups within such Castes, races or tribes being Castes, races, or tribes, or parts of or groups which appear to his Majesty in Council to correspond to the classes of persons formerly known as the depressed classes as His Majesty in Council may feel."

अब वह मैजेस्टी चली गई, उसके चले जाने के बाद यह मैजेस्टी आ गई, डेमोक्रेसी में हम लोग आ गये। हमारे आने के बाद ओरिजनली जो 1935 में एक डेफिनिशन का तरीका था या उसके बाद गांधी जी या डा.बाबासाहेब अम्बेडकर के बीच में जो एग्रीमैन्ट हुआ था, उसमें भी जो इनग्रेडिएंट्स थे, उसमें जो क्राइटीरिया थे, उन क्राइटीरिया के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो यह बढ़ता चला जायेगा। आज 18 परसैन्ट है, 20 परसैन्ट है, क्योंकि संविधान में यह है, "in proportion to the population, reservation should be given". Then, similarly, in proportion to the population, seats should be reserved in Parliament and Assemblies. So, what is happening is that more number of people who do not deserve are entering and, therefore, the population is increasing. Heartburning is there for other people because they are thinking that something has been snatched away from them. Why is it so? It is because if there are 30 seats, in general, and if the population goes up to 20 or 22 per cent, then 22 seats will go; 22 सीटें उसको जायेंगी, तब ये बाकी के लोग कहेंगे कि कुछ हमारा जा रहा है। यह कोई फिक्र नहीं करता कि किन सर्कम्सटांसेज में, किस वातावरण में इसे सरकार ने स्वीकार किया। उस वक्त भी एग्रीमैन्ट हुआ और आज भी कोई भी सरकार हो, रिजर्वेशन को जो एक प्रोत्साहन दे रही है, वह इसी वजह से दे रही है, क्योंकि उनकी हालत अभी भी बिगड़ी हुई है।

कभी-कभी आपकी पार्टी में भी यह बार-बार आता है और दूसरे लोग भी कहते हैं कि कितने सालों तक देना है। संविधान में दस साल था। अभी बीस साल हो गये, पचास साल हो गये और कितने दिन इन्हें देना है। अगर ऐसा है तो पहले समाज में सुधार लाओ, अस्पृश्यता खत्म करो, सबको लैवल प्लेइंग ग्राउंड दो, सभी लोग एक हैं, ऐसा सोचकर चलो। तब आप ठीक कर सकते हो। हमारे पास ग्रेडेशन सिस्टम है।

जैसे सीढ़ियां हैं, वैसी आपकी सोसाइटी है। नीचे एक सीढ़ी है, ऊपर एक सीढ़ी है, बीच में एक सीढ़ी है और सबके ऊपर एक सीढ़ी है। जैसे मैं यहां बैठा हूं, सर, आप वहां बैठे हैं। यह ऊपर-नीचे है, मैं कम्पेयर नहीं कर रहा हूं, यह मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। जैसे ये सीढ़ियां हैं, हमारे देश में समाज की व्यवस्था भी ऐसे ही बनी है। इसे ठीक कीजिए। आर्थिक तौर पर अगर गैर-बराबरी है तो हम मानेंगे, क्योंकि इकॉनमिकली इनइक्वैलिटी हर जगह है। दुनिया में सभी के लिए इकॉनमिकली इक्वैलिटी नहीं हैं। कम से कम सोशल इक्वैलिटी तो ले कर आओ। जब तक आप सोशल इक्वैलिटी नहीं ले कर आएंगे, तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। इसीलिए डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा था कि पॉलिटिकल डैमोक्रेसी कितनी महत्व की है। …(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : आज लोहिया जी का जन्मदिन है। सामाजिक समरसता की बात वे भी कहते थे। आप जिन स्टेप्स का उदाहरण दे रहे हैं, वे भी कहते थे। …(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जी हाँ, लोहिया जी का जन्मदिन है तो लोहिया के लोग भी कुछ नहीं बोले। आपको भी बोलना चाहिए था। जनता पार्टी के लोग भी नहीं बोले हैं। आपने मुझे याद दिलाया है, इसके लिए आपका धन्यवाद और मैं उनको भी याद करता हूं। लेकिन आखिरी में कहता हूँ कि डॉ. राम मनोहर लोहिया जी, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर जी से मिलना चाहते थे। शायद उधर के बहुत से लोगों को मालूम होगा, जो जनता पार्टी में थे, तो मिल कर उनसे बातचीत करना चाहते थे और पत्र व्यवहार भी हुआ था। लेकिन वे मिल नहीं पाए। एक जगह बैठ नहीं पाए, इसीलिए आगे का जो एजेंडा है, वह तय नहीं हो सका। डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने यह बात स्पष्ट कही थी। उन्होंने आब्ज़र्व किया था कि :-

> “We must do, is not to be content with the mere political democracy. We must make our political democracy, a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it, social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. These principles are not to be treated as separate items in the trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. A liberty cannot be divorced from equality and equality cannot be divorced from liberty nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. It will require a constable to enforce them. We must begin by acknowledging the fact that there is a complete absence of two things in the Indian society. One of these is equality of social plain, we have in India a society based on the principles of graded inequality, which means elevation

> of some and degradation of others. On the economic plain, we have a society in which we have immense wealth as against many who live in abject poverty."

यह स्थिति इस देश की है। इस देश की व्यवस्था में ऐसा है। लेकिन इन सबके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बुद्धिजीवी लोग, जो विद्वान लोग हैं और खास कर पॉलिटिकल इंटलैक्चुअल्स हैं और पॉलिटिकल नॉलेज जिनके पास है, वे ह्युमैनिटी की बात करते हैं, ह्युमन राइट्स की बात करते हैं, ऐसे लोग भी हमेशा कहते हैं कि आरक्षण क्यों होना चाहिए, क्यों प्रमोशन होना चाहिए। अरे! प्रमोशन और रिज़र्वेशन इसीलिए होना चाहिए कि जब तक आप लोग कम से कम इस देश में रहने वाले 24% लोगों को अपने साथ में नहीं लेंगे, तो आपकी जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी, समाज में स्थिरता भी नहीं रहेगी, डैमोक्रेटिक स्थिरता भी नहीं रहेगी और डैमोक्रेसी भी नहीं बचेगी। यह तो बाबा साहब ने सन् 1949 में स्पष्ट कहा था कि अगर इस देश में डैमोक्रेसी को टिकाना है, डैमोक्रेसी के तहत इस देश को चलाना है, तो आज न कल इकॉनमिक-सोशल इक्वैलिटी को लाना जरूरी है। नहीं तो, they will blow this system. They will agitate and this will go against them.

Therefore, I am suggesting this in the interest of the country and in the interest of society. Just talking about something or one man or the other man coming to power is a different thing. But unless you make the society one, unless you ensure social justice and social democracy, you are not going to achieve anything. I would urge that while recommending inclusion of Scheduled Caste communities in the list you should verify all these things. चंद दफा यह होता है कि आपकी पार्टी के लोग प्रेशर डालते होंगे, या हम डालते होंगे, लेकिन आप उसको मत देखिए। देश के हित में, समाज के हित में कौन सा अच्छा है, वही हमें करना चाहिए। ये बातें कहते हुए मैं सपोर्ट तो इस बिल को कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, खासकर जिन लोगों के मन में यह है कि शेड्यूल कॉस्ट के लोग बहुत एडवान्टेज ले रहे हैं, यह बोलने की बात है। वैसे बोलने के लिए अन्य बहुत से मुद्दे हैं, एक सेक्रेटरी नहीं है, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं है, आप देखिए पूरा सेक्रेटेरिएट जितना भी है या ऑल इन्डिया में देखिए, एक-दो सेक्रेटरीज भी नहीं हैं, एक-दो ज्वाइंट सेक्रेटरीज नहीं हैं। अगर आप आँकडे निकालकर देखेंगे तो आपको यह मालूम होगा। जब ऐसी स्थिति है, रिजर्वेशन को रखना भी जरूरी है, साथ ही साथ इसको क्वालिटेटिव बनाना भी महत्वपूर्ण है। मैं यही कहूँगा कि -

"तेरगी को रोशनी कहते हुए अच्छा नहीं लगता,

यानी अंधेरे को रोशनी कहते हुए अच्छा नहीं लगता,
मुझे गम को खुशी कहते हुए अच्छा नहीं लगता,
लहू इंसानियत का जो यहाँ दिन-रात पीते हैं,
उन्हें अब आदमी कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता।"

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने की अनुमति दी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इसके लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का बहुत-बहुत आभारी हूँ। यूँ तो यह जो संशोधन है, यह बहुत ही छोटा है, ओडिशा में क्रम 79 पर सबाखिया, सुआलगिरि और स्वालगिरि इन तीन जातियों को जोड़ने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। इसका दूसरा बिन्दु यह है कि पांडिचेरी के स्थान पर पुडुचेरी शब्द का इसमें समावेश करने का है।

महोदय, मैं इस बात का स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि इस देश के संविधान निर्माता, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया था और भारत के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, वे भारत रत्न डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर को आजादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान देने में हमसे कहीं चूक हुई है। मैं हमारे प्रधान मंत्री जी और हमारी सरकार का बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले तीन साल से हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य किये गये हैं, हमारे प्रधान मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अन्दर कहा था कि यह सरकार गरीबों के लिए रहेगी, यह सरकार दलितों के लिए रहेगी। गरीबों और दलितों के लिए हमारे नरेन्द्र मोदी जी ने, हमारे मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी ने अनेक योजनाएँ बनायी हैं, मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया गया था मगर मुझे स्मरण है, मैं गुजरात के अहमदाबाद से प्रतिनिधित्व करता हूँ। हमारे प्रधान मंत्री जी जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सुरेन्द्र नगर शहर में संविधान की यात्रा निकाली थी और यह यात्रा हाथी की अम्बाडी पर संविधान को रखकर, लाखों लोगों के बीच रखकर प्रधान मंत्री खुद दो किलोमीटर उसमें चले थे। यह सोच बताती है कि हमारे प्रधान मंत्री जी का संविधान के प्रति किस प्रकार का आदर है।

जब वर्ष 2014 में नई लोक सभा का गठन हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संविधान के विषय पर दो दिनों की चर्चा रखी थी। मैं समझता हूं कि भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान पर ऐसी चर्चा किसी ने नहीं की थी और उस चर्चा के ज़रिए कई लोग उस पर बोले थे। हमारे विपक्ष के लोग भी बोले थे और बाबा साहब के बारे में जो बातें बताई गयी थीं, उनमें से कुछ बातें ऐसी भी थीं कि हम भी वे बातें नहीं जानते थे। इस बात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत ऋण स्वीकार करता हूं, भारत सरकार का बहुत-बहुत ऋण स्वीकार करता हूं।

प्रधानमंत्री जी ने 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' की जो घोषणा की है, यह संविधान के प्रति उनकी आस्था का प्रतीक है। जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल है, उनके स्मारक का सवाल है, भारत के आज़ाद होने के बाद दिल्ली या अन्य ज़गहों पर उनके जो स्मारक बनने चाहिए थे, वे नहीं बने थे। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारा ही विचार करने वाली सरकारों ने पांच स्मारक यानी कि पंचतीर्थ का निर्माण किया है, चाहे वह बाबा साहब अम्बेडकर की महू में जन्म स्थली हो चाहे कोई और स्थान हो। पिछली बार जब बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती की शुरूआत हुई थी तो भारत के प्रधान मंत्री महू गए थे। मैं समझता हूं कि अगर कोई प्रधानमंत्री बाबा साहब की जन्मस्थली पर गए थे तो वह हमारे नरेन्द्र मोदी जी गए थे।

बाबा साहब ने नागपुर में जहां दीक्षा ली थी यानी कि दीक्षा भूमि, जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी तो उस दीक्षा भूमि का निर्माण नितिन गडकरी साहब ने किया था। इसके बाद 26, अलीपुर रोड, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम सांसें ली थी, उसका पुनरुद्धार करने का फैसला भी अटल जी की सरकार ने किया था। इसके बाद दस सालों में यू.पी.ए. सरकार में इसके बारे में किसी प्रकार की कोई भी प्रगति नहीं हुई थी।...(व्यवधान) नरेन्द्रभाई मोदी जी द्वारा, इस सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये की लागत से वहां एक बहुत बड़ा, बाबा साहब की गरिमा के अनुरूप एक मेमोरियल बनाने का कार्य चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का जहां अंतिम संस्कार किया गया था, दादर की चैत्य भूमि पर, उसका भी निर्माण कार्य किया गया। अभी-अभी इन्दु मिल की ज़मीन को लेकर वहां बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत ही भव्य स्मारक बनाने का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में जहां रहते थे, जो निजी सम्पत्ति थी, उस सम्पत्ति को भी खरीदकर हमारी सरकार ने वहां बाबा साहब का मेमोरियल बनाने का काम किया है। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को लेकर पंचतीर्थ बनाने का जो फैसला किया है, आने वाली पीढ़ी को उससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी।

अभी-अभी खड़गे जी बोल रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट किया था, उसकी वज़ह से आरक्षण आया था। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि आरक्षण किसी ने नहीं दिया था। अगर किसी ने आरक्षण दिया था तो उसने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयत्नों से दिया था, गांधीजी की सम्मति से यह दिया गया था। अगर कोई सरकार या कोई विपक्षी दल ऐसी बात कहता है कि उन्होंने आरक्षण दिया है तो मैं मानता हूं कि वह सत्य नहीं है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर की वज़ह से आरक्षण मिला था।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का जो फैसला लिया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने 'प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़' में यह स्पष्ट लिखा था कि समय-समय पर काले धन को समाप्त करने के लिए, पैरेलल इकोनॉमी को समाप्त करने के लिए विमुद्रीकरण के फैसले लिए जाने चाहिए। इतने सालों में किसी ने भी बाबा साहब के मार्गदर्शन का पालन नहीं किया। अगर किसी ने उसका पालन किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उसका पालन किया है और लोगों ने उसको स्वीकार भी किया है। अभी-अभी पांच राज्यों में हुए चुनावों से वह पता चलता है।

बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए इलेक्ट्रीफिकेशन, यानी पावर जेनरेशन करना चाहिए। मुझे इस बात का संतोा है कि 100% पावर गुजरात में नरेन्द्रभाई ने प्रस्थापित किया था। उसकी वज़ह से एक 'गुजरात मॉडल' बना था और उस गुजरात मॉडल को पूरे देश ने स्वीकारा है, यह वर्ष 2014 के चुनाव से सिद्ध हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन-जिन रास्तों पर चलने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मार्गदर्शन किया था, यह सरकार, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार उसी रास्ते पर चल रही है। इसी का हमें संतोष है। अगर देश को आगे ले जाना है, देश को विकसित देश की श्रेणी में ले जाना है तो बाबा साहब का विचार आज भी सार्थक है, चाहे वह रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वह रिजर्व बैंक की बात हो, चाहे अन्य कोई भी बात हो, यह बाबा साहब के रास्ते पर चलने की बात है। अभी जो करेंसी की बात आई है, पहले करेंसी नकद में आई करती थी, चाहे वह सिक्के में हो, चाहे नोट के स्वरूप में हो। इस प्रकार की करेंसी पर हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं के फोटो छपते थे। इसका हमें बहुत आनंद है और हम इसका सम्मान भी करते हैं। जो भीम एप है वह बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर लाया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भीम एप को शुरू कर एक संकेत दिया है, एक फैसला दिया है कि बाबा साहब एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थी, एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। अब हम लोग उनके रास्ते पर चलने वाले हैं। मैं अपनी वर्तमान सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

हमारी सरकार इस बिल को लेकर आई है। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं कुछ चंद बातों को कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं;

"अगर भीम दलितों में पैदा न होते, अगर भीम दलितों में पैदा न होते;
यूं ही डूब जाती दलितों की नैया, अगर भीम दलितों में पैदा न होते।"

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Thank you, hon. Deputy Speaker Sir, for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2017.

It is nearly 70 years since the country has got its freedom and almost 70 years since our Constitution came into being. But it is a matter of regret that even after so many years the policy of reservation has had little impact on the lives of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people.

These socially deprived people live a precarious life unable to still fulfil the bare necessities of life. The age-old caste system is the main cause of the social inequalities in our country. It has largely contributed in keeping a large portion of India's population backward. The caste and creed based divisions still dominate in service, marriage, education, employment, and general social interactions in our country. We should therefore make all efforts in every form to fight back so that all of us live in a society that encourages liberty, equality and fraternity irrespective of caste which our Constitution promises.

Although our Constitution has provisions for reservation for these socially deprived people, they have benefited from these reservations only in a limited way. We need to put effort to make these people become a part of the mainstream society. We should attempt to help the weak grow strong – not to let the weak become weaker – and give them a level-playing field with all members of society. Hence, to echo what Dr. B.R. Ambedkar said, our efforts must be aimed to help "break the chains once and forever".

The Bill under discussion aims to strengthen the efforts by including in part 13, entry 79 of the Order, Sabakhia, Sualgiri, along with Swalgiri as Scheduled Castes in the State of Odisha. It is a commendable step forward. The Bill also aims to replace Pondicherry by Puducherry at both places where it occurs in the Order.

However, under the financial memorandum the Bill brings out that due to non-availability of Caste-wise data a precise estimate of expenditure, which would have to be incurred, is not possible. It is evident that with the inclusion of more

Castes under the Scheduled Castes category the Government will require more funds to make sure that every such member is enabled to access all opportunities and facilities. So, I would like to request the hon. Minister, through you, Sir, that the Government may consider it beneficial to revise the fund allocation towards the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people.

Sir, our hon. Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee has introduced a unique *Sikhashree* Scheme to encourage the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students towards education as also for their social upliftment. The Government of West Bengal has already issued more than 11 lakh Caste certificates and an online procedure has also been introduced to expedite the process. Sir, the time has come to provide quality education to our children from the nursery level as only through education our children can make a good future.

With these words, I would like to conclude my speech. On behalf of my Party, I wholeheartedly support this Bill. Thank you.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Sir, I rise to speak in support of the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2017.

The Bill seeks to include Sualgiri and Swalgiri Castes in the Scheduled Castes List of Odisha. These communities were found to be synonymous with Sabakhia Caste which is already included in the List.

Persons belonging to Swalgiri Caste were not getting benefits due to them and the Odisha Government had proposed their inclusion in the Scheduled Castes List. I thank the Social Justice Minister, Shri Thawar Chand Gehlot for accepting our demand and including this community in the List. This small amendment will ensure the progress of lakhs of people in Odisha.

I would like to take this opportunity to speak about the need to educate our children, especially those belonging to the backward classes. In India we pay very little attention to primary education. It forms the foundation of human character. We still do not have good teachers to help in building good human character. This problem becomes worse when you go further down the social ladder.

It is a sad truth that one in two Indian students cannot read books meant for Class three and below. The ASER survey 2016 shows that proportion of class 5 children who can read a class 2 level text fell to 47.8 per cent in 2016 from 48.1 per cent in 2014. Our primary education system is getting worse and it should worry us. This is happening despite our implementing the Right to Education Act and providing universal education in the country.

The problem of enrollment might have been solved but the problem of bad teaching quality remains and plagues our society. We need to think hard about making our children more capable of going out into the world and becoming the best people possible. The goal of turning them into good people, who contribute to the betterment of this nation, can only be achieved if good quality education reaches the lowest of the low in our social ladder that is the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

I urge the Government to have targeted programmes to improve quality of education given especially to this section of society. Most of them even cannot afford to go to a private school. It would require a major intervention from this Government to do well and to achieve their dreams.

With these words, I would once again like to thank this Government for including the Sualgiri and Swalgiri castes in the SC list in Odisha as well. Thank you, Sir.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले मंत्री महोदय गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा कि पिछले कई वर्षों से अपने हक के लिए जो समाज झगड़ रहा था, मांग कर रहा था, कई बार आंदोलन कर रहा था, उन्हें न्याय देने का एक महत्वपूर्ण काम इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस समाज की मांग पर गंभीरता से गौर किया। मैं छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इन जातियों को न्याय देने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। केन्द्र सरकार ने उस पर गंभीरता से ध्यान देकर इस विधेयक के माध्यम से उन्हें न्याय देने का काम किया। इस विधेयक पर बोलते हुए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में खेड़े गांव में पहाड़ी में कई दुर्गम गांवों में निर्जन बस्ती में रहने वाले कई लोग हैं जिन्हें धनगर कहा जाता है। वे बकरे तथा कई और जानवरों को संभालते हैं। धनगर में आखिर शब्द 'र' की जगह धनगड़ हुआ। धनगड़ समाज को न्याय मिला। उन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया, देश में उन्हें जो सहूलियत मिलनी चाहिए, वह मिलनी शुरू हो गई। लेकिन कई राज्य सरकारों में 'ड़' की जगह 'र' रह गया, ओरिजनल अक्षर 'र' था। मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि जिन राज्य सरकारों ने धनगर और धनगड़, एक अक्षर के फर्क से लाखों की संख्या में दुर्गम बस्ती में रहने वाले लोगों को अनुसूचित जाति का फायदा देने के लिए जो विधेयक लाना चाहिए, वैसा प्रस्ताव महाराष्ट्र की राज्य सरकार से मंगवाकर उन्हें न्याय देने की कोशिश कीजिए।

मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुम्बई या कोस्टल एरिया मछुआरों की बस्ती है। पिछले कई वर्षों से वहां मछुआरों का व्यवसाय चलता है। उन पारम्परिक मछुआरों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग है। उन्हें महादेव कोली का सम्मान मिले और अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का राज्य और केन्द्र सरकार के माध्यम से प्रस्ताव तैयार हो। पिछले कई वर्षों से यह मांग है। यह मांग भी ऐसे ही पूरी हो जाए ताकि प्रधान मंत्री जी का जो सपना है कि गरीबों के घर तक विकास जाना चाहिए, उन्हें सहूलियत मिलनी चाहिए और वर्षों से उनके घर में जो गरीबी बैठी है, उसका निर्मूलन हो सके, वह पूरा हो सके। धनगर और महादेव कोली इन दोनों समाज को न्याय देने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के उपबंधों के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 1950 के दौरान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों की सूची अधिसूचित की गई थी। इन अधिसूचियों को समय-समय पर रूपांतर किया जाता रहा है। समय-समय पर अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों में और अनुसूचित जनजातियों की कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों में रूपांतर के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव आते रहते हैं। इस पर केंद्र सरकार विचार करती रहती है। उसी क्रम में 1950 की अनुसूची के भाग 13 में उड़ीसा में प्रविट 69 के स्थान पर सबसखिया, सुआलगिरी और सुयालगिरी का प्रस्ताव लाया गया है। संविधान के पाण्डिचेरी अनुसूचित जातियों आदेश संख्या 1964 में पाण्डिचेरी शब्द के स्थान पर पुडुचेरी शब्द का प्रस्ताव किया गया है। निश्चित रूप से इसे करने से वहां की जनजातियां को लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पूना पैक्ट के माध्यम से अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिला, बहुत संघर्ष और त्याग के बाद मिला था। बाबा साहेब जी संघर्षों से राउंड टेबल कान्फ्रेंस में अनुसूचित समाज के लिए दो वोट का अधिकार लाए। हमें बहुत कुर्बानी और त्याग के बाद आरक्षण मिला है। माननीय सदस्य सोलंकी जी कह रहे थे कि कुछ लोग प्रचार करते हैं कि आरक्षण किसी ने दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण बड़ी कुर्बानी और त्याग के बाद मिला है। आरक्षण की समय सीमा दस साल निर्धारित की गई थी। दस साल का समय यह सोचकर निर्धारित किया गया था कि इस समाज के लोगों के साथ अगर न्याय किया गया तो दस साल में अनुसूचित समाज के लोग विकास की मुख्यधारा में आ जाएंगे। संविधान निर्माताओं की भावना और सोच थी कि अगर इसे पूरी ईमानदारी और निठा के साथ लागू किया तो अनुसूचित समाज दस साल में विकास की मुख्यधारा में आ जाएगी। इसे पूरी ईमानदारी और निठा के साथ लागू नहीं किया गया, इस कारण आजादी के 70 साल बाद भी समाज अभी भी अपेक्षित और पिछड़ा है। आरक्षण लागू करने की सबसे बड़ी दुर्भावना अगर कहीं देखने को मिली है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है। आजादी के समय देश में तीन विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया - हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। बीएचयू और दिल्ली विश्वविद्यालय सभी प्रकार के आरक्षण को मानता है, चाहे शैक्षिक हो, कर्मचारियों की बात हो या नॉन शैक्षिक हो, अलीगढ़ पिछले 70 सालों से इस बात को नहीं मानता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, देश के पैसे से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चलता है लेकिन यही विश्वविद्यालय किसी प्रकार का आरक्षण

नहीं देता है, न तो अनुसूचित जाति समाज को देता है और न ही बैकवर्ड क्लास को देता है। माननीय खड़गे जी कह रहे थे कि इसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी लगातार अनुसूचित समाज की बात करती रही। माननीय मुलायम सिंह जी, सपा के लोग बैकवर्ड की बात करते रहे। इन्होंने 70 साल में कभी इस बात की मांग नहीं रखी, अगर इस बात को ईमानदारी से मांगा जाता तो दलितों का नुकसान शायद न होता। हम लक्ष्य दस साल में प्राप्त कर सकते थे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, यह बात सही है कि जब चुनाव आता है, उस समय राज्य सरकारें अपने राजनैतिक लाभ के लिए शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सम्पन्न जातियों को शामिल करने का प्रयास करती हैं। देश में लगातार नौकरियां घट रही हैं, जब इन जातियों को बढ़ाया जाएगा तो अनुसूचित समाज का नुकसान होगा। देश के सर्वोच्च् न्यायालय ने 50 परसेंट से ज्यादा सीमांकन कर रखा है, इससे आगे आरक्षण मिल ही नहीं सकता है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि जब भी इस तरह का प्रस्ताव आए, इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि इससे अनुसूचित समाज को दिनों दिन बहुत नुकसान हो रहा है।

आपने मुझे महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion.

I, on behalf of the Telugu Desam Party, fully support the Bill. There is a small doubt arising out of this Bill. Why is there a demand for inclusion of a caste in the list of Scheduled Castes? The very demand of any caste to be included in the list of Scheduled Castes means the persons belonging that particular caste will get reservation. This is one benefit that they will get. But the percentage of reservation for people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is fixed – it is 15 per cent for SC and 7.5 per cent for STs. जितनी कास्ट्स उसमें आयेंगी, उतने ही केक डायलूट हो जायेंगे और दूध कम हो जायेगा।

Sir, my first demand in this context would be to increase the percentage of reservation for the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in proportion to their population. I would like to request the hon. Minister and also the hon. Members of this august House to strive for increasing the percentage,

from 15 to 20 or 22 per cent in proportion to their population, of reservation through a Constitution amendment.

Scheduled Castes does not mean a single class. There are a number of castes amongst the Scheduled Castes. They number more than thousand. Of late, there is a tendency on the part of everyone to sub-classify them and sub-categorise them. It is being done, maybe, for reasons of political benefit or maybe for some other benefit, I have no idea. The slogan of our hon. Prime Minister is national integration. जो होता है, वह नैशनल डिसइन्टीग्रेशन होता है।

Sir, the concept of caste is a very dangerous thing. There is caste system prevalent only in India. In every other country we see rich and poor, black and white, but the peculiar thing in India is that even though I look like any other person, but I am being referred to as a person belonging to the Scheduled Castes and I am to be kept outside the village and will be deprived of any kind of social interaction. For example, a girl belonging to Scheduled Castes cannot marry a Hindu boy or upper caste boy. There are four *varnas.* It is a vertically split society. Even within castes there are thousand other sub-castes. If this is the social fabric of India, then how is the country going to be united and integrated?

Sir, there are a lot of hostility towards people belonging to Scheduled Castes and Schedule Tribes. इनको रिजर्वेशन है, इसलिए कुछ भी मार्क्स मिलें, इन्हें मेडिकल कालेज में सीट मिल जायेगी, इंजीनियरिंग में सीट मिल जायेगी, आईएएस बन जायेगा। कोई बात नहीं, क्योंकि इसके लिए एससी में पैदा होना अच्छा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने आईएएस और आईपीएस सैक्रेट्रीज बने, कितने जजेज बनें? एससी कम्युनिटी के कितने मैनुफेक्चरर्स हैं। How many people are doing business from people belonging to the Scheduled Castes community? How many traders are there from this community? How many people from this community are owners of industries? How many of them are owning aircraft and TV channels? The percentage of share in the economic pie of the country is very negligible. But outside everybody talks very ill of reservation. इसका रिजर्वेशन है, इसलिए तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम पढ़ो या न पढ़ो, तुम्हें सीट मिल जायेगी। But statistics

does not say that. Statistics say something different. There are no Secretaries and Joint Secretaries in the Government of India from the people belonging to Scheduled Castes community. There are no judges in the Judiciary from the Scheduled Castes community. There is a new case emerging. There are so many judgments coming from the Supreme Court against reservation. The case of Nagarajan is coming up for reservation in promotion. There is an urgent need to revisit and relook at the entire reservation policy in the country. We have to seek justice for the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes once for all. It is because we are striving for national integration. These are the people who should be integrated with the mainstream of the country for achieving social democracy which will finally lead to political democracy.

Thank you.

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity. On behalf of TRS party, I whole-heartedly support the Constitution of the Scheduled Caste Order Bill, 2017. मैं आपके जरिये मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि आप आजादी के 70 साल बाद आज इस कम्युनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं? Till today thousands of cases are pending with the Department of Social Justice and the National Commission of Scheduled Caste and Scheduled Tribes. Till today about cases of 159 castes of Scheduled Tribes are pending with the Department of Social Justice.

15.00 hours

आज एक कम्यूनिटी को इनक्लूड करने के लिए, उस पर एक स्टिग्मा होता है, उस स्टिग्मा के साथ ही एक कम्यूनिटी एससी लिस्ट या एसटी लिस्ट में इनक्लूड की जा सकती है। 70 साल में इससे कितना बेनिफिट फोरगो हुआ, इस पर मंत्री जी को सोचना चाहिए। क्यों आज ऐसा हो रहा है? आज एक कम्यूनिटी के इसमें इनक्लूड होने के साथ दूसरी कम्यूनिटी वाले समझ रहे हैं कि हरेक जाति के लोग रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं। That is not correct. There is a specific guideline. There is a specific stigma to include a particular community or a particular caste. For example, a community wants to get included in the SC list, what is the criteria for it? The criteria are untouchability and life style and they should be away from the society. If you want to include any community in the ST list, the criteria is the origin race. It should be done on the basis of the origin race. They should not have the lipi for their language. Their dress code is separate, their life style is separate and their folk culture is separate. These are all the characters which are there. In spite of it, after 70 years, if you are allowing it, then those who are eligible are already getting deprived. Under-privileged people are not recognised. But those who want to rule the country are also asking for reservation. It is a shame on the part of our community. What to do in that situation? There is a specific guideline. ‘

I would like to inform the House that nearly 30 per cent of the SC and ST population is spread over in this country. What is the reservation for them? Only

15 per cent reservation is there for SCs and 7.5 per cent is there for STs. Whenever you want to include a community in the already existing list, I would request the hon. Minister to inform us as to the reservation that is being given to them is. How much percentage are you including in the existing percentage? Why are you not making any amendment to increase the percentage? Without increasing the percentage, if you want to include a community in the list, then it is a burden on the existing communities. Already, we are not getting sufficient benefits. There are thousands of backlog posts. Others are thinking that we are a burden in the country. We are pests in the country. This is not good.

Your Government is appreciated by everybody. At least, you can fast track it to involve the communities which are eligible. In Telangana, our Chief Minister has issued a specific guideline regarding the sub-Plans. How we can develop the State? There is a reservation policy in Parliament. I am representing a reserved parliamentary constituency. What is the difference between reserved and unreserved parliamentary constituencies? There is no difference. But what are others thinking? Since we are from reserved constituencies, we are looting the Government. I am asking the hon. Minister and he may respond when he replies. I am also getting Rs. 5 crore as MPLAD funds and other non-reserved constituencies are also getting it. Are there any scientific parameters with the Government? You are giving ten years of reservation but is there any scientific parameter for it? About 70 per cent of the students are drop-outs in this country. The literacy rate is 39 per cent. Others are asking as to why we want reservation. It is our right and it is a constitutional obligation. Nobody can give it because it is a constitutional obligation. It is mandatory for them to give it.

Whenever you want to include any community, what is the percentage of the community which you would like to include in the existing list? Along with it, you can kindly enhance the reservation percentage also.

There is a hitch here as regards Supreme Court that 50 per cent should not be crossed. Then how can you include that community when the existing

percentage cannot exceed 50 per cent? Then how can you include any other community? When you want to complete it, you can promulgate an Ordinance in Parliament and you can exceed 50 per cent. You are supreme in this aspect. Parliament is supreme. Thank you, Sir.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, थावरचंद गेहलोत जी ने जो संविधान संशोधन पेश किया है, जातियों के आदेश से संबंधित अमेंडमेंट का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आजादी के बाद डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का जो पहला प्रयत्न हुआ, वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। जब उन्होंने जो भी यादें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी से जुड़ी थीं, उन सभी स्थानों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रयत्न किया। मुझे याद है कि लालकिले पर एक बहुत बड़ी दलित रैली हुई थी, उसमें वाजपेयी जी ने बोलते हुए कहा था कि मेरा शासन डॉ. भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाये गये संविधान के अनुसार चलेगा। उसी का अनुसरण करते हुए, आज जननायक भारतमाता के लाल नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले तीन वर्षों के अंदर जो भी कदम उठाये हैं, उन सब कदमों का दरवाजा भारत के गरीबों के दरवाजे पर जाकर खुलता है, जिसमें 80-90 प्रतिशत से ज्यादा एससी और एसटी के लोग आते हैं।

मैं अभी पहले भी यहां पर इस महान सदन में अपने माननीय सदस्यों के विचार सुनता रहा हूं। आज भी बहुत सी सामाजिक बुराइयों के बारे में यहां पर बातचीत हुई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरा जो मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके बारे में कई बार विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहते हैं, उसकी पिछले साल नागौर के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी। उस बैठक में देश के अंदर सामाजिक समरसता लाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया था कि अगर हिन्दुस्तान के अंदर सब लोग एक समान कुंआ, समान मंदिर और समान शमशान रखें तो इससे देश में समरसता लाने का कार्य सम्पन्न होगा। इसी तरह से जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वे जन-धन की योजना हो, इसका दरवाजा भी गरीबों के दरवाजे पर जाकर खुल रहा है, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो या ई.डी. बल्व बांटने का काम हो, चाहे वह बाबा साहेब भीमराव से संबंधित जो पंचतीर्थ हैं, ये सारी वे योजनाएं हैं जो नरेन्द्र मोदी जी ने न केवल बाबा साहेब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को सम्मान किया बल्कि देश के अंदर 27 करोड़ एस.सी. और एस.टी. के लोगों के कल्याण का जो बीड़ा मोदी जी ने उठाया है, आज वह सारे देश के अंदर रंग ला रहा है और हिन्दुस्तान सारी दुनिया में एम.डी.जी. गोल और

ससटेनेबल गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I, on behalf of my Party, extend support to this Bill which will include one community in the list of Scheduled Castes in Odisha and also the rectification of the name.

Taking advantage of participating in this debate, I would like to flag some issues. The Hon. Minister of Social Justice is present here. In this 16th Lok Sabha, in most of the seats Members belonging to the ruling party have been elected. I would like to draw their attention also. अभी जो हमारे एक साथी ओडिशा से बोले कि यह जो एस.सी. जो लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, नयी कम्युनिटी शामिल हो रही है, इसको हम क्या फायदा देंगे, क्योंकि टोटल प्रतिशतता में कोई वृद्धि नहीं होगी। There is nothing which has been added there. So, it will be a burden on them.

Secondly, today a number of people are saying that Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and backward communities are getting more facilities and that they are enjoying better opportunities. If you come to the current financial year, the budget of SCs is supposed to be 4.63 per cent, which accordingly comes to about Rs.1 lakh crore. But in this General Budget, it has made a provision of only Rs.52,393 crore, which is only 50 per cent of the due. Similar is the case of the STs budget. 2.39 फीसदी रखा था, लेकिन 31920 करोड़ रुपए मिला है। यह राशि भी आधे से कम है। बजट में कहा गया कि एससी और एसटी को आरक्षण तथा सुविधाएं देंगे, लेकिन बजट में बहुत कम राशि आबंटित की गई है, तो कैसे इनका विकास होगा। बजट में एसटी और एसटी सब-प्लान को हटाया गया। जिस वजह से ये लोग बैकवर्ड हैं और इनके लिए बनाई गई स्कीम्स का जो टार्गेट था, पूरी राशि न मिलने की वजह से इन योजनाओं को इम्प्लिमेंट करने में बहुत कठिनाई आएगी।

माननीय मंत्री श्री गहलोत जी सदन में उपस्थित हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एससी और एसटी के छात्रों का पिछले साल का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का 12 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं। आप आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन राशि में कटौती हो रही है - how come would this

happen? I would like to suggest to the hon. Minister that both for the welfare of SCs and STs, there should be legislation not only to include in the List but there should also be a legislation to the effect that the Sub-Plans of SCs and STs should be made mandatory and compulsory both at the level of Central and State Governments so that we can take care of the welfare and ensure benefits to the SCs and STs communities.

With these words, I conclude, Sir.

*SHRI CHARANJEET SINGH RORI (SIRSA): Hon. Deputy Speaker Sir, I rise to speak on the Scheduled Caste Orders Amendment Bill on behalf of my party INLD.

I support this Bill. Today is 23rd March. It is the Martyrdom Day of the freedom fighters Shri Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. On this occasion, I pay my regards to these great freedom fighters.

Sir, the Almighty God created all human beings as equal. However, some divisive elements who believed in the philosophy of Manu, classified and segregated people into different castes. Dalits are being discriminated against. All kinds of atrocities are being perpetrated on Dalits in different States. Dalits feel that they are leading a life of slavery.

Hon. Deputy Speaker Sir, I hail from Haryana and 90 per cent children belonging to SC&ST communities studying in government schools hail from very poor families. Earlier the Congress party was at the helm of affairs for 10 years. These students find themselves at the receiving end. No teachers are there in government schools. These students do not have books.

The school buildings are in a dilapidated condition. This is because mostly students belonging to Dalit community are studying in these government schools. So, these schools are a picture of neglect. Untouchability is being brazenly practised in these schools.

Hon. Deputy Speaker Sir, the Haryana Government must ensure that these government schools are provided all facilities. For the last 10 years, these Dalit students are suffering. Their future is at stake.

I would like to thank the present government for the positive steps taken by it regarding the board exams.

Hon. Deputy Speaker Sir, the reserved seats are not being filled. There is no reservation in promotion. The Dalit employees are being victimized.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

HON. DEPUTY SPEAKER : Please wind up.

SHRI CHARANJEET SINGH RORI : I and on behalf of my Party support this bill. Thank you.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया है। उसमें दो संशोधन हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए और इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

यहाँ पर यह बात हुई है, जिसकी शुरुआत श्री खड़गे जी ने की है, वे कांग्रेस के एक बड़े, कद्दावर-दलित नेता हैं। उन्होंने दो-तीन बातें कही हैं। यह बात ठीक है, जैसा उन्होंने कहा कि यदि हम दलितों के उत्थान के लिए आरक्षण चाहते हैं या हमारे समाज में जो दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े लोग हैं, यदि हम उनके बेनिफिट की कोई बात करते हैं, तो इसके लिए सभी को बैठकर कोई निर्णय करना चाहिए। परंतु निर्णय लेते-लेते आज 70 वर्ष बीत गये। आप कहेंगे कि आपने फिर वही बात कर दी। उन वर्षों में आपका ही राज रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि इन 70 वर्षों में जो भी सरकारें आयीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अनुसूचित जाति के लोगों का, दलितों का ...* उनको सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित रखा गया। उन्होंने उनके लिए जो भी योजनाएँ बनाई गईं, उनको कभी धरातल पर नहीं उतारा गया। ...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, what is this? He is making wild allegations? It should be deleted from the records… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I will see to it. If there is anything objectionable, that will be deleted.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : यही कारण है कि आज दलित समुदाय कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से हट गया है। इसके पीछे जो वास्तविकता है, मैं वह कहना चाहता हूँ। श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आयी है,उसने सामाजिक समरसता की बात की है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, please conclude, now. We have to take up the Private Members' Business at 3.30 p.m.

श्री वीरेन्द्र कश्यप : सामाजिक समरसता के लिए हमारी सरकार जो योजनाएँ ला गयी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान के लिए क्या किया गया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं मंत्री जी का जरूर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बार शिड्यूल्ड कास्ट सब-प्लान की राशि बढ़ायी है। पिछली बार आबंटित 38833 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपये किया गया है। उसी तरह से ट्राइबल सब-प्लान की राशि को भी 24005

---

* Not recorded.

करोड़ रुपये से बढ़ाकर 31,920 करोड़ रुपये किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जब तक पैसा नहीं मिलेगा, वे आर्थिक तौर से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक सामाजिक तौर पर उनका स्थान वही रहेगा।

एट्रोसिटीज एक्ट में अमेंडमेंड किया गया है। आज भी हमारे दलित समुदाय के लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता है, दूल्हे को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है। उनके साथ बहुत-सी ज्यादतियाँ होती हैं। यह एट्रोसिटीज ऐक्ट लाने के लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी सरकार को भी मुबारकवाद देना चाहता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: We have to take Private Members' Business at 3.30 p.m.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अनुसूचित जातियों के संशोधन विधेयक, 2017 की चर्चा में मुझे बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून, 1950 में समय-समय पर संशोधन करती रही है। इसके इतने संशोधनों के बाद भी इन समुदायों की आर्थिक स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। आज आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज छुआ-छूत व्याप्त है। इन समुदायों के लोगों को आज भी मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। सन् 2011 में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था। यहाँ 'उजाला योजना' की चर्चा भी हो रही थी। मैंने एक दलित परिवार के यहाँ जाकर देखा कि उन सभी लोगों का इस योजना से नाम ही कटा हुआ है। लोगों को 'उजाला योजना' कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा लोगों के लिए जन-धन योजना तो खोली गई, परंतु उनके खातों में पंद्रह लाख रुपये नहीं दिए गए है।

महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह यह बताए कि उसके समय में प्रधान मंत्री कार्यालय में कितने दलितों के बच्चे हैं? सरकार को यह भी बताना चाहिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दलितों के कितने बच्चे जज बने हैं। सरकार यह भी बताए कि दिल्ली में आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में दलितों की संख्या कितनी है?...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, please wind up.

श्री कौशलेन्द्र कुमार : महोदय, चर्चा थोड़ी गड़बड़ा कर इधर से उधर चली गई है। बिहार में मछुवारा और माली जाति के लोग, जो दलित से भी दलित हैं, उन्हें भी इस समुदाय में लाया जाए ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला पाटले।

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं इस देश के माननीय प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विकास को 'सबका साथ, सबका विकास' के माध्यम से आगे बढ़ाया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों में उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएँ बनाई गई हैं। इन योजनाओं का फायदा इन प्रदेशों में रह रहे इन जातियों के लोगों को मिलेगा। आज उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए उनकी सामाजिक और आर्थिक निगरानी

करने की जरुरत है। देश में वंचित समाज की भागीदारी के बिना समग्र विकास का सपना नहीं देखा जा सकता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का आग्रह किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा विचार है कि सूची में उन्हीं जातियों को शामिल किया जाए जो अनुसूचित जातियों से मेल खाती हैं। जिन लोगों का रहन-सहन सामाजिक रीति-रिवाज जैसी मात्रात्मक त्रुटि के कारण छूट गया है, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगी। अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाएँ गाँव से आकर मेट्रिक तक की पढ़ाई करती हैं। जब वे बालिकाएँ कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। इस कारण उनकी शिक्षा छूट जाती है। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसी कन्याओं के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होस्टल खोले जाएँ जहाँ रहकर ये कन्याएँ अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकें। इसके साथ ही साथ मेरे संसदीय क्षेत्र जांजगीर-चाम्पा में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास नहीं हैं। इसके लिए भी मैं माँग करती हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र में गिरोदपुरी धाम है, जो महान संत गुरू घाँसीदास बाबाजी की जन्म स्थली है। वहाँ हमारी राज्य सरकार के माननीय मुख्य मंत्री श्री रमन सिंह जी ने कुतुब मीनार से भी ऊँचा जय स्तंभ का निर्माण कराया है। हर वर्ष 18 दिसंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरे प्रदेश में छुट्टी रहती है। गुरू घाँसीदाज बाबाजी की अनुयायी संतानें पूरे देश में रहती हैं। मैं यह माँग करती हूँ कि केंद्र स्तर पर इस दिन को छुट्टी घोषित की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय और लूँगी। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति के सूची कम्राँक 14 में दर्ज सतनामी, रामनामी और सूर्यवँशी को अलग पृथक क्रमाँक किया जाए। इससे हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी सहमत है और इस पर कार्यवाही करने के लिए तैयार है। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री धर्म वीर गांधी।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया।

मैं दो-तीन बातें यहां रखना चाहता हूं। दलितों की हिन्दुस्तान में जो स्थिति है, उसका यदि निष्कर्ष निकाला जाए, जिसके बारे में बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने दो सेन्टेंस में कहा था। जिसे उन्होंने देखा, जिसको उन्होंने अपने जीवन जीया है। उससे उन्होंने दो निष्कर्ष निकाले हैं कि दलितों की इस देश में बुरी हालत के दो कारण हैं, पहला ब्राह्मणवाद और दूसरा, पूंजीवाद। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर दलितों का उत्थान करना है, उनके साथ भेदभाव को यदि खत्म करना है, उनके साथ गैर बराबरी को खत्म करना है, उनके साथ हो रही बेइंसाफी को खत्म करना है तो उसके लिए पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

इसके साथ ही मैं उन लोगों के बारे में भी कहना चाहता हूं जो मैरिटोक्रेसी की बात करते हैं कि मैरिट के साथ-साथ कुछ होना चाहिए। उनके बारे में मेरा कहना है कि आप जो डफ्फर एलिट हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे मैनजमेंट कोटा के नाम पर, एनआरआई कोटा के नाम पर, कोई एग्जाम भी नहीं देते हैं, उनके लिए हर यूनिवर्सिटी में, हर मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल जाती है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलन्द क्यों नहीं करते हैं। दलित लड़के कम से कम एग्जाम में तो बैठते हैं, 33 परसेंट नंबर तो लाते हैं, क्वालीफाई तो करते हैं। लेकिन जो डफ्फर एलिट है वह तो क्वालीफाई भी नहीं करती है, फिर भी वह डॉक्टर बनता है, आईएएस बनता है, इंजीनियर बनता है, सब कुछ बनता है।

इसका एक सॉल्यूशन है, जो मैंने अब तक के अपने 65 साल के जीवन काल में सोचा है कि अगर भारत में जातिवाद को खत्म करना है, अगर भारतर्वा में वर्ण व्यवस्था और भेदभाव को खत्म करना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है दलितों के लिए उच्च शिक्षा। दसवीं तक दिमाग के किंवाड़ नहीं खुलते, लेकिन जब बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, तब उसका दिमाग रोशन होता है।

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): At the outset, I congratulate the Government for bringing the proposed legislation, the Constitution (Scheduled Castes) Amendment Bill 2017.

Article 17 of the Constitution of India seeks to abolish untouchability and to forbid all such practices. It is basically a statement of principal that needs to be made operational with ostensible objectives to remove humanitarian and multi-faceted harassments meted out to *dalits* and to ensure that their fundamental and socio-economic, political and cultural rights are protected and to establish a bias free society.

The amendment brought by the Government proposes certain modification in the list of Scheduled Castes by way of inclusion of certain communities, like sualgiri/swalgalities caste modification and removal of area restriction in respect of certain communities in Odisha. The proposal is hoped to have changes in the Central list of other Backward Classes, consequent upon inclusion of certain castes or parts thereof in the list of Scheduled Castes. This proposed amendment will also be entitled to the benefits of reservation in services and admission in the educational institutions and is hoped to provide certain privileges/concessions to the members of these communities.

However, there is a need for proper revision in the list of Scheduled Castes so that the deprived communities in the country are not left behind. There are even certain tribes that have not been included in the list of Scheduled Castes. It would be better for the Scheduled Caste communities if one time system is evolved to prepare a proposal in consultation with the States so that all such castes that have been left out are included in the List of Scheduled Castes. There is a need for the Government to conduct a caste-wise survey.

There is also a need for revision of this list in Andhra Pradesh after the bifurcation of the State. Inclusion of budaga jangam community is required by demanding entry 9, in Part I of Schedule-I, section 2(1) of the Constitution SC/ST Order (Second Amendment) Act 2002. There are certain nomads and tribes

including raj gond tribe that have been found in Guntur, Vijaywada and Ananthpur of Andhra Pradesh that are vulnerable lot and needs to be included in the list for certain benefits as per the Constitution.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we have to take up the Private Members' Business. We will extend the time by another 10-15 minutes till we pass this Bill.

SEVERAL MEMBERS: Yes, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri Rajesh Ranjan, you take only two minutes.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मेरा आग्रह है कि मान्यवर, धर्मेन्द्र जी ने जो बात कही कि व्यवस्था, पूंजीवाद और धर्मवाद। बाबा साहब अम्बेडकर या महात्मा फूले ने जो सबसे बड़ी चोट की थी और पेरियार साहब ने कहा कि गरीबी अगर खत्म करनी है तो मंदिर, मठ, अंधविश्वास, आडम्बर और कर्मकांड को मिटा देना पड़ेगा। इस बात पर इन्होंने सबसे ज्यादा चोट की थी। भाग्य और भगवान के फेर में गरीब और दलितों को मत पढ़ाइए। जो शोषण करने वाले लोग हैं, उन्हीं से सबसे ज्यादा वोट लेते हैं और उन्हीं को सबसे ज्यादा राज देते हैं। मेरा आग्रह यह है कि सावित्री बाई फूले, महात्मा फूले और संत रविदास, इन लोगों को आप पाठ्यक्रम में जोड़िए, क्योंकि सावित्री बाई फूले ने सबसे पहले एडूकेशन को लेकर हिन्दुस्तान में क्रांति की थी। मैं चाहूंगा कि पेरियार को व इनको पाठ्यक्रम में डालिए।

दूसरा आग्रह यह है कि रोजगार छीन लिया गया है। जैसे चमार का रोजगार है, कुम्हार का है रोजगार है। उनके रोजगार को कंपल्सरी कीजिए। आप किसी भी कीमत पर न्यायालय में आरक्षण को कंपल्सरी कीजिए, प्राइवेट स्कूलों में एडूकेशन को 30 प्रतिशत कीजिए। आपके पास बिहार की एक लिस्ट आई हुई है, मैं सिर्फ उसके बारे में बता देना चाहता हूं (बिन्द, बेलदार, चाई, तियर, खुलवट, सुरहिया, गोढ़ी, वनपर, केवट, नोनिया, सुर्जापुरी, कुलहया और शेरशाबादी) मेरा आग्रह है कि आप इनको अनुसूचित जाति में लीजिए, लेकिन बजट को मत काटिए। कल्याण छात्रावास के बजट को आप प्राथमिकता दीजिए। अनुसूचित जनजाति और दलित के एडूकेशन और उसके इकोनॉमिकल फ्रीडम को आप बढ़ावा दीजिए। बगैर एडूकेशन और बगैर आर्थिक क्रांति के आप अनुसूचित जनजाति के सम्मान को नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस पर कार्य कीजिए। लगातार जे.एन.यू. में दलितों पर जुल्म हो रहा है, लगातार जे.एन.यू. में दलितों को मारा जा रहा है। आप उनको संरक्षित कीजिए।

डॉ. यशवंत सिंह (नगीना) : आपने संविधन के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि संशोधन विधेयक 2017 पर बोलने का मौका दिया। मैं इस संशोधन को लाने के लिए माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, मैं आपका ध्यान कुछ बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहता हूं। हम हर साल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कुछ न कुछ जातियों को इनक्लूड करते रहते हैं। क्या हम उन सुविधाओं के बारे में भी सोचते हैं जो हम अनुसूचित जाति के लोगों को दे रहे हैं, क्या वे उनके लिए काफी हैं? क्या 70 साल से जो सुविधाएं अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारें देती आ रही हैं, क्या वे अभी तक उद्देश्य पूरा कर पाई हैं? या हम दूसरी जाति से उन्हीं जाति में इनक्लूड करके कुछ भूखों के बीच में और नए भूखे पैदा करने के लिए नई जातियां इनक्लूड कर रहे हैं। इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। महोदय, देखा गया है कि 70 साल के बाद भी आज तक जितनी ऊंची कैटेगरी की वैकेंसीज निकलती

है, 'नॉट एफीशियेंट' कहकर पोस्ट को खाली रखा जाता है। अगर 70 साल में भी ये सरकारें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पातीं, जहां वे शिक्षा में दूसरों के बराबर हों, तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है।

मेरा यह भी कहना है कि आजकल प्रदेश सरकारों का यह फैशन चल गया है कि वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ जातियों को बार-बार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में इनक्लूड करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के माध्यम से दो बार तेहरे जातियों को गुमराह किया गया। उनको बार-बार अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट प्रदेश में मिलता है, जिसे कोर्ट बाद में खारिज करता है। उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है।

मान्यवर, एक और विडम्बना देखने को मिली है। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव था। अखबार में एक एडवर्टाइज आया कि अनुसूचित जाति की महिला अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति व्यक्ति से बिना दहेज की मांग के शादी करना चाहती है तो भी वह व्यक्ति शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। यह एक गंभीर संमस्या है। अनुसूचित जाति की सीटों पर गरीब परिवार की महिला से शादी करके, उसका झूठा सर्टिफिकेट बनवाकर अनुसूचित जाति के राजनीतिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे उदाहरण दिन-प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है। हम सरकार से इस बात को भी कहना चाहते हैं कि जो ऐसे माध्यम से इंटरकास्ट शादी करते हैं, उन्हें नौकरियों में प्रमोशन दे, उन्हें नौकरियों में बढ़ावा दे, लेकिन इंटरकास्ट शादी करने वाले लोगों को राजनीतिक फायदा न मिले, यह संशोधन किया जाए। धन्यवाद।

श्री थावर चंद गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक 17 माननीय सदस्यों ने इस संक्षिप्त बिल पर अपने विचार रखे हैं। इसमें बहुत सारे विाय आए हैं और वे विाय ऐसे हैं, जो बिल से बहुत दूर हैं, वे बिल से संबंधित विषय नहीं हैं, परंतु अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों की समस्याओं से संबंधित हैं। परंतु बिल में जो विाय है, मैं उससे संबंधित ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। आदरणीय खड़गे साहब ने जो चिंता व्यक्त की है, वह चिंता वाजिब है। देश की आजादी के बाद बाबा अम्बेडकर जी की सोच पर जो सोच बनी, वह सही दिशा में नहीं थी, अब सही प्रयास करने की आवश्यकता है। अपना देश बहुसमाज, बहुजातियों का देश है, इसमें समता, समन्वय और समानता लाने की महती आवश्यकता थी। इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, हालांकि कोशिश की भी गई है, परंतु आज भी इस प्रकार का प्रयास और तेज करने की आवश्यकता है। चूंकि इस प्रकार के विाय बड़े सैन्सिटिव होते हैं। किसी एक वर्ग के हित में अगर बोलते हैं तो दूसरे वर्ग को वह बात गले नहीं उतरती है। दूसरे वर्ग की हित की बात करते हैं तो तीसरे वर्ग के गले नहीं उतरती है। हमारी जो सोच है, वह सबके उत्थान की बजाय मैं, मेरा परिवार और मेरा समाज तक ही सीमित होने लगी है। जबकि हमें अपनी को सोच व्यापक बनाने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति - वसुधैव कुटुंबकम् की रही है, जीयो और जीने दो की रही है, एक-दूसरे के कटों को दूर करने की रही है, सबके साथ समान व्यवहार करने की रही है। परंतु इसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी आ रही है, इसलिए इसे ठीक करने की आवश्यकता है। यह किसी एक सरकार के या किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं हो सकता है।

हमने श्री नरेन्द्र मोदी साहब के नेतृत्व में इन तीन वर्षों में इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की है और सक्रियता से की है, व्यावहारिक की है, कानून बनाकर भी की और बहुत सारी योजनाएं बनाकर उन पर अमल करने का प्रयास करके भी की है। खड़गे साहब ने यह कहा कि आजकल जातियों को जोड़ने और घटाने के लिए राजनीतिक आधार पर सोचा जाता है, दबाव के आधार पर सोचा जाता है। इस बात में सत्यता हो सकती है, मैं उनसे असहमति व्यक्त नहीं करता हूं। परंतु कोई राज्य मान लो अगर इस आधार पर प्रस्ताव कर देता है तो यह संसद उस आधार को ध्यान में रखकर काम करेगी, क्योंकि सारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य यहां होते हैं और वे उसमें सुधार करके ही निर्णय करते हैं। इसलिए अभी तक जो परम्परा रही है, व्यवस्था रही है, कानूनी प्रावधान रहा है, जो प्रक्रिया रही है, उसी प्रक्रिया को आधार बनाकर आज भी इस प्रकार के विषयों पर निर्णय किया जा रहा है। हमने कोई नये नियम नहीं बनाये हैं। देश की आजादी के बाद जब 1950 में अनुसूचित जातियां संबंधित आदेश जारी हुए, तब से बीच में कई बार संशोधन हुए और वे इसी पद्धति से, इसी प्रक्रिया से हुए हैं। यह बात ठीक है कि

वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि राजनीतिक दबाव में या और किसी दबाव में लाभ-हानि को ध्यान में रखकर ऐसा करने की बजाय जाति समाज के साथ, गरीबों के साथ न्याय देने की सोच के आधार पर इस प्रकार के प्रस्ताव बनने चाहिए।

महोदय, मैं इस अवसर यह भी कहना चाहूंगा कि यहां बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उनको न्याय मिले, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए कानून को सख्त करने का प्रयास भी किया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण कानून सन् 1989 से बना हुआ है। उसको सख्त करने के लिए इसी संसद ने पिछले साल ही एक कानून बनाया है और उस कानून पर इंप्लिमेंट करने का प्रयास भी कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी आपराधिक बातें, जो पहले नहीं थीं, उनको भी जोड़ने का काम किया है। जैसे पहले जो कानून बना हुआ था, उसमें किसी का अगर मुँह काला कर दे, किसी की मूंछ काट दे, किसी का सिर मूंड दे, किसी को जूते का हार पहना दे, किसी को नंगा कर के निर्वस्त्र कर के घुमा दे, और उसके साथ अनेक प्रकार के अन्याय या अत्याचार करे, फिर भी वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। एक बात और थी कि दस साल से अधिक की सजा का आईपीसी की धाराओं में जो प्रावधान है, वही उस एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंतर्गत आते थे। एट्रोसिटीज़ एक्ट में अब सभी धाराएं, उसमें लागू होती हैं। इस कारण से हमने कानूनी सशक्तता लाने का प्रयास किया है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए भी अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं पर इंप्लिमेंट करने का काम हम कर रहे हैं। उन्होंने रिज़र्वेशन की बात भी कही। जब तक, जिस आधार को ध्यान में रख कर के आरक्षण संबंधी प्रावधान संविधान में किए गए हैं, वे विमताएं जारी रहने तक भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, एनडीए की यह सरकार आरक्षण की पक्षधर है और भविय में रहगी, इसमें कसी को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है।

किरीट सोलंकी साहब ने योजनाओं की जानकारी दी है। आदरणीया प्रतिभा मंडल जी ने कहा जातियों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए बजट में बढ़ोत्तरी करने की मांग उन्होंने की है। जातियों की संख्या बढ़वाने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार भेजती है। राज्य सरकार बजट बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखती है। केंद्र सरकार भी बजट बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखती है। हमारा प्रयास है कि गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा, इन वर्गों के लोगों को भी मिले। हम इसके लिए छात्रवृत्ति भी देते हैं। कोचिंग की सुविधा भी देते हैं। कोई विदेश जा कर पढ़ना चाहता है तो, उनको भी इस प्रकार की सुविधाएं देते हैं। ...(व्यवधान) इस प्रकार की सारी सुविधाएं हम देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर महापुरुों की जयंती और परिनिर्वाण दिवस पर उत्सव आयोजित करने के लिए उनकी जयंती मनाने के लिए, उनके

महापरिनिर्वाण दिवस पर कोई कार्यक्रम करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनकी सोच को प्रचारित करने के लिए, पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, परंतु हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर कोई बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाता है, ज्योतिबा फूले साहब की जयंती मनाता है, रविदास जी की या कबीरदास जी की जयंती मनाता है, ऐसे जो महापुरुा हैं, जिन्होंने इन वर्गों के लिए काम किया है, मृत्यु दिवस पर और जन्म दिवस पर अगर कोई आयोजन करना चाहता है तो हम उनको पांच लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता भी देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था पहले नहीं थी। ...(व्यवधान) उनमें संत रविदास जी हैं, कबीरदास जी हैं और छत्तीसगढ़ के गुरू घासीदास भी हैं, केरल के भी महापुरूष हैं, वे सभी नाम मुझे अभी याद नहीं हैं, परंतु ऐसे लगभग एक दर्जन महापुरूषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए अगर कोई एनजीओ या सामाजिक संगठन, रजिस्टर्ड संस्थाएं आयोजित करती हैं, तो उसके लिए हम आर्थिक सहायता देते हैं। कुल मिला कर हमने इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की है कि समाज में संवाद हो, समन्वय हो, समता का वातवरण बने और आगे जा कर वह समरसता का रूप ले ले। ...(व्यवधान) हमने बाबा साहब अंबेडकर जी की 125वीं जयंती की वर्षगांठ माने का भी निर्णय लिया है। साल भर भिन्न-भिन्न प्रकार के आयोजन किये। अम्बेडकर साहब ने जहाँ-जहाँ जाकर पढ़ाई की थी, उन स्थानों पर, उन यूनिवर्सिटीज में भी 100 स्टूडेन्ट्स को अपने यहाँ से भेजा था, भारत सरकार के हमारे संस्थान के खर्चे की तरफ से उन्हें भेजा गया था। वहाँ उन्होंने पैनल डिस्कस किया, अपने विचार व्यक्त किये, उनके विचार सुने। यहाँ भी इस प्रकार के आयोजन हम निरन्तर कर रहे हैं। कुल मिलाकर अम्बेडकर साहब ने देश में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए जो प्रयास किये थे, उस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हम भी कर रहे हैं।

मैं एक और खुशी की बात यह कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि जहाँ-जहाँ अम्बेडकर जी से सम्बन्धित मान बिन्दु हैं, स्थान हैं, उनको तीर्थ के रूप में घोषित करने की कोशिश कीजिए। हमने तय किया कि अम्बेडकर जी की जन्म स्थली इन्दौर जिले के महू में है, उसका नामकरण भी महू के बजाय अम्बेडकर नगर हो गया है। सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में भी और रेलवे के रिकॉर्ड में भी उसका यह नामकरण हो गया है। उनकी जन्म स्थली को एक तीर्थ स्थल घोषित किया। शिक्षा स्थली लन्दन, जहाँ जाकर के अम्बेडकर साहब ने अध्ययन किया था और 24 से अधिक विशेष प्रकार की डिग्रियाँ हासिल करने का काम किया था, दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया था, उसको भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। फिर उन्होंने जहाँ दीक्षा ली थी, नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली थी, उस दीक्षा भूमि पर भी एक समिति ने स्मारक बना रखा था। नितिन गड़करी साहब जब भाजपा-शिवसेना की सरकार में लोक निर्माण मंत्री थे, उस समय उसको विस्तारित करने के लिए उन्होंने मदद की थी और अब लगभग पौने तीन सौ करोड़ रुपये के लगभग की

राशि से उसका और विस्तार करने की कार्य-योजना भी महाराष्ट्र की सरकार बना रही है। मेरे मंत्रालय के अम्बेडकर फाउन्डेशन की ओर से हमने 9 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि वहाँ कुछ मोडिफिकेशन और कुछ विस्तार करने के लिए दी है। अम्बेडकर जी की जहाँ मृत्यु हुई थी, 26 अलीपुर रोड़, उसको भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है और वहाँ भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। 100 करोड़ रुपये की लागत से वह बनने वाला है। देश के प्रधान मंत्री महोदय के हाथों से उसका भूमि पूजन हो गया है। वहाँ काम चल रहा है, कोई भी वहाँ जाकर के देख ले। इसके साथ ही साथ चैत्य भूमि, जहाँ अम्बेडकर साहब का अन्तिम संस्कार किया गया था। अब वह अन्तिम संस्कार वहाँ क्यों हुआ था, दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, इसके बारे मैं कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ, पर तत्कालीन सरकार ने उनका अन्तिम संस्कार दिल्ली में करने के लिए दो मीटर जगह भी देना उचित नहीं समझा था और बाध्य होकर उनका अन्तिम संस्कार वहाँ किया गया था। उस अन्तिम संस्कार स्थल पर किसी प्रकार की कोई सुविधा देने की सरकार की योजना नहीं बनी थी, परन्तु महाराष्ट्र सरकार ने, देवेन्द्र फड़णवीस साहब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पास की इन्दु मिल की जमीन को अधिग्रहित किया और उस चैत्य भूमि का और विस्तार करने का निर्णय लिया। लगभग 350 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत का वहाँ भव्य स्मारक बनाने का निर्णय हुआ। माननीय प्रधान मंत्री जी के हाथों उसका भूमि पूजन हुआ है और वहाँ निर्माण कार्य भी चल रहा है।

हमने यह महसूस किया, हम यह महसूस करते हैं कि देशवासियों को अम्बेडकर जी की सही सोच समझने का अवसर मिलना चाहिए। इस कारण से अम्बेडकर जी की सोच पर अनुसन्धान होना चाहिए और अनुसन्धान करने के लिए कोई संस्थान भी होना चाहिए। यह जो 15 जनपथ है, हमने वहाँ 192 करोड़ रुपये की लागत से अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेन्टर बनाने का निर्णय लिया, उसका काम तेज गति से चल रहा है और मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि इस साल के अन्त तक, दिसम्बर तक वह काम पूरा हो जायेगा। अगले साल 14 अप्रैल के पहले उसका लोकार्पण भी हो जायेगा। यह स्टडी सेन्टर बनने से लाभ यह होगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अम्बेडकर जी देशभक्त नहीं थे, मैं कहता हूँ कि वे देशभक्त थे, उन्होंने इस प्रकार के काम किये। वे ब्रिटेन और अमेरिका में पढ़े, उनके पास 24 से अधिक उच्चस्थ डिग्रियाँ थीं, अगर देशभक्ति का जज्बा उनके मन में नहीं होता तो वहाँ तो ऐसा कोई खराब वातावरण नहीं था, काले-गोरे का भले ही चल रहा होगा, परन्तु जातिवाद, छुआछूत और अनेक प्रकार की विामताएँ तो वहाँ नहीं थीं। अगर वे चाहते तो वे वहां पर नौकरी कर सकते थे, लाखों रुपए महीने उस समय भी कमा सकते थे, स्वयं और परिवार एशो-आराम की जिन्दगी जी सकते थे, परन्तु देश में जो विामताएं थीं, उन्होंने उन विषमताओं को दूर करने का संकल्प लिया और वे वहां से इस देश में आए और देश में आकर इन सब समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया।

जब कई बार ऐसे विषय आए, जैसे तालाब से पानी नहीं पीने देना तो उनके शुभचिंतकों ने कहा कि साहब, किसलिए झगड़ा करते हो, हम दूसरा तालाब बना देते हैं। जैसे मन्दिर प्रवेश पर रोक लगाना, उस समय उन्हें सुझाव दिया गया कि हम लोग अलग-से मन्दिर बना लेते हैं। स्कूल में पढ़ने न देने की बात हुई तो उन्हें सुझाव दिया गया कि हम अलग-से स्कूल बना लेते हैं। पर, उनकी यह सोच थी और उन्होंने यह कहा था कि अलग चीज़ें बनाना समस्या का समाधान नहीं है। हम अलग मन्दिर बना लेंगे, भगवान वही होंगे, उनकी प्राण-प्रतिष्ठा भी उसी ढंग से होगी। वह कोई चमत्कारिक मूर्ति हो सकती है, परन्तु फिर यह बात होने लगेगी कि यह इनका मन्दिर है, यह उनका मन्दिर है। भगवान का मन्दिर सबके लिए है, प्राकृतिक तालाब सबके लिए है और इन सब चीज़ों का लाभ सबको लेने का अधिकार है। इस कारण से उन्होंने इस प्रकार का कोई काम करने की कोशिश नहीं की।

अभी एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि यह मन्दिर और उनके कारण यह सब गड़बड़ी थी। एक बार मैं एक टी.वी. चैनल के पैनल डिस्कशन में गया। वहां दो लोग और थे। कहीं कुछ घटना हो गयी थी तो पहले से एंकर ने पूछा कि यह जो घटना हो गयी है, उसके बारे में आपको क्या कहना है। उन्होंने कहा कि जितने भी देश में मन्दिर हैं, उन्हें बम से नष्ट कर देना चाहिए। पर, उसका समाधान यह नहीं है। वास्तव में, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को अम्बेडकर जी ने सही समझा और उस आधार पर वातावरण बनाने की उन्होंने कोशिश की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। परन्तु, जैसा आपने बताया, बिल का उद्देश्य लिमिटेड है, इसलिए इसे वहीं तक सीमित रखना चाहिए।

महोदय, माननीय सदस्यों ने जो समस्याएं बताई थीं, मैं फिर उनकी ओर आता हूं। धनकड़ जाति की समस्याएं हैं। राज्य सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सर, वह आया है।

श्री थावर चंद गहलोत : नहीं, यह नहीं आया है। हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है।

इसी प्रकार से, जिसने भी किसी जाति का नाम इसमें जोड़ने की बात कही है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन राज्यों से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। विनायक भाऊराव राऊत जी ने जो मांग की है, उस संबंध में महाराष्ट्र से किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इसी प्रकार से, कौशलेन्द्र कुमार जी, जो बिहार से हैं, उन्होंने जिन जातियों का उल्लेख किया है, इस संबंध में उनके यहां से भी कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

अनेक बातों की ओर इसमें ध्यान दिलाया गया है, जैसे आरक्षण का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की इच्छा तो सबकी रहती है। यह सांवैधानिक मंशा भी है कि जातियों की पॉपुलेशन के अनुसार आरक्षण की सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए। परन्तु, सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में एक निर्णय है और उस निर्णय के आधार पर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। सांवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आज 49.5% लोगों को मिल रहा है। उस निर्णय के कारण अब आरक्षण को किसी प्रकार से बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। कुछ माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि संसद को तो यह अधिकार है, यह प्रावधान करना चाहिए। पर, आज की परिस्थिति में इस आशय का कोई प्रस्ताव मेरे मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

मैं आज के इस अवसर पर एक निवेदन और करना चाहता हूं। जितेन्द्र चौधरी जी ने सब-प्लान की बात कही। सब-प्लान को रिलीज करने का जो नियम-कानून, क़ायदा बना हुआ है, वह कोई आज का, नया नहीं है। जब से इस कानून के अन्तर्गत सब-प्लान की व्यवस्था की गयी है, तब से वही परंपरा आज भी है। पर, मैं इतना कह सकता हूं कि किसी भी सरकार के टाइम 15% धनराशि रिलीज नहीं की गयी थी।

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व) : सर, आप इस बारे में कानून लाइए।

श्री थावर चंद गहलोत : यूपीए सरकार के समय नौ से साढ़े नौ प्रतिशत से ज्यादा कभी भी नहीं हुई। श्री नरेन्द्र मोदी साहब देश के प्रधान मंत्री बने, उन्होंने मझे इस मंत्रालय का दायित्व दिया। मैं आपको आश्वस्त करके कहता हूं, आप आँकड़ों का मिलान कर लें। हमारी सरकार ने 12 प्रतिशत और 13 प्रतिशत के बीच में धनराशि दी और इस बार यह खुशी की बात है कि 52 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की धनराशि इस योजना में दी है, पहले की तुलना में इसमें 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है।

अब मांग आती है कि धनराशि पॉपुलेशन के हिसाब से दी जाए। पॉपुलेशन के हिसाब से धनराशि देने का निर्णय पिछली सरकार ने कई साल पहले किया था। भारत सरकार के 62 मंत्रालय हैं, उनमें से 26 मंत्रालय को सब-प्लान पर धनराशि देने का प्रावधान किया है। उन्हीं 29 मंत्रालयों के माध्यम से आज हम इस धनराशि का प्रावधान कर रहे हैं। पिछले साल कम हुई थी, उसका उल्लेख उन्होंने किया है। मैं पिछले टाइम भी जवाब दे चुका हूं। भारत सरकार ने 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है और इसका परिणाम यह हुआ कि हम राज्य सरकारों को पहले भारत सरकार के खजाने का 32 प्रतिशत पैसा देते थे। श्री नरेन्द्र मोदी साहब ने संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए, राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, राज्यों का विकास होगा तो देश का विकास होगा, इस बात को ध्यान में रखकर धनराशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। अब 32 प्रतिशत के बजाय 42 प्रतिशत धनराशि देने की शुरूआत की है। इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों में विकास के लिए पाँच प्रतिशत अधिक धनराशि दी, दो प्रतिशत पंचायती राज

व्यवस्था के लिए दी और इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो खर्च होता है, उसके लिए भी दो प्रतिशत दी। इस प्रकार कुल मिलाकर 17 प्रतिशत धनराशि पहले की तुलना में ज्यादा भारत सरकार ने राज्यों को देने का काम किया। इसके कारण भारत सरकार के 26 मंत्रालय प्रभावित हुए थे। जो बजट प्रावधान हुआ था, उसमें कमी हुई थी। इस कारण से वह धनराशि 30 हजार करोड़ रूपये से 38 हजार करोड़ रूपये के आसपास थी, परंतु पहले जितनी स्वीकृति होती थी, उतना खर्च भी नहीं हो पाता था। हमने 38 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया था, परंतु जब खर्च किया तो यह 40 हजार करोड़ रूपये के आस पास की धनराशि थी। यह गुण-दोा सामने दिखलाई दे रहा है। पहले प्रावधान होता था, कागजों में पड़ा रहता था, मौके पर खर्च नहीं होता था, लेकिन हमने जितना मंजूर किया, उससे ज्यादा खर्च किया। हमने मौके पर विकास कार्य करने का प्रयास किया है।

मैं आज इस अवसर पर बहुत ज्यादा कहूंगा तो आप कहेंगे कि समय ज्यादा ले रहे हैं, परंतु मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है। जो बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, उनको हमने ओवरसीज स्कॉलरशिप दी है। अगर कोई विशेष प्रकार की डिग्री या पीएचडी वगैरह हासिल करता है तो उसको फेलोशिप योजना के अंतर्गत पैसा देते हैं। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आदि की कोचिंग के लिए, जो एक रेट के पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं हैं, उनको भी हम आर्थिक सहायता देते हैं। इस प्रकार की अनेक योजनाएँ हैं, उन सब योजनाओं का लाभ हम संबंधित छात्र-छात्राओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू की है, इससे लिकेज़ रूका है। सही छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही है। जो एक जगह से नहीं तीन-चार जगहों से छात्रवृत्ति लेते थे, बेईमानी करते थे। हमने ऐसे कृत्य करने वालों पर रोक लगाने का काम किया है। हमने कुल मिलाकर चहूंमुखी विकास करने की दृष्टि से अनेक योजनाएं बनाई है। मुझे इस बात की खुशी है कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के हितों की सुरक्षा करने में हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग श्री नरेन्द्र मोदी साहब के मार्गदर्शन में इन वर्गों का तेज गति से विकास करेंगे। समता, समन्वय, संवाद बिठा कर समरसता का वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मैं ऐसी प्रार्थना करते हुए निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। धन्यवाद।

16.00 hours

SHRI K.H. MUNIYAPPA(KOLAR): The population of SCs and STs in Karnataka, I think Ananthkumar-ji is well aware of this fact, is 24.1 per cent. Today a budget of Rs.24,000 crore has been given. I want to know from the Government … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, the Minister has completed his reply.

HON. DEPUTY SPEAKER: He wanted to seek a clarification.

SHRI K.H. MUNIYAPPA : Anathkumar-ji, you are Minister of Parliamentary Affairs. You have to intervene and you have to help us.

According to the total budget of Rs.6 lakh crore, the Government of India has to provide Rs.1,50,000 crore for the welfare of SCs and STs. There is a social obligation. They are educationally and socially backward. At the same time, the budget allocation should be increased according to the population.

I am in the Consultative Committee for the last 25 years. During our Government also we made this request. Navodaya School type residential schools should be established in all districts exclusively for the SC and ST population. Instead of spending huge money, you spend money for the residential schools in each of the 700 districts of the country, it will be more useful for the people belonging to SCs. If quality education is provided to them, they will come to the mainstream of society. This is one of the most important areas I would like to highlight.

During the UPA Government, there were a dozen Ministers - five Cabinet Ministers and seven State Ministers. How many Ministers are there in this Government? You are talking a lot but you have not given proper representation. As Dr. Ambedkar said, if there is no proper representation in the Government, how can you ensure justice for that section? …*(Interruptions)*…

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Sir, with due respect to the hon. Minister, he mentioned that this time again the allocation has been enhanced. I would like to give some data within a minute. According to Jadhav guidelines, the Budget allocation for the SCs should be 4.63 per cent which comes to about Rs.99,394 crore; but you allocated only Rs.52,393 crore. Similarly, in the Tribal Affairs, according to Jadhav guidelines the recommended Budget is 2.39 per cent which comes to Rs.51,307 crore; but you allocated only Rs.31,920. Yes, it is enhanced from the previous financial year but it is not according to the proportion of the population. The Minister of Tribal Affairs and the Minister of Social Justice are here. I would urge upon to them take care of this.

श्री थावर चंद गहलोत : महोदय, जो बिंदु अभी उठाए, मैंने उनका जवाब दिया है। पिछली सरकार ने जो नियम-कानून बनाये थे, उसी के आधार पर हम एससी सब-प्लान की राशि आबंटित कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि हमने पहले से तीन गुना धनराशि बढाकर दी है। ये कहां के और कौन से आंकड़े पढ़ रहे हैं, उन आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूं।

जहां तक आदरणीय मुनियप्पा साहब ने बताया, मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आदि कई ऐसे प्रदेश हैं, जो कर्नाटक की तुलना में इन वर्गों के हितों के लिए ज्यादा बजट प्रावधान करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये राज्य पॉपुलेशन की मांग से भी ज्यादा करते हैं। जब उनके साथ बैठक हुई थी, मैं उन सब विषयों की तरफ नहीं जाना चाहता, कुछ बात इन्होंने भी स्वीकार की थी कि कर्नाटक में जो हो रहा है, वह ठीक नहीं हो रहा है। अगर मैं उन सब बातों का उल्लेख करूंगा, तो एक दिन आप अलग से इस पर चर्चा रखवा दें।

माननीय सदस्यों ने कुछ और बातें उठायीं। मैं मुनियप्पा साहब से पूछना चाहूंगा। वे हमारे वर्ग के शुभचिंतक हैं। इनकी सरकार के समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय की लिस्ट में है। उसे अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय घोषित करके अनुसूचित जाति, जनजाति आदि सब वर्गों के लोगों का आरक्षण संबंधी प्रावधान और जो-जो सुविधाएं मिलती थीं, वे सब बंद क्यों हो गईं?...(व्यवधान) दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है। वह भी केन्द्रीय सूची में है, केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के बाद भी उसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान यूनिवर्सिटी घोषित किया गया और वहां भी अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों की सब सुविधाएं बंद कीं। इनकी सरकार ने किया, इनके समय में हुआ।...(व्यवधान) अगर वे इस प्रकार की छोटी-मोटी बातें रखना चाहते हैं, तो मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं,

राज्यवार भी हैं। मैं आपके आशीर्वाद से ये सब जवाब देने के लिए तत्पर हूं।...(व्यवधान) क्या वे आज भी यह बताने के लिए तैयार हैं कि उनकी पार्टी इन दोनों विश्वविद्यालयों में अनूसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को पहले जो सुविधाएं मिलती थीं, वे दिलवाने का समर्थन करेंगे?...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : अभी हाउस को आश्वस्त कीजिए।...(व्यवधान) अभी बोलिए।...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में 22 हजार लोगों को जो सुविधाएं मिलती थीं, मेरी जानकारी के अनुसार उन्हें वे सुविधाएं देनी बंद हुई हैं। क्या वे आश्वस्त करेंगे कि उनकी पार्टी वहां आरक्षण संबंधी प्रावधानों का अधिकार देगी?...(व्यवधान)

आजादी के बाद 60 सालों तक जो सरकारें रही हैं, विशेषकर कांग्रेस सरकार रही, उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को पॉकेट वोट बनाकर रखा, उनका उपयोग चुनाव में किया, परन्तु उनके हित संरक्षण की कार्य योजना नहीं बनीं। आज आंकड़े देख लीजिए। ये कभी-कभी सच्चर कमेटी का उदाहरण देते हैं। मुस्लिम समाज की यह स्थिति है। कौन जिम्मेदार है? 60 साल उन्होंने राज किया। अनुसूचित जाति वर्ग और जनजाति वर्ग के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्थिति कमजोर है। किसके कारण है? जिम्मेदार वे हैं।...(व्यवधान) हमने इन तीन वर्षों में कर्तव्य और ईमानदारी से इन वर्गों के हित के लिए अनेक योजनाएं बनाकर उन्हें इम्प्लीमैंट करने का काम किया है।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the State of Odisha and to amend the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

श्री थावर चंद गहलोत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.09 hours

MOTION RE: THIRTY-FIRST REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up Private Members' Business. Item No. 10 – Shri Kunwar Bharatendra Singh.

कुँवर भारतेन्द्र सिंह (बिजनौर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा 22 मार्च, 2017 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Thirty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd March, 2017."

The motion was adopted.

16.10 hours

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION
Steps to ensure welfare of employees provident fund pensioners ….. Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House will take up the Private Members' Resolution on steps to ensure welfare of Employees Provident Fund pensioners. It is an important Resolution moved by Shri N.K. Premachandran.

Shri Nishikant Dubey.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी हमारे सहयोगी द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। डेढ़ साल से हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि देश और पार्लियामेंट इस पर कितना सीरियस है, हम एमपी लोग गांव, गरीब, किसान, आर्गनाइज्ड सेक्टर और अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के लिए कितने चिंतित हैं, लगता है कि जब तक उनको पेंशन मिल नहीं जाएगी, तब तक हम लोग चर्चा करते रहेंगे।

16.11 hours (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

पहला प्वाइंट है, कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों को सारांशीकरण और पूंजी लौटाने के लिए लाभ बहाल करना। दूसरा, कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थी को सेवानिवृत्ति के ठीक पहले के 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना, तीसरा, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अनुसार पेंशनभोगियों से सारांशीकृत पेंशन की पूरी राशि की वसूली के बाद पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये बढ़ाकर प्रति माह करना, लगभग 27,000 करोड़ रुपये की अधवकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजनाएं लागू करना। विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का संशोधन करना और कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार करना। ये सात प्वाइंट्स हैं, सदन में कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ होगा? लेकिन आज सिच्युएशन क्या है? मैं पिछली बार चर्चा कर चुका हूं और फिर उसी चर्चा को कंटीन्यू कर रहा हूं। पूरी दुनिया में ज्वाइंट फैमिली का कन्सेपट नहीं है, धीरे-धीरे ज्वाइंट फैमिली का कन्सेप्ट खत्म हो गया। भारत सभी से

अलग इसलिए था कि हम लोग ज्वाइंट फैमिली कन्सेपट में थे। एक आदमी कमाता था और सभी खाते थे। जो पुत्र या पुत्री होते थे। वह अपने माँ-बाप का ख्याल रखते थे। माँ-बाप उनको पढ़ाते-लिखाते थे, लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। आज सिच्युएशन ऐसी हो गयी कि पूरी दुनिया में बार-बार हम क्लेम करते हैं कि हमारी यूथ पोपुलेशन बढ़ रही है, हमारी 35 वर्ष तक की आयु की पोपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, यह सबसे बड़ी ताकत है। उसी में सबसे बड़ी समस्या आई है। जो यूथ है, यदि बच्चा पैदा हुआ है तो उसे बूढ़ा होना है, उसको 60 साल का होना है। भारत में जिस रफ्तार से यूथ बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से बूढ़ों की भी संख्या बढ़ रही है। जिस तरह का रहन-सहन हो गया है, भारत सरकार की नीतियों के कारण स्टैन्डर्ड ऑफ लाइफ आगे बढ़ रहा हैं। उस सिच्युशन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है। एन.के.प्रेमचन्द्रन जी रिज्योलूशन लाए हैं, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी से हम इसकी चर्चा करें क्योंकि कई देशों ने पहले ही सोचा लिया, मैं उसकी डीटेल में जाऊंगा लेकिन हम अब इसके बारे में सोच रहे हैं।

जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, वे नेशनल पेंशन स्कीम के तौर पर बहुत बढ़िया प्रोपजल लाए, उसके बाद माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस पेंशन स्कीम को बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से ज्वाइंट फैमिली कन्सेपट खत्म हो रहा है, आज उनकी क्या स्थिति है, कई परिवारों के बच्चे लंदन में हैं, अमेरिका में है, कोई सिंगापुर में काम कर रहा है, कोई मलेशिया में काम कर रहा है नहीं तो कोई दिल्ली कमाने के लिए गया है, कोई मुंबई कमाने के लिए गया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनअर्गनाइज्ड सेक्टर हैं, खासकर जो किसान है, जो बिलो पोवर्टी लाईन के लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके माँ-बाप अकेले रहते हैं। माँ-बाप अकले रहते हैं, यदि यहां से बच्चा पैसा भेजेगा तो वह अपने लिए कुछ सुविधा जुटा पाएगा।

इस देश में 13.5 करोड़ लोग किसानी पर निर्भर हैं। यदि एक फैमिली में पांच आदमी मान लें तो 60 से 65 करोड़ लोग किसान हुए। महोदय, आप तो वित्त मंत्री रहे हैं, आप आठ करोड़ बीपीएल फैमिलीज़ को जोड़ लें और पांच से गुना कर लें, क्योंकि एक फैमिली में पांच आदमी जोड़ते हैं तो 40 करोड़ लोग उसके अंतर्गत आते हैं। इस तरह से 65 करोड़ किसान और 40 करोड़ बीपीएल फैमिली के मान लें तो लगभग 105 करोड़ लोग होंगे। यदि इसमें सरकारी कर्मचारियों को न्यु पेंशन स्कीम में मान लें तो युनिवर्सल पेंशन स्कीम में परिवार कैसे चलेगा, यह महत्वपूर्ण है। आज सिचुएशन हो गई है कि कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुम्बई में है, उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इस समय प्रेमचन्द्रन जी जो बिल लेकर आए हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि आज बूढ़े बजुर्गों की हालत कैसी हो गई है। गांव में मैम्बर आफ पार्लियामेंट के तौर पर हम जाते हैं और देखते हैं कि

लोग कहते हैं कि हमें वृद्धावस्था पेंशन दे दीजिए, विधवा पेंशन दे दीजिए, केवल पेंशन स्कीम की बात कहते हैं। बूढ़े बजुर्ग लोगों के पास हास्पिटलाइजेशन के लिए पैसा नहीं है। वे 200, 400, 500 रुपए के लिए चिंता करते हैं।

मैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता क्योट करना चाहता हूं कि बजुर्गों की स्थिति फाइनली ऐसी क्यों बना दी गई है और किसलिए पेंशन स्कीम की आवश्यकता है। उनकी 'भिक्षुक' बड़ी अच्छी कविता है –

वह आता-
दो टूक कलेजे के करता पछताता,
पथ पर आता।
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक,
चल रहा लकुटिया टेक,
मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को
मुँह फटी पुरानी झोली फैलाता,
दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता।

यही स्थिति होती है, जब मैम्बर आफ पार्लियामेंट के तौर पर हम अपनी कांस्टीटुएंसी में जाते हैं। यहां थावर चंद गहलोत साहब बैठे हैं, इनका मंत्रालय बहुत काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि युनिवर्सल पेंशन स्कीम की तरफ सरकार कैसे जा रही है और इसमें किस तरह की आवश्यकता है। हम युनिवर्सल स्कीम की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहला काम 9 मई, 2015 को किया, अटल पेंशन योजना शुरु की। यह योजना पेंशन सैक्टर को मजबूत करती है। हम दूसरी योजना लेकर आए। अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार ने आगे बढ़ाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय अटल जी के बाद हम किस तरह से आगे आए। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010 से चालू है। जननी सुरक्षा योजना मदर केयर के लिए वन टाइम है। मेरे कहने का मतलब है हम पेंशन की तरफ जा रहे हैं। नेशनल पेंशन स्कीम जनवरी 2004 में आई। दस साल तक कांग्रेस की सरकार रही। मैं इसकी डीटेल में जाना चाहता।

सभापति जी, आप स्वयं वित्त मंत्री थे जब माननीय अटल जी की सरकार थी। आप लोगों के कारण नेशनल पेंशन स्कीम आई। 2002-03 में यह बिल लागू हुआ और जनवरी 2004 में अटल जी ने जाते-जाते एग्जीक्युटिव आर्डर से इसे नोटिफाई कर दिया। 2012 तक आठ साल तक यह कानून का मुंह तक नहीं देख पाया। यह सरकार गांव, गरीब और किसान की बात कहती थी, लेकिन 2012 तक इसका चेहरा नहीं देख पाए। यहां माननीय गुरुदास गुप्त साहब थे। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब

कांग्रेस ने यह बिल इंट्रोड्यूज किया था। जैसे प्रेमचन्द्रन जी बराबर करते रहते हैं, जैसे ही कोई सरकार का बिल इंट्रोड्यूज होने लगता है तो रिजाल्युशन लेकर आते हैं कि यह बिल यहां कैसे नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए। उसी तरह गुरुदास गुप्त जी 15वीं लोक सभा में एंट्री के समय, बिल इंट्रोड्यूस करने के समय करते थे। आज भी देखिए कांग्रेस का बैंच खाली है। उस वक्त कांग्रेस के बैंच पर मात्र दस आदमी थे। संयोग से अभिजीत मुखर्जी साहब यहां बैठे हुए हैं, उनके पिताजी ने ही यह बिल इंट्रोड्यूस किया था। वे उस वक्त माननीय वित्त मंत्री थे और आज माननीय राट्रपति महोदय हैं। ... *

सभापति महोदय, मैं उस समय 545 नम्बर की सीट पर बैठता था। मेरा नम्बर 545 था, यानी अंतिम सीट थी। मैं अभी अंतिम सीट से 40 नम्बर की सीट पर आ गया हूं। उस समय माननीय सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन थीं। मैं दौड़ा हुआ उनके पास आया और कहा कि क्या करना है? उस समय हमारी बेंचेज पर 60-70 मैम्बर्स ऑफ पार्लयामैंट बीजेपी के थे। मुझे माननीय सुषमा स्वराज जी ने कहा कि दादा को जाकर बोल दो कि हम इस बिल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यह हमारा बिल है और आठ साल से नहीं आया है। उसके बाद वोटिंग हुई और इतिहास गवाह है कि हमने उस बिल का समर्थन किया, जिसके कारण यह बिल पास हो पाया। यदि कांग्रेस सीरियस होती, तो वह उस बिल को पास करा लेती।

सभापति महोदय, मेरा कहना है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति से अलग हटकर कभी नहीं सोचा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओल्ड एज पर पूरी दुनिया की क्या हालत है? सबसे पहले सोचने का सवाल है कि आज जिसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उस पर पूरी दुनिया की क्या हालत है? हमारी जनसंख्या 125 करोड़ हो गयी है, तो कभी 130 करोड़ या 135 करोड़ हो जायेगी। यदि हम वर्ष 2016 का डाटा देखें, क्योंकि वर्ष 2017 का डाटा नहीं आया है, तो इंडिया में ओल्ड एज पापुलेशन 8.9 परसेंट है। वर्ष 2030 तक यह माना जाता है कि यह डाटा 12.3 परसेंट हो जायेगा और र्वा 2050 तक 18.3 परसेंट हो जायेगा। हमें लगता है कि वर्ष 2050 तक इस देश की पापुलेशन लगभग 150 करोड़ से ऊपर हो जायेगी। यदि उसका 20 परसेंट मानें, तो 30 से 35 करोड़ लोग ओल्ड एज के होंगे। आप यह समझिए कि वर्किंग क्लास के एज की पापुलेशन है, यदि पूरी दुनिया को उसके डाटा के आधार पर देखें, तो आज 13.9 परसेंट ओल्ड ऐज के लोग भारत में काम कर रहे हैं। वर्ष 2030 तक यह माना जाता है कि शायद वे 19 परसेंट काम कर सकते हैं। उसके बाद वे 29 परसेंट काम करेंगे, लेकिन यदि वे काम करेंगे,

* Not recorded

तो हम उनके लिए रोजगार के कौन से साधन क्रिएट करेंगे? हम किस तरह की सुविधा क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं?

सभापति महोदय, आप यदि चाइना को लें, तो चाइना ही एक ऐसा देश है, जो हमसे मुकाबला कर रहा है। आज उनकी ओल्ड एज की टोटल पापुलेशन 14.9 परसेंट है और बाद में वह 32.8 परसेंट हो जायेगी। अब आपको यूएसए, जापान, जर्मनी आदि सब हमसे आगे नजर आयेंगे। आज पूरे यूरोप और दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह चल रही है कि हमें अचानक यूथ की आवश्यकता पड़ रही है। सब देशों ने, चाहे वह यूएसए, यूके, जर्मनी, ब्राजील या जापान हो, उन लोगों ने अपने देश में ओल्ड लोगों के लिए पैंशन स्कीम, यूनीवर्सल सोशल सिक्योरिटी के लिए बड़ा काम किया है। लेकिन आज तक भारत सरकार ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है।

सभापति महोदय, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वर्ष 2050 तक 20 परसेंट लोग ओल्ड एज के हो जायेंगे। लगभग 30 या 35-40 करोड़ लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था होनी है, किस तरह से पैंशन देनी है, किस तरह से उन्हें जीवन जीने के लिए चीजें चाहिए, इस बारे में वर्ष 1980 में पूरी दुनिया में यह सोच डेवलप हो गयी। अभी थावर चंद गेहलोत जी बोल रहे थे, तो मैं देख रहा था कि कांग्रेस के मित्र लगातार कह रहे थे कि आपने क्या किया? चूंकि यह ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और हम अपने आपको पूरी दुनिया से अलग नहीं देख सकते। वर्ष 1980 में इंटरनैशनल लेबर आर्ग्नाइजेशन ने पूरी दुनिया में यह कहना स्टार्ट किया कि आप केवल युवाओं, पढ़े-लिखे लोगों की बात न करके ओल्ड एज लोगों के लिए भी बात करें। आप उनके लिए क्या स्कीम लेकर आये हैं, उसकी बात कीजिए। यही कारण है कि पूरा वेस्टर्न यूरोप, जापान और स्पेशली यूएसए ने वर्ष 1980 से अपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल के चेंज होने के कारण पूरे कानून को चेंज करना स्टार्ट किया। हमारे यहां जब ओल्ड एजेड लोग होंगे तो क्या होगा। यही कारण है कि जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। इकोनोमिस्ट का एक आर्टिकल जापान के बारे में लिखा गया :

> "A dwindling band of workers will have to support rising social-security payments, as the number of retired people grows. This will strain public finances. Ten years ago each person in retirement was supported by four in work. In ten years that burden will fall on only two workers. Already, the rising cost of caring for the elderly has pushed up the government deficit and the national debt. If Japan's workers cannot shoulder their burden, the country will find itself unable to honour fully its pension and health-care commitments. In effect, it will be forced to default on its obligations to society."

जब यह आर्टिकल आया तो जापान आज की डेट में इसका सबसे उदाहरण बना कि किस तरह से उसने अपने आपको वहां की डेमोग्राफी के आधार पर डेवलप करने का प्रयास किया। मैंने पहले ही कहा, हमने किस तरह से अपने को दुनिया से अलग-थलग कर लिया। वर्ष 1980 से 1989 तक लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, इन नौ वर्षों में उसके कान पर कोई जूं नहीं रेंगी। अभी हम यूएस और यूरोप की बात कर रहे थे, एशियन कंट्रीज में केवल जापान की बात कर रहे थे। इसके साथ ही एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई - Aging Asia's looming pension crisis.

> "A young continent reaping the demographic dividend of a large youthful workforce is giving way to a greying continent where the ratio of retirees to workers is on the rise. In contrast to industrialized countries, most Asian countries do not yet have mature, well-functioning pension systems."

It includes India. इंडियन लेबर आर्गनाइजेशन की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, आईएमएफ की रिपोर्ट हो, सभी हमें लगातार एलार्म करते रहे कि आप जग जाएं, भारत सरकार जग जाए, लेकिन भारत सरकार नहीं जगी। भारत सरकार वर्ष 1999 में जगी। मैं बताउंगा कि इसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का किस प्रकार कंट्रीब्यूशन रहा। हमारी सरकार ने दीनदयाल पेंशन योजना, अटल ज्योति योजना और नेशनल पेंशन स्कीम ही लागू नहीं की है, अभी देखिए कि कैसे सुनने की मशीन मिलेगी, कैसे आंखों में चश्मा लगेगा, कैसे दांत बनाकर देने होंगे, कैसे छड़ी और बैशाखी देनी पड़ेगी, कैसे व्हीलचेयर देनी पड़ेगी। इन सभी चीजों के बारे में थावरचंद गहलोत जी के मंत्रालय ने अभी एनाउंस किया है। ये सभी काम हम लोगों ने बूढ़े लोगों के लिए किए हैं।

सभी संसद सदस्यों से मेरा आग्रह होगा कि ये सभी चीजें मुफ्त दी जा रही हैं, इस सुविधा का लाभ उठाइए। गहलोत साहब से कहिए कि आप हमारे यहां मेला लगवाइए, जिससे हम लोगों को फ्री में ये सभी बुढ़ापे के सहारे लोगों को दे पाएं। हमारी सरकार पार्टीजन एंगल से ऊपर उठकर काम करना चाहती है। वह यह नहीं देखती है कि वहां कांग्रेस का एमपी है, वहां सीपीएम का एमपी है या तृणमूल कांग्रेस का एमपी है। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनी। जब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक आदि सभी लोग कहने लगे कि भारत ओल्ड एज के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तब एक टास्क फोर्स बनी। उस टास्क फोर्स ने कहा कि वर्ष 2005 में इंडिया का डिपेंडेंसी रेशियो 0.6 प्रतिशत है और अगले बीस-तीस वर्षों में डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो जाएगा। टास्क फोर्स ने यह भी कहा कि इसके लिए जो

कारण जिम्मेदार हैं, उनमें से एक कारण बर्थ रेट भी है। बर्थ रेट के बारे में आपकी सरकार ने भी काम किया। बुढ़ापा क्यों बढ़ रहा है और उसके लिए पेंशन की आवश्यकता क्यों है? पहले जिस तरह से बर्थ रेट थी, आपको पता है कि बर्थ रेट में पहले इन्फैन्ट मृत्यु दर हमारे यहां बहुत ज्यादा थी। उसको कहीं न कहीं भारत सरकार ने रोका है। इसमें राज्य सरकार का एक विषय जो हैल्थ है, वह राज्य सरकार का भी एक विषय है और केन्द्र का भी एक विषय है। राज्य और केन्द्र दोनों ने मिलकर फॉलिंग बर्थ रेट को किया है। इसके बाद जो डैथ रेट है, मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें जनसंख्या कंट्रोल के लिए भी हमने काम किया और जो डैथ रेट को रोकने के लिए भी हमने काम किया। यही कारण है कि जो यंग पोपुलेशन बढ़ रही है, उसमें भारत सरकार के मैजर्स हैं। इसीलिए Proportion of those aged 60 and above is expected to climb from 4.6 per cent in 2000 to 9 per cent in 2030.

वर्ल्ड पोपुलेशन की जो एजिंग यूनाईटेड नेशन की रिपोर्ट है, वह यह कह रही है कि यदि आपका प्रोपर फंक्शन नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे और आप इसमें जो एक ओएसिस की रिपोर्ट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कहती है: A publicly managed system with mandatory participation and the limited goal of reducing poverty among the old age pension is needed. यह ओएसिस की रिपोर्ट कह रही है, जिसके आधार पर भारत सरकार ने अपने काम को आगे बढ़ाया है। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चार प्वाइंट हैं, उन पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। उसमें Increasing share of organised sector employment from around 7 per cent of total employment today to nearly 40-50 per cent by 2030.

अभी माननीय नरेन्द्र मोदी जी के डीमोनेटाइजेश पर बड़ा ह्यू एंड क्राइ हुआ। कल भी आप देख रहे थे कि डिसकशन चल रहा था। कांग्रेस के हमारे मित्र ऐसा सोचते हैं कि हम तो इन चीजों को बहुत सपोर्ट करते हैं लेकिन बताकर करना चाहिए था। बताकर क्यों करना चाहिए था? वह अलग बात है, हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि यदि इस देश में कोई रोजगार देता है तो सबसे ज्यादा मीडियम एंड स्मॉल स्केल सैक्टर देता है। यदि लेबर कहीं लगी हुई है, क्योंकि भारत सरकार के पास इतनी नौकरियां और इंडस्ट्रीज नहीं हैं और कहीं न कहीं चाइना के प्रभाव के कारण कई इंडस्ट्रीज क्राइसिस में है। यह तथ्य हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है चाहे गार्मेंट सैक्टर क्राइसिस में है, जिसको भारत सरकार मदद करने का प्रयास कर रही है। आप देखेंगे कि पूरी खिलौना इंडस्ट्री लगभग बंद होने के कगार पर है। आज चाइनीज खिलौने बहुत आ गये हैं। उसी तरह से यदि इलैक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करेंगे, जिस तरह से मोबाइल की बात करेंगे, उसी तरह से नोकिया ने अभी अपना प्लांट शुरु किया है। सैंमसन और एल.जी. कंपनियां वगैरह आ

रही हैं, लेकिन आज भी ऐसा है कि लोगों को यदि सस्ते दर पर मोबाइल की आवश्यकता है तो उनको उन पर निर्भर करना है, जैसे किसी को रेडियो खरीदना है, किसी को गीजर खरीदना है या मिक्सी खरीदनी है तो आज भी सिचुएशन ऐसी ही है। इस कारण से जो रोजगार है, जैसे रियलिटी सैक्टर में है, यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि रियलिटी सैक्टर एक ऐसा सैक्टर है जो पिछले 8-10 साल में, जिसे कांग्रेस के कारण बहुत नुकसान हो गया।

मान लीजिए कि एक मकान बनता है तो एक मकान में 175 तरह की इंडस्ट्रीज खप जाती हैं। 175 तरह में जैसे किसी को राज मिस्त्री का काम करना है, किसी को कारपेंटर का काम करना है, कोई इलैक्ट्रीकल फिटिंग का काम करता है तो इलैक्ट्रिक वॉयर की भी आवश्यकता होती है, ए.सी. लगाना है, कुर्सी वगैरह लानी है। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि टोटल तरह के जो असंगठित रोजगार हैं, वे 175 तरह के हैं। सबसे ज्यादा रोजगार इस देश में असंगठित सैक्टर देता है, लेकिन जो सिचुएशन है, उसका रेशियो जितना होना चाहिए, वह 7 या 10 प्रतिशत है।

माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि सरकार क्या क्या काम कर रही है, लेकिन यदि इसे 40-50 प्रतिशत तक ले जाना है, लोगों के जीवन स्तर को यदि बढ़ाना है, यदि उनको पेंशन स्कीम की तरफ ले जाना है तो आज क्या होता है, जैसे हमारे यहां ही डौमैस्टिक लेबर काम करती है, यहां जितने लोग मौजूद हैं, वे सब जानते हैं कि डौमैस्टिक लेबर को कितना पेमेंट होता है। किसी का एकाउंट नहीं है। यदि एकाउंट है तो किसी को चैक पेमेंट नहीं है। किसी को 4000 रुपये, किसी को 5000 रुपये या किसी को 2000 रुपये पर रोजगार मिलता है, जैसे होटल इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, जैसे ढ़ाबे में लोग काम करते हैं। ट्रक-ड्राईबर का काम करते हैं, क्लीनर का काम करते हैं। उसी तरह से रियलिटी सैक्टर लेबर सप्लाई करने का काम करते हैं, वे यह काम करते हैं कि मान लीजिए उन्होंने दिखा दिया कि दस लेबर को हम चैक पेमेंट करते हैं, ऐसा उन्होंने दिखा दिया और मैक्सिमम लोगों को वे दिखाते हैं कि ऐसे ही हम कम पेमेंट करते हैं। चूंकि लोगों को काम करना होता है, इसलिए वे उनकी मनमानी के सामने बोलते नहीं हैं और कम पैसा लेते हैं, जबकि रजिस्टर पर ज्यादा पैसे दिखाए जाते हैं।

नोटबंदी हुई और डिजिटल पेमेंट की तरफ हम बढ़े। यदि किसी के पास दस से ज्यादा लेबर काम कर रही है, तो उन्हें चैक से पेमेंट करनी पड़ेगी। यदि चैक से पेमेंट होगी, तो स्वाभाविक है कि उनकी हैल्थ इंश्योरेंस कटेगी, उनकी पेंशन कटेगी। जितना पैसा कर्मचारी का कटेगा, उतना ही पैसा रोजगार देने वाली कम्पनी का भी कटेगा। प्रेमचन्द्रन जी, आप इस बिल को लाए हैं, आप देखिए कि प्रधान मंत्री जी कितना आगे की सोच रहे हैं। नोटबंदी से ब्लैक मनी तो खत्म हो ही रही है, नक्सलवाद, आतंकवाद भी इससे समाप्त होगा। अधीर रंजन जी, आप भी बार्डर एरिया से आते हैं। आप बताएं कि झारखंड में नक्सलवादी

गतिविधियां कम हुई हैं या नहीं। आप इस बात को मानना चाहते हैं तो मानिए। अगर नहीं मानना चाहते हैं, तो मत मानिए, लेकिन यह बात सही है कि इन गतिविधियों में बहुत कमी आई है। अभिजित बाबू भी साथ के क्षेत्र से हैं, आपको भी पता होगा। ब्लैक मनी टार्गेट हो सकता है, नक्सलवाद टार्गेट हो सकता है, लेकिन सरकार की नीतियों का प्रभाव पूरे देश पर अच्छा ही पड़ेगा। साहू जी, शायद छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो, मैं झारखंड के जिस एरिया से आता हूं, मैं अपने एरिया के बारे में बता सकता हूं। जैसे वी.डी. राम साहब हैं, वे स्वयं डीजीपी रहे हैं और नक्सलाइट को हराकर आए हैं। इससे पहले जेल में रहकर भी कोई सांसद बन गया था।

मेरा कहना है कि जब लेबर की पेमेंट डिजिटल होगी, उसकी पेंशन का पैसा कटेगा, तो निश्चित तौर पर हम यूनीवर्सल पेंशन स्कीम की तरफ बढ़ेंगे और भारत सरकार का यही टार्गेट है। आप जो बिल लाए हैं, उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसके लिए भारत सरकार की चिंता बढ़ी है। यह भी देखने की बात है कि इनफ्लेशन को कम किया जाए, ताकि लोग सेविंग्स की तरफ आकर्षित हों। यह देखने की बात है कि लोग पैसा क्यों जमा नहीं कर पाते हैं। कोई भी पेंशन स्कीम हो, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में काम करें या प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हों या अपना रोजगार कर रहे हों, चाहे आप सप्लाई का काम कर रहे हों या लेबर का काम कर रहे हों, सबसे बड़ी समस्या होती है कि घर चलाने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है, उतना पैसा तो रखना ही पड़ता है। आज भी ज्वायंट फैमली का कांसेप्ट है। माँ-बाप होने के नाते हमारा टार्गेट होता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। उन्हें अच्छे से दाल रोटी मिले। हम अपने माँ-बाप की सेवा करें, लेकिन यह भी सोचते हैं कि साठ साल की उम्र तक, जब तक कि हमारा शरीर कमजोर न हो, तब तक हमारे पास इतना पैसा हो कि हम मकान ले लें, हमारे पास गाड़ी हो और हम अच्छा खाना-पीना कर सकें।

जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इनफ्लेशन का रेट दस-ग्यारह प्रतिशत था। उस स्थिति में कभी प्याज का दाम बढ़ रहा था, कभी आलू का दाम बढ़ रहा था, कभी दालों का दाम बढ़ रहा था। अधीर जी, जब आप मंत्री थे, तो आप देखते होंगे कि प्रत्येक सैशन में भारतीय जनता पार्टी को प्राइज राइज के ऊपर कुछ न कुछ रेजोल्यूशन लाना पड़ता था, कभी 193 की चर्चा या कभी शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होता है। इनफ्लेशन कम करने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने की या यूनीवर्सल पेंशन स्कीम लाने की जरूरत पड़ी। इससे लोगों के पास पैसा बचेगा। पहले कोई चिट फंड कम्पनी पैसा लेती थी और कहती थी कि हम आपका पैसा पांच साल में दोगुना कर देंगे। हमने यह काम किया कि जन-धन एकाउंट के तौर पर गरीब से लेकर अमीर तक देश में कोई ऐसा परिवार नहीं है, जिसका हमने एकाउंट नहीं खोला हो। बैंक एकाउंट खुलने से लोग सेविंग्स की तरफ बढ़ेंगे। जब उनकी

सेविंग्स होगी, तब वह इनवेस्टमेंट की तरफ जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम में जाने के लिए इनफ्लेशन कंट्रोल करने की आवश्यकता थी और दूसरी यह आवश्यकता थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करें और लोग चिट फंड कम्पनी के चक्कर में न पड़ें और पैसा दोगुना करने के चक्कर में न पड़ें। इस वजह से भारत सरकार ने यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। जब डिजिटल इकोनोमी की तरफ हम बढ़ेंगे, सेविंग्स की तरफ हम बढ़ेंगे, तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि हमारा जो सपना है कि एक-एक आदमी को साठ साल की उम्र के बाद सोशल सिक्योरिटी का पैसा मिलता रहे, उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।

आप जो बिल लेकर आये हैं, भारत सरकार उसमें कितनी मदद कर सकती है, मैं कहता हूँ कि भारत सरकार और राज्य सरकारों का बजट कितना है, लगभग 125-130 करोड़ लोग हैं, यदि सभी राज्यों के बजट को मिला लें, तो इतना पैसा नहीं होता है। ऊँट के मुँह में जीरा के तौर पर हम लोग कहते हैं कि तुम्हें वृद्धावस्था पेंशन लेना है, दो सौ रुपये ले लो। दो सौ रुपये भारत सरकार देती है और दो सौ रुपये राज्य सरकार दे देती है। विधवा पेंशन में भी वही काम होता है। जब आप इस तरह से करेंगे, तो परिवार नहीं चलेगा। एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम आठ-दस हजार रुपये चाहिए। यदि सिर्फ अपनी जिन्दगी जीना है, तो आठ-दस हजार रुपये इसमें होना चाहिए।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) का जो कांसेप्ट इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, वह उसी की तरफ बढ़ रहा है और जब तक भारत सरकार यह काम नहीं करेगी, तब तक हम इन प्रावधानों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे।

इसके बाद है target policy towards increasing investor awareness. इसके लिए शायद प्रेमचन्द्रन जी थोड़ा डिसएग्री करेंगे। लेकिन यह पूरी दुनिया मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। वह बात समाप्त हो गयी कि बैंक में पैसे जमा कीजिए और बैंक आपको इंट्रेस्ट देगा। मान लीजिए कि इस देश में आपको इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, माननीय सभापति महोदय मैं इसके बाद आपकी ही तरफ आऊँगा, जब आप वित्त मंत्री थे, तो उस समय वर्ष 2004 में जब हमारी सरकार जा रही थी और उसने इस इकोनॉमी को जहाँ छोड़ा था, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम साहब ने इसी सदन में उस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया था, तो उसने कहा कि भारत सरकार ने यानी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक रोबस्ट इकोनॉमी छोड़ी है। उस वक्त जीडीपी ग्रोथ लगभग 8.1 पर्सेंट था। आठ पर्सेंट पर हमारी सरकार इकोनॉमी को छोड़कर गयी और जब इनकी सरकार इस देश की इकोनॉमी छोड़कर गयी तो उस समय जीडीपी ग्रोथ 4.5 पर्सेंट के आसपास था। कल भी चर्चा के दौरान जीडीपी ग्रोथ की बात हुई। आखिर इसका क्या कारण था?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Shri Nishikant Dubey ji, I thank you for yielding.

I thank him for supporting this Resolution. You may kindly see that we have started the discussion on this Resolution from December, 2015. It is a very important Resolution as far as lakhs of workers are concerned. Hon. Chairman is also well aware of what is happening on the trade union front. Today also lakhs of people are watching Lok Sabha Television Channel to know as to what would be the fate of this Resolution.

I would like to appreciate the Government's efforts. During the course of the discussion on this Resolution, two years of annual weightage has been given by the Government. We are thankful for the Government for having given the benefit of two years of weightage. Yesterday and the day before, so many news items have come in the newspapers regarding another very important issue which is also a part and parcel of this Resolution. That is those who could not opt for the pension in the actual salary and those who have gone to the court will be getting the benefit. Every individual who is going to the court will be getting the benefit that you can pay the arrears. After paying the arrears, you are entitled for full pension in proportion to the salary.

So many court verdicts have come. From Kerala also, so many writ petitions have been filed. … (*Interruptions*) The country wants to know as to what is the decision of the Government regarding this point. The Supreme Court has directed the Government to see that instead of going for individual cases, let a general order come. I hope and believe that the day before yesterday such an order has already been issued by the Government of India. I am thankful to the Government for it.

I would like to seek a clarification. If the hon. Minister could intervene and clarify my doubt with the permission of Shri Nishikant Dubey and if it comes to the public domain, definitely it will be well and good. To my knowledge, today the PF office is issuing an order because it is affecting lakhs of workers. That will

be beneficial to the workers. If you could kindly throw light on this issue, it would be well and good. If the hon. Minister could intervene, I would be thankful to him.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : The Minister would clarify at the end of the debate.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am only seeking a clarification.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Hon. senior Member, Shri Premachandran has raised this issue. The Government is also well aware of it. Regarding the pension, those who remitted the contribution to EPF, on full salary, above statutory ceiling, now they would get pension, even if they did not give the option before 2006.

Today itself, we would issue the order. All the EPF pensioners can avail the benefits.

श्री निशिकान्त दुबे : महोदय, श्री प्रेमचन्द्रन की समस्या यह है कि वे जिस तरफ बैठते हैं, उस तरफ अंगुली नहीं उठाते हैं। मैं उनके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस पार्लियामेन्ट में मेरा बिल इसी पेंशन पर डिस्कस हो चुका है। ये तीन हजार की बात कर रहे हैं। मेरा बिल पाँच हजार रुपये के लिए था। माननीय मोदी जी के प्रति पूरे देश को धन्यवाद देना चाहिए कि जिस आदमी को पहले 20, 25 या 50 रुपये तक पेंशन मिलती थी, उसे उन्होंने कम से कम 1 हजार रुपये कर दिया है। भारत सरकार को ओ.आर.ओ.पी. के लिए प्रत्येक साल 8-10 हजार करोड़ रुपया देना पड़ रहा है। माननीय मोदी जी ने पेंशन के लिए जो फार रीचिंग और बड़ा काम किया है, उसके लिए धन्यवाद देने के बजाए प्रेमचन्द्रन साहब मंत्री जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप यह समझिए कि इसकी शुरूआत कहाँ से हुई है। हम टार्गेट प्वाइंट पर दूसरी जगह जाएंगे।

महोदय, मैं इसी सदन में आपको फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी के 28 फरवरी, 2001 के भाषण के बारे में बताता हूँ। उस समय प्रहलाद सिंह पटेल साहब मंत्री थी और आप भी मंत्री थे। उन्होंने कहा था :- 'The Central Government pension liability has reached unsustainable proportion. As a percentage of GDP, it has risen – you were the Minister, Hon. Chairperson – from about 0.5 per cent in 1993-94 to one per cent in 2000-2001. As such, it envisages that those who enter Central Government services after October 1, 2001 would receive pension through a new pension

programme based on defined contribution in order to review the existing pension system and to provide a roadmap for the next step to be taken by the Central Government. I propose to constitute a high level expert committee which would gives its recommendations within three months.' वहाँ से इसकी शुरूआत हुई थी। उससे पहले किसी ने कुछ सोचा ही नहीं था। मैंने आपको बताया कि 1980-81 से एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यू.एस.ए., यू.के., यूरोप, जापान और सिंगापुर सभी देश अपने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के नागरिकों के बारे में सोचते हैं। वे अपने यहाँ की सेंट्रल और स्टेट गर्वन्मेंट के बारे में भी सोचते हैं, किंतु हमारे यहाँ ऐसी कोई सोच ही नहीं है। माननीय वाजपेयी जी की सरकार में बहुत बड़ा काम हुआ था। मैं श्री जसवंत सिंह जी द्वारा दी गई 28 फरवरी, 2003 की स्पीच के बारे में बता रहा हूँ and he said:

> "My predecessors in office in 2001 announced a roadmap for a restructured pension scheme for the new Central Government employees and a scheme for the general public. This scheme is now ready. It will apply only to new entrants to Government services except to the Armed Forces and upon finalization, offer a basket of pension choices. It will also be available on a voluntary basis to all employers for their employees as well as to the self-employed. This new pension system when introduced will be based on defined contribution shared equally in the case of Government employees between the Government and the employees.
>
> There will, of course, be no contribution from the Government in respect of individuals who are not Government employees. The new pension scheme will be portable, allowing transfer of the benefits in case of change of employment, and will go into 'individual pension accounts' with Pension Funds. The Ministry of Finance will oversee and supervise the Pension Funds through a new and independent Pension Fund Regulatory and Development Authority."

किसने सोचा, किसने इन सब चीजों को किया? हमारी सरकार ने इतना कुछ किया। मैंने अभी बताया कि हमने ओआरओपी में क्या किया, मिनीमम पेंशन के लिए क्या किया।

'Target/policy towards increasing investor awareness.' इंश्योरेंस को अब प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है। इससे पहले लोग एलआईसी की पॉलिसी लेते थे और उनके हिसाब से आपको चलना पड़ता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट लोगों के

लिए खोला गया। पहले एलआईसी का इंश्योरेंस सेक्टर पर सौ प्रतिशत कंट्रोल था, अब वह 70 परसेंट पर आ गया है। 30 परसेंट इंश्योरेंस का काम प्राइवेट कम्पनियां कर रही हैं। वह अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं, जिससे जनता को फायदा हो रहा है। कोई अगर एक लाख रुपये की पॉलिसी लेता है तो उसको 20, 25 या 30 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। इसी तरह से पेंशन फण्ड में पैसा डालने वालों को जब तक हम खुली छूट नहीं देंगे, जिस पर भारत सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है, जिसमें उसने पेंशन फण्ड का कुछ प्रतिशत निर्धारित कर दिया है जो गवर्नमेंट सिक्योरीटीज़, प्राइवेट में और शेयर मार्किट में जाएगा। जयंत सिन्हा साहब यहां बैठे हैं, उन्हीं के समय में एक विधेयक इंश्योरेंस के लिए लाया गया था। पेंशन को इंश्योरेंस के साथ जोड़ा गया है। हमारी सरकार ने यह किया है कि जो चीजें इंश्योरेंस में लागू होंगी, वही पेंशन में भी लागू होंगी, चाहे एफडीआई हो या कुछ और हो। इसके लिए बड़े सैटअप की आवश्यकता है। इसमें पार्लियामेंट के रोल को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी हम देश को बताने में सक्षम हो पाएंगे। जब तक पब्लिक का किसी पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी और इसके लिए जगह-जगह कैम्प लगाने की आवश्यकता है। पेंशन की आवश्यकता, पेंशन फण्ड की आवश्यकता के लिए अवेयरनेस जब तक नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है और उसके बाद ही यह लागू होगा।

'Developing adequate administrative infrastructure and effective distribution network.' कांग्रेस कहती है कि वह वेज बिल और मनरेगा को लेकर आए हैं। वह बहुत खुश होते हैं कि मनरेगा से लोगों को रोजगार मिल रहा है। संयोग से खड़गे साहब आ गए हैं। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वह मुझे डांटना शुरू कर देंगे। संसद सदस्य दिशा कमेटी के चेयरमैन और सदस्य हैं। क्या उसमें करप्शन नहीं है? मनरेगा में इतना करप्शन क्यों है, क्योंकि मिट्टी का काम है। अब एक पंचायत में कितना काम मिट्टी का हो सकता है? एक कहानी है, जिसमें राजा को लोगों को रोजगार देना था तो एक दीवार बनवाता था और उस दीवार को तुरन्त तोड़ देता था ताकि लैबर का काम चलता रहे। पूरा देश इस समय डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। गांवों में ऑप्टिकल फाइबर के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। पंचायत लेवल तक अवेयरनस पहुंचाने की आवश्यकता है। अवेयरनेस में उनको बताने की आवश्यकता है कि हम आप का काम करेंगे, आप इतना पैसा दें और उस हिसाब से भविय में, 60 साल के बाद आपको अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर निर्भर न होना पड़े। सर, यू.के. में एक बड़ी अच्छी बात चल रही है कि 60 साल के बाद लोगों के लिए एक पेंशन की स्कीम चल रही है। चूंकि मुझे प्रत्येस वर्ष जाने का मौका मिलता है तो मैंने देखा कि हालफिलहाल 8-10 सालों में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है कि कई बच्चे अपने मां-बाप के साथ रहते हैं। मैंने पूछा कि इसका क्या कारण है, क्या आप आज से 8-10 साल पहले अपने माँ-बाप के साथ नहीं रहते थे, अब साथ रह रहे हैं? इसका

कारण यह है कि जो युवा वर्ग है, वह बेरोजगार हो रहा है। वहां युवा बेरोजगार हो रहा है और सोशल सिक्योरिटी के तौर पर घर के बड़े-बुजुर्ग, माँ-बाप को पेंशल मिल रही है। वे लोग पेंशन के सहारे अपने जीवनयापन के लिए, अपनी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए फिर से ज्वाइंट फैमिली के कॉन्सैप्ट पर आ रहे हैं, और अपने माँ-बाप के साथ रह रहे हैं। इस तरह हम यदि उनको एक जिन्दगी देना चाहते हैं तो यह एक रास्ता है।

अंत में मैं यह कहूंगा कि जो टैक्सेशन है, कल टैक्सेशन पर बड़ी लम्बी-चौड़ी बातचीत हो गई कि डायरेक्ट टैक्स का क्या परसेंटेज है, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या परसेंटेज है। भारत में डायरेक्ट टैक्स और कम होना चाहिए, खासकर पेंशन स्कीम में भारत सरकार को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। यदि डायरेक्ट टैक्स कम नहीं होगा तो हम ज्वाइंट फैमिली कॉन्सैप्ट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम ज्वाइंट फैमिली कॉन्सैप्ट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे तो फिर जो हमारा टार्गेट है कि कोई भी व्यक्ति 60 साल के बाद भूखा, नंगा न सोए, आराम से जिन्दगी जिये, उसके लिए भारत सरकार को टैक्सेशन पॉलिसी में एक बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर सकते हैं।

सभापति महोदय, लगता है कि बहुत लोगों को अभी बात करनी है, डिसकस करना है। मैं केवल अंत में इतना ही कहूंगा :

"हाथों की लकीरों पर न जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते"

जो बूढ़े हैं, उनको भी जिन्दगी जीने का अधिकार है। उनके लिए भी भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, I am to inform that five hours time allotted for discussion on the Resolution is almost over. As there are six more hon. Members to take part in the discussion, we have to extend the time for further discussion on the Resolution.

If the House agrees, the time for the discussion of the Resolution may be extended by two hours. I think, everybody is agrees. We are extending two hours for this discussion. There are six more hon. Members to speak. आप यह समझिए कि हम रिजॉल्यूशन के डिसकसन का टाइम बढ़ा रहे हैं, हाउस का टाइम नहीं बढ़ा रहे हैं।

श्री निशिकान्त दुबे : सर, डिसकसन के लिए एक घण्टे का समय और बढ़ा दीजिए।

SEVERAL HON. MEMBERS: Agree, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Okay, the time is extended by two hours.

Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, अब तक निशिकांत दुबे जी का भाषण हम सब सुन रहे थे। कभी-कभी लगता था कि हिन्दुस्तान का कोई अन्य दूसरा मुद्दा निशिकांत दुबे जी हमारे लिए नहीं छोड़ेंगे। कहां हम लोग पेंशन के लिए रिजॉल्यूशन पर चर्चा करने के लिए आए हैं। निशिकांत दुबे जी ने मनरेगा से लेकर कालाधन और हिन्दुस्तान में जितने भी अन्य मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को इसमें जोड़ दिया।

मैं सिर्फ रिजॉल्यूशन के मद्देनजर एक ही बात करना चाहता हूं कि यह रिजॉल्यूशन जिसका नाम 'Welfare of employees provident fund pensioners', सरकार से मैं यह गुजारिश करूंगा।

<u>17.00 hours</u>

इस सदन में हर दिन हमें जिस तरीके के सुनहरे सपने दिखाये जा रहे हैं, उसे सामने रखकर मैं यह कहूंगा - 'सूरज की रोशनी हो, चांद की चांदनी हो, हमारे दोस्त श्री प्रेमचंद्रन जी जो बिल लाये हैं, इस बिल को मंजूरी हो।'

अगर इस बिल को मंजूरी मिल जायेगी तो हिंदुस्तान में करोड़ों लोग अपनी सुनहरी जिंदगी जी पायेंगे।

<u>17.01 hours</u> (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

Sir, the salient features of this Resolution are (1) restore the benefits of commutation and return of capital to the Employees Provident Fund Pensioners;

(2) provide pension to the beneficiaries of Employees Provident Fund pension on the basis of average salary of 12 months immediately preceding retirement; (3) ensure payment of full pension to pensioners as per Employees' Pension Scheme 1995 after realization of full amount of commuted pension from pensioners; (4) increase minimum pension to Rs. 3000 per month under the Employees' Pension Scheme, 1995; (5) implement welfare schemes for pensioners including housing scheme by utilizing the unclaimed provident fund amounting to about Rs. 27,000 crore; (6) revise the whole Employees' Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience and (7) extend Employees' Pension Scheme, 1995 to various other sectors.

Sir, all the features included in this Resolution are very much related to the interest of those people especially who are supposed to retire from their occupation and from their job at some point of time.

Sir, past may be a cancelled cheque but if we want to make our future as a promissory note, then we have to spend the fund and the resources at our disposal wisely. If we are able to spend the present wisely, then it could be translated into the welfare, into the betterment and into the well-being of our future generations.

Sir, it is a filial duty of all of us to take some responsibility upon our elder generations. It is absolutely true, and Dr. Harsha Vardhan Ji is also here, that the lifespan has been increasing because of medical facilities, because of our health consciousness and because of various medical infrastructure that we have had at our disposal now. We have been able to elongate the span of our life.

When we attained Independence, the span of our life was only 32 years. But now we are going to catch 70 years. So, in this House, from morning to evening, we have been pestered upon by the criticism made by the Treasury Benches that the Congress Party has done nothing. If the Congress Party, since Independence, has done nothing, then how has the span of our life been increased in such an exponential way? That needs to be answered.

When we attained Independence, we emerged from a devastated state of affairs. At that time our economy was recognised as a ship to mouth economy. At that time, the total food grains produced in India was to the tune of 52 million tonnes. Now it has been increased by 263 million tonnes. But to enhance or to increase our food grains, we had to undertake various measures, namely from Green Revolution to White Revolution to Blue Revolution, etc.

The Employees' Pension Scheme, 1995, came into effect from 16th November, 1995 replacing the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971 which, *inter alia,* provides superannuation, retirement and family pension. That means, the former incumbents of this Government had not only considered but also they had formulated the policy given the future dynamics of our life. Accordingly, they formulated these kinds of policies. But yes, at that time the resources were not available as it is today.

Therefore, we had to adopt a long odyssey since the day of Independence. On the day of Independence we got the freedom. That was the political emancipation but we had to follow the path for economic emancipation and that was followed. We had been following it and we had been pursuing it till now.

Nobody can say that yes, we had achieved all our desired results. No, because it is a continuous process and we have to accept this continuous process premised on the available resources of our country.

I would like to quote a few words:

> "Before you speak, listen; before you write, think; before you spend, earn; before you invest, investigate; before you criticize, wait; before you pray, forgive; before you quit, try; before you retire, save; before you die, give."

Sir, I have quoted that before you retire, save. If we are not able to save something for our future, then we will land our future in jeopardy. To this end, in keeping with that view, savings scheme, provident fund scheme and pension scheme were conceptualized and conceived.

Sir, cessation of work is not accompanied by cessation of expenses. That is why, the society should not feel that our elder generation is our burden; rather we ought to translate our elder generation into our asset because the elder generation, by dint of experiences, by dint of knowledge, can radiate the society around them. So, I think, we should consider our elder generation as our asset.

निशिकान्त जी बोल रहे थे कि हमारा जॉइंट फैमिली का कान्सेप्ट खत्म हो चुका है। यह सही बात है। आज हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गये हैं। हम सब अपने-अपने धन्धे के लिए दौड़ते रहते हैं। अपने-अपने धन्धे के लिए दौड़ते-दौड़ते घर में दूसरा कोई है या नहीं, हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, हमें अपने बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें ध्यान देने का समय नहीं मिलता है। इसके चलते समाज में एक विामता पैदा होती है।

Sir, the population of elderly would increase by whopping 270 per cent by 2050. It is true that the Provident Fund Scheme has remained popular among the workers of the formal sector. The 67^{th} NSSO survey states that 72 per cent of the workforce in the informal sector is not eligible for any social security scheme. I am personally concerned for workers in the unorganized sector because, as we know, only seven per cent of our workforce are engaged in the organized sector and the rest 93 per cent remain in the unorganized sector. The workers, who belong to the unorganized sector, do not have any viable social security scheme. That is why, the focus should be on the workers of unorganized sector, that is, the informal sector.

Therefore, I would urge upon the Government that the need of the hour is to relook and revisit the social security scheme so as to extend it to 93 per cent of the workforce which is not confined to the organized sector.

The Universal Declaration of Human Rights, 1948 propounds that the right to social security of every human being is to be acknowledged. Social security of every human being is recognised by Article 22 of the Universal Declaration of Human Rights, 1948.

The constitutional history of social security in India reminds us about the contribution of Shri. B. N. Rau, Constitutional Advisor to the Constituent

Assembly. The draft Constitution prepared by him included the right to work; right to education; right to maintain in old age and during sickness or loss of capacity to work; and right to rest and leisure under the head Fundamental Principles of State Policy, which later got converted into Directive Principles of State Policy. Though the enforceability is lost in the conversion, the scheme of social protection stood out in Articles 41, 42 and 43, and in Item Nos. 23 and 24 of the Concurrent List in the Constitution.

It is on this strong fundamental floor that the social security measures such as insurance, provident fund, old-age pensions, workmen compensation, etc. have been provided through various statutory measures. India is a welfare state and that is why the welfare state accepts the fact that social justice is the *sine qua non* and it is imperative for social and economic development of a nation. Lack of social protection invites risks of poverty and economic insecurity.

The Constitution-makers had understood the importance of social security in fostering social and economic development for long-term advantages such as access to health care, other social services and increasing human capabilities for better utilization in employment opportunities. This ensures productive relationships, decent work and inclusive growth as welfare state promotes.

The Social Security Minimum Standards Convention 1952 of ILO states that costs of benefits shall be borne out of collective contributions or taxes avoiding hardship to poor workers or classes of persons protected - Article (71.1). It is against this principle that the State is planning to impose tax on the post-retire savings of the workers, which would go against the social justice scheme in the Constitution.

It is well recognized by the Constitution and statutes that social protection is a basic human right for a decent living, and it enhances social development by reducing poverty exclusion and inequality, and promotes economic development of balancing income security and increasing human productivity. Therefore, the security, which we are talking about, namely, the social security, is acknowledged

by ILO; Universal Declaration of UN and our Constitution. So, there should not be any dispute for delivering the social security measures adequately to the concerned population of our country.

सर, हर दिन बाज़ार में चीज़ों के भाव बढ़ते हैं। यह सरकार कह रही है कि हमने एक हजार रुपये दे दिए हैं। एक हजार रुपये में एक आदमी को दो वक्त की रोटी खाना आसान नहीं होता है।...(व्यवधान) इसलिए मैं इस सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि ठीक से सोचे और ठोस कदम उठाए ।...(व्यवधान) हम लोगों ने दिया है, यह बात आप लोग बोलते हैं। आप लोगों के दिमाग में प्रॉविडेंट फंड की बात आई है, अगर हम लोग नहीं देते, आप लोगों के इंश्योरेंस नहीं समझते, प्रॉविडेंट फंड नहीं समझते, सोशल सिक्योरिटी नहीं समझते...(व्यवधान) हम लोग ने जो सोचा था, उसी को उधार लेकर,...(व्यवधान) श्री निशिकान्त दुबे जी यहां पर बहुत सारे भाषण दिए है। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन, टैक्स वगैरह-वगैरह के बारे में अभी कहा है। हम लोग अभी भी कहते हैं और आप कान खोल कर सुन लीजिए। यह आप लोगों की सोच है कि हमने यूपी को जीत लिया है। इसका मतलब है कि आपको डिमोनेटाइजेशन के लिए इन फेवर रिफ्रेंडम मिल चुका है, यह बात नहीं है; क्योंकि यूपी में 60 फीसदी लोग आपके खिलाफ वोट दिए हैं...(व्यवधान) यूपी में आपके खिलाफ 60 फीसदी लोग वोट डाले हैं।...(व्यवधान) मान लीजिए,...(व्यवधान) सुनिए, अगर आप यूपी के चुनाव को इस तरीके से सोच रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के लिए एक रेफ्रेंडम है, हम लोग यूपी में चुनाव जीत चुके हैं, इसका मतलब यह हुआ कि डिमोनेटाइजेशन सही है। आपकी यह सोच गलत है, क्योंकि 60 फीसदी लोग आपके खिलाफ वोट डाले हैं...(व्यवधान)

सर, इस सदन में एक प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने उत्तर दिया था "The Pension Fund Regulatory and Development Authority is administering and regulating the following Social Security Scheme to the pension sector, namely, Swavalamban. ...(व्यवधान) श्री निशिकान्त दुबे जी आपके जमाने में शायद स्वावलंबन नहीं बना था...(व्यवधान) यह कांग्रेस के जमाने में यूपीए की सरकार ने तय किया था और हम लोग इसी सदन में अन-अर्गनाइज्ड सेक्टर सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी लाए थे। मैं आप लोगों को थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने ही अन-अर्गनाइज्ड सेक्टर लेबर सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाए थे, इसको श्री निशिकान्त दुबे जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह स्वावलंबन स्कीम किसने लाया है, इसको भी श्री दुबे जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज वह नहीं कहेंगे...(व्यवधान) अटल पेंशन योजना जरूर लाए हैं। आप लोग जो सही काम कर रहे हैं, मैं उसका सराहना जरूर करूंगा, लेकिन यह नहीं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। ढाई साल में आपने सारे हिन्दुस्तान को बदल दिया है, आप यह सोच हटा दीजिए। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारा

नसीब अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। यह बात सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हिन्दुस्तान के आम लोगों का नसीब सुधर गया है।...(व्यवधान) जिंदगी में कभी-कभी ऐसा होता है, हम लोग इससे नहीं डरते हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, Swavalamban is a contributory pension scheme and the pension amount is payable depending upon the amount of pension corpus and type of annuity opted. Atal Pension Yojana is a guaranteed scheme by the Government of India. The subscribers under this Scheme are the majority in the phase of accumulation and yet to reach the stage of 60 years so as to draw pension. As on date, there are subscribers in this Scheme and no one is drawing pension in this Scheme.

Our esteemed colleague, Shri N.K. Premachandran, is pondering over this issue for long and each of us should appreciate him. If this Government is magnanimous enough and accepts the proposal of Shri Premachandran, which he has brought in the form of a Resolution, the common people of our country will see a new morning and new bright day in their lives. The Government is pleading day in, day out, "*Sabka Saath, Sabka Vikas*". If this "*Sabka Saath, Sabka Vikas*" is the tenet of this Government, then, without any hesitation or without any reservation, they should pass the Resolution today itself, if they have that kind of courage, integrity, guts and gumption.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to this particular point. During your intervention, you have referred to the EPFO. The Standing Committee says that the total active membership of EPFO was 3.8 crores which almost remained the same during the last four years. The Central Provident Fund Commissioner has submitted that in the year 2010, the number of active members was 2.81 crore which had increased to 3.8 crore as on 31.3.2015. As per the statistics of the Labour Bureau, about 12 million people join the jobseekers' queue every year. The Ministry, in their deposition before the Committee, also admitted that around one crore people get added to the employable workforce every year. In

the given circumstances, if 50,000 people get jobs each year, then there would have been a corresponding increase in the number of active membership. The Committee feels that there is approximately the same number of workers, that is, around three crore workers who are entitled but are yet to be covered by the EPFO. The Committee recommended that EPFO, ESIC and CLC (C) office may coordinate and reconcile their figures so that at least the number of workers registered with each organization may be covered under EPFO/ ESIC, wherever applicable.

This is for your kind attention. In spite of all the big promises, it is distinctly clear that the growth of labour and the inclusion of labour into your inclusive mechanism has not seen the light of day. The Committee also finds that ESIC is extending coverage on an experimental basis to some of the unorganized sector workers, building workers, auto-rickshaw drivers, domestic workers, anganwadi and workers involved in Mid-Day Meal Scheme on a contribution of Rs. 250 per month in which four family members would be covered. The benefits would be the same as are made available to the IPs.

Sir, I am hailing from a District, Murshidabad, which is recognized as having the largest number of beedi workers in our country. Those beedi workers are the victims of exploitation, and the exploitation has been perpetrated by the manufacturers. They do not have the basic necessities of life. They are working for 18 to 20 hours a day. The Government is collecting cess and provident fund from the industry, but I am sure that those funds are not being spent on the welfare of those poor beedi workers. So, I would request the hon. Minister to take note of it and do the needful.

Here also, in this Resolution, my friend Shri Premachandranji has proposed that the unclaimed funds should be restored. It has been stated here about the amount of the unclaimed fund. There are nearly Rs.42,000 crore lying in inoperative account. But, the EPF Board Trustee said that Rs.27,000 crore could be transferred to the Senior Citizens' Welfare Fund. … (*Interruptions*) The trade

union leaders told the Minister that the notification was not legally tenable and would not stand long in the Supreme Court. They said that it was inappropriate for the Government to take away unclaimed fund for funding their welfare schemes. Here, there is a dispute. It is true that the unclaimed fund of Rs.42,000 crore or Rs.27,000 are lying idle. In the Resolution, the proposal is that the unclaimed fund could be transferred into the Senior Citizens' Welfare Fund. It is a noble suggestion. It is because if that huge amount is lying idle, it becomes unproductive. To make it productive, the Government should ponder over it. But the opposition of this concept says that if anyone ever claims the fund that has been deposited by their predecessors, then what shall be the fate of that fund. I would request the Minister to come forward and enlighten us as to what the opinion of this Government is.

In so far as Senior Citizens' Welfare Fund is concerned, there is no denying the fact that it is a laudable step. Another proposal of this Resolution is that instead of sixty months, the calculation of pension will take into account the preceding 12 months of the salaries before passing this Resolution. Day by day, in view of inflation, in view of the cost of living, I think, this proposal that has been made in this Resolution, is an appropriate one. The Government should think of it. The Government should come forward pre-eminently and proactively to make it a reality. I would also draw the attention of the Minister that a major component of the Budget allocation this year Rs.4771 crore has been provisioned for Employees' Pension Scheme.

However, the Secretary of Ministry of Labour and Employment in her deposition before the Committee stated that the allocation is insufficient as there is arrears of about Rs.6,942 crore payable to EPFO from the Government side. The Committee apprehend that the calculation made for EPS arrears requires a relook since they feel that the calculation must have been done for all the EPF subscribers irrespective of operational and dead accounts. Besides, there is every possibility of cases where no claims would be filed by a few subscribers. Therefore, they desire

that the details of calculation be redone in a realistic fashion and subsequently be furnished to the Committee before a recommendation to the Government for release of funds, therefore, could accordingly be considered by this Government.

As regards ESIC, I draw the attention of the Minister, the Committee note their achievements in the year 2016-17 which include revision of wage ceiling from Rs.15,000 per month to Rs.21,000 per month with effect from 1-1-2017 and enhancement in per IP medical expenditure ceiling from Rs.2,150 to Rs.3,000 per annum with effect from 1-4-2017. The Committee strongly recommend that the Ministry and ESIC should adopt a time-bound programme to ensure coverage of all legally entitled yet uncovered workers under ESIC scheme. The Committee have also noted that a new infrastructure in terms of hospitals, dispensaries is being planned to be rolled out in financial year 2017-18.

Sir, I would like to ask the hon. Minister, Dattatreya-ji whether the Government is going to invest the Provident Fund money in stock market or in any other such investment arena. If so, let him please give us the details. There is a concern that the Government has been going on investing the Provident Fund in the share market or any other instrument which may ultimately affect the Provident Fund situation. That is why the Government should come clear with its opinion.

Sir, I again appreciate, not just appreciate but appreciate lavishly my esteemed colleague Premachandran-ji who has taken pain to bring this Resolution for the welfare of the common people of our country. I would urge upon this Government including all the Members of this House that we should make an example by supporting, by approving each and every provision of this Resolution without any hesitation.

Sir, with these words, I conclude my speech. Thank you.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए संकल्प कर्मचारियों के भविष्य निधि से पेंशन भोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के संबंध में अपने विचार और संकल्प प्रस्तुत किए हैं। मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने मुख्य रूप से दो बातें रखी हैं। उनका कहना है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम , 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन स्कीम को बढ़ाकर 3000 रुपये करना और 27,000 करोड़ रुपये की अदावाकृत की भविष्य निधि की राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए आवास योजना सहित अन्य लाभार्थ की योजनाएं बनाना, ऐसा उनका विचार है। वास्तव में यह विचार बहुत अच्छा है। किसी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में आर्थिक सुरक्षा का बड़ा महत्व होता है।

हिंदुस्तान ऐसा देश हैं जहां शुरुआत से संयुक्त परिवार की मान्यता रही है। संयुक्त परिवार में रहते हुए आर्थिक असुरक्षा की भावना नहीं आती थी, लेकिन धीरे-धीरे बदलाव हुआ और आज जो परिस्थितियां हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षा प्राप्त करना बड़ा मुद्दा बन गया है।

महोदय, आजादी के समय से योजनाबद्ध तरीके से विकास नहीं हो रहा था। जब देश आजाद हुआ, उस समय हमारे संगठन ने एक राजनैतिक दल के रूप में पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। भारतीय जनसंघ की स्पष्ट अवधारणा थी, जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर आधारित थी कि इस देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को जब तक शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, जेब में पैसा, सम्मान और सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हमारा और हमारी सरकारों का काम समाप्त नहीं होगा। निश्चित रूप से ये बातें हुई हैं। माननीय सदस्य ने जो बिल प्रस्तुत किया है, इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मानने योग्य हैं। कई बातें ऐसी हैं जिन पर हमारी सरकार पहले से ही काम कर रही है।

महोदय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की अवधारणा दी, जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। चाहे माननीय अटल जी की सरकार रही हो या अभी माननीय नरेन्द्र मोदी जी सरकार हो, ऐसे लोग जो पिछड़ गए हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, ऐसे वर्गों को कैसे समाज की मुख्यधारा में लाएं, सरकार को इसकी चिंता है। यह सामाजिक सिद्धांत है कि जो लोग सामाजिक, शारीरिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं, वे विकास के प्रवाह में अपने हिस्से का विकास प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इस कारण वे पिछड़ते हुए चले जाते हैं। यह इस देश में ऐसा ही हुआ है। इस देश में 40 प्रतिशत से अधिक आबादी ऐसे लोगों की है, जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां लोग जंगलों में रहते हैं। जहां से स्कूल और अस्पताल की दूरी 25 से 30 किलोमीटर है। ऐसी

स्थिति में देश में सब लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली हैं। उनके हिस्से का विकास का लाभ उन लोगों ने उठाया, जो मजबूत थे, ताकतवर थे।

महोदय, अभी अधीर रंजन जी विमुद्रीकरण की बात कह रहे थे। पूरे देश में विमुद्रीकरण की चर्चा चाहे हमारी पार्टी ने की हो या विरोधी पार्टी ने अपने तरीके से की हो, लगातार 8 नवंबर के बाद से चर्चा चल रही है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोच शुरु से स्पष्ट थी। हमारी सोच थी कि हम इस देश के सभी लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाएं। पहला कार्यक्रम जन-धन योजना के माध्यम से हुआ। जन-धन योजना के माध्यम वे लोग, जो विकास के प्रवाह में पीछे छूट गए थे, उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया। लोगों को सिस्टम में लाने के लिए जन-धन योजना के माध्यम से बैंक एकाउंट खुलवाने शुरु किए, जिसकी संख्या 21 करोड़ तक पहुंची यानी 21 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खुले। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि जो बहुत बड़ा तबका इस देश में काफी पीछे छूट गया था, उसे मुख्यधारा में लाने का काम किया।

महोदय, कैश जीडीपी के तीन गुना से अधिक हो गया था। जब तीन गुना से अधिक कैश होता है तो इसका मतलब होता है कि अतिरिक्त कैश बाजार में है। जब बाजार में अधिक रुपया होता है, तो उसका दुष्प्रभाव होता है कि कालाधन बढ़ता है और गलत तरीके से उस धन का प्रयोग होने के कारण देश को जो टैक्स प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। विमुद्रीकरण का फायदा यह हुआ कि सारा पैसा, जो अतिरिक्त था, वह आ गया और अब जितनी आवश्यकता बाजार में है, उस पैसे को भारत सरकार ला रही है। ऐसे लोग जो इस सिस्टम से बाहर निकल गए थे, जो बैंक के माध्यम से अपना कामकाज न करके, लिखा-पढ़ी न करके, लेजर के माध्यम से कामकाज न करके केवल कैश का लेन देन कर रहे थे, उनके ऊपर एक पाबंदी लगी, इस कारण वे लोग भी सिस्टम में आ गए। जो लोग ऊपर निकल गये, उन्हें नीचे लाने और जो नीचे थे, उन्हें ऊपर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, जो देश को आने वाले समय में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का बहुत बड़ा कारण बनेगा।

अभी हमारे बहुत सारे साथी यहां पर बात कर रहे थे। मैं बहुत लंबी राजनीतिक बात नही करूंगा और न ही मैं किसी राजनीतिक दल की आलोचना कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से यदि इस देश का इतिहास लिखा जायेगा, तो वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक का समय बहुत खराब रहा है। उस दस साल में देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यहां की सीमाएं असुरिक्षत हुईं, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हुई, महंगाई और भ्रटाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और उसके कारण पूरी दुनिया में भारत का सम्मान घटा। इसका परिणाम यह हुआ कि इस देश के लोग हताश और निराश हो गये।

जब वर्ष 2014 का चुनाव आया तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत उम्मीदों से मतदान किया। उन्हें यह उम्मीद थी कि अगर इस राजनीतिक दल की सरकार देश में आयेगी, तो निश्चित रूप से बहुत सारे परिवर्तन होंगे। मैं यह कह सकता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन तीन सालों में बहुत सारे ऐसे काम किये हैं, जिससे इस देश के लोगों का विश्वास और भरोसा न केवल लोकतांत्रिक पद्धति की तरफ बढ़ा है, बल्कि नेताओं और राजनीतिक दलों पर भी विश्वास कायम हुआ है। इसी का परिणाम है कि आज लोग सरकार की तरफ बहुत उम्मीदों के साथ देख रहे हैं।

जब हमारी सरकार बनी, तब उसने तय किया कि ऐसे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग, जो 67 साल की आजादी के बाद भी अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाये हैं, उन्हें हमारी सरकार ने पहले नम्बर पर लिया। हमारी पहली प्राथमिकता वह हुई। हम गरीब लोगों को कैसे आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करायें, इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। यह उस समय संभव था। हमने जन-धन खातों के माध्यम से उनका एक्सीडेंटल बीमा करने का काम किया। हम प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेकर आये, जो केवल 12 रुपये में थी। यह एक सांकेतिक बीमा था, लेकिन इससे वह गरीब आदमी, जिसके घर में इस तरह की घटना हो जाये, यानी मृत्यु हो जाये तो उसे दो लाख रुपये का बीमा मिले। यह उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी सुविधा और मदद होती। हमारी सरकार ने इसे शुरूआती दौर, यानी तीन महीने में ही इसे लागू किया। इसी तरह सरकार प्रधान मंत्री बीमा योजना लायी, जिसमें 330 रुपये एक महीने में जमा करने पड़ते हैं। वहीं पर अटल पैंशन योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के लोगों, जिनके पास बीमा की कोई सुविधा नहीं थी, उन्हें यह सुविधा दी गयी। अब किसी व्यक्ति की 60 साल की उम्र हो जाती है, निश्चित रूप से यह मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक मे जो आता है, वह जाता है। उस समय उसका शरीर भी कमजोर होता है और जब शरीर कमजोर होने लगता है तो काम करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन काम भले ही बंद हो जाये, लेकिन जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक उसकी आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की भी जरूरत होती है। ऐसे समय में आदमी को छोटी से छोटी रकम भी बहुत बड़ी लगती है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने असंगठित क्षेत्रों में ऐसे लोगों, जो कोई काम काज नहीं करते, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उनके लिए भी उन्होने अटल पैंशन योजना चलायी। आज उसमें काफी लोगों ने इनरोलमेंट कराया है। इससे उन्हें एक हजार रुपये से पांच हजार रुपये प्रति माह तक पैंशन मिलने की उम्मीद बन गयी है। हमारी सरकार निरंतर ऐसे काम कर रही है। हम आज देखते हैं कि 500 रुपये की पैंशन के लिए ब्लाक, तहसील में जाते हैं। वे वहां दलालों की चगुल में आ जाते हैं और घूस देते हैं, उलटी-सीधी घोषणाएं करते हैं। ऐसे समय में आदरणीय एन.के. प्रेमचंदन जी ने 3 हजार रुपये न्यूनतम बीमा देने की बात कही है, उसमें

भी हमारी सरकार ने चिंतन किया और केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जो 29.4.2015 को हुई, उसमें उन्होंने अध्याधीन कर्मचारी पैंशन योजना, 1995 के अंतर्गत प्रति माह एक हजार रुपये की न्यूनतम पैंशन को जारी रखने का अनुमोदन कर दिया।

स्पट रूप से यह हमारी सरकार की अवधारणा को दिखाता है कि हमारी सरकार चिन्तित है कि सभी लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित हों, उनके लिए काम करने का निरंतर प्रयास हमारी सरकार कर रही है। एक बड़ा मुद्दा यह है कि इस समय असंगठित क्षेत्र के लोगों के साथ ही, संगठित क्षेत्र में भी अपनी ही भविय निधि से पैसा निकालने के लिए लोगों को घूस देनी पड़ती थी, लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और समय पर उनको पेंशन नहीं मिलती थी। अभी मैं सेंट्रल हॉल से जा रहा था तो मेरी कुछ कर्मचारियों से बात हुई थी। उनके संज्ञान में था कि आज ऐसा एक बिल आने वाला है, वे आपस में ही चर्चा कर रहे थे। वहां पर एक महिला कर्मचारी थी, उनकी माताजी को पेंशन मिलती थी। पहले उनके पिताजी को पेंशन मिलती थी। उनके पिताजी की मृत्यु हो गयी, लगभग दो वर्ष का समय हो गया, लेकिन उनकी पेंशन फिर से शुरू नहीं हो पाई। रेलवे एक बहुत बड़ा विभाग है, वहां पर भी पेंशन से संबंधित बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इन चीजों को अगर दूर करेंगे तो आने वाले समय में जो लोग अपने को आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं, उनका भरोसा निरंतर भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ बढ़ रहा है, वह और बढ़ेगा।

हमारी सरकार ने पेंशन योजना के संबंध में बहुत से उपाय भी किए हैं। मंत्री जी जवाब देते समय बहुत सी जानकारियां देंगे, लेकिन मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि एक विशेष एकीकरण अभियान - एक कर्मचारी, एक ईपीएफ खाता, हमारी सरकार ने प्रारम्भ किया है। इसके बाद अगर कोई कर्मचारी कई जगहों पर काम करता है, उसे बार-बार यह सूचना नहीं देनी होगी कि मुझे मेरे इस एकाउण्ट से पैसे चाहिए। वे सारी व्यववस्थाएं होने के बाद जब उसे एक नम्बर एलॉट हो जाएगा, वह नम्बर उसके खाते से जुड़ जाएगा तो उसको सभी जगहों का रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा। अभी उन्हें अपने ईपीएफ खाते की नवीनतम जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी ई-पासबुक या मैसेज के द्वारा जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही, कर्मचारियों के हितों के खिलाफ जो बातें होती थीं, हमारी सरकार उनको रोकने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से पिछले 70 साल में जो सरकारें रहीं, अगर उन्होंने ठीक ढंग से काम किया होता तो आज देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। 70 साल की आजादी के बाद भी लोग आज शिक्षा के लिए संर्घा कर रहे हैं, सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं कई जगहों पर मैं देखता हूं कि अगर गांव का बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया है तो उसे फिर से लगाने के लिए लोगों को सड़क जाम करनी पड़ती है। मैं उत्तर

प्रदेश की बात कर रहा हूं, वहां अभी हमारी सरकार बनने से परिस्थितियां बदल गयी हैं। थोड़े समय पहले वहां अगर किसी की हत्या हो जाती थी तो लाश को जब वे सड़क पर रखते थे, तब उसकी एफआईआर दर्ज की जाती थी। अगर 70 साल की आजादी के बाद देश में ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने बड़े समय तक इस देश पर शासन किया है, वे निश्चित रूप से दोषी हैं, उनको अपनी समालोचना करनी चाहिए। अपने कार्यों पर चिन्तन करके, हमारी सरकार इस समय जो सकारात्मक काम कर रही है, उसके समर्थन में खड़े होना चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए।

जहां तक पीएफ एवं पेंशन की बात है, आदरणीय प्रेमचन्द्रन जी ने जो बातें रखी हैं, उनमें से एक बड़ी चीज भारत सरकार करने जा रही है। उन्होंने 27,000 करोड़ रुपये की बात की थी, आवास के लिए उस धनराशि का उपयोग किया जाए। हमारी सरकार ने यह प्रावधान कर दिया है कि आप अपने पीएफ को गिरवी रखकर, सस्ते मकान की सुविधा ले सकते हैं और पीएफ के द्वारा मकान ऋण की किस्त देने का भी काम कर सकते हैं। यह एक बड़ी मदद कर्मचारियों के लिए होगी। साथ ही, सरकार ने अगस्त, 2015 में ईटीएफ में निवेश का सिस्टम शुरू किया था। जून, 2016 तक 7468 करोड़ रुपये का निवेश इस फण्ड से किया गया था, जिसमें 30 जून, 2016 तक 7.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। निश्चित रूप से ये ऐसी कुछ चीजें हैं, जिनकी मदद से इस सरकार ने ऐसे प्रयास किए हैं कि कर्मचारियों की भविष्य निधि से जो पैसा काटा जाता है, वह पैसा सुरक्षित रहे, वह पैस बढ़ता रहे और उसके साथ-साथ जब उनको, भविष्य की किसी योजना के लिए या मकान बनाने के लिए या बीमारी के लिए या किसी अन्य काम के लिए जरूरत हो तो वे उस धन का उपयोग कर सकते हैं।

निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। माननीय मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, प्रेमचन्द्रन जी भी हैं। मैं प्रेमचन्द्रन जी को अपनी सरकार की तरफ से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी तो चिन्ताएं वाजिब हैं, लेकिन उन चिंताओं को आपने यहां पर उठाया, यह आपका हक और अधिकार था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही इस पर चिंतन कर रही है। जैसा मैंने शुरू में कहा, यह चिंतन हमारी सराकर ने आज प्रारम्भ नहीं किया, यह 1951 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मानववाद का जो सिद्धान्त दिया था, उसमें ही आर्थिक सुरक्षा लोगों को प्राप्त हो, सभी लोगों को शिक्षा मिले, सभी लोगों को चिकित्सा मिले, सबके पास रोजगार हो, सबकी जेब में पैसा हो, ऐसी अवधारणा लेकर भाजपा की सरकार काम कर रही है। उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद जो लोग हताश थे, 2014 का समय आपने देखा है। आप बहुत ही विद्वान सांसद हैं। आपने देखा है कि 2014 के समय में इस देश की कैसी परिस्थितियां थीं। लोग हताश हो गये थे। लोगों को लगने लगा था कि यह देश

बचेगा या नहीं बचेगा। लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों से उठने लगा था। उसका परिणाम था कि लोगों ने भाजपा के पक्ष में जब मतदान किया, हमारी सरकार ने पहले दिन ही यह तय कर लिया था कि इस देश की जो कमजोरियां हैं, जो 70 सालों से समस्याएं दूर नहीं हुई हैं, उन समस्याओं को दूर करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने पहला भाषण सांसदों के साथ दिया था तो उन्होंने कहा था कि हमको पहला काम यह करना है, हमें चिन्हित करना है कि हमारे देश की क्या क्या कमजोरियां हैं। उन कमजोरियों को दूर करके इस देश को सम्मान की स्थिति में ले जाना है। आज मैं कह सकता हूं कि भाजपा की सरकार ने चिह्नित किया कि इस देश में महिलाओं को जितना सम्मान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है। आधी आबादी महिलाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को बनाया। उन कार्यक्रमों को बनाने की स्थिति यह है कि इन तीन सालों के बाद हमारे देश की बहनें, माताएं, महिलाएं सम्मान पूर्वक यह कह सकती हैं कि भाजपा की सरकार ने तीन सालों में उस दृश्य को बदलने का काम किया है और आज हम महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं। आज चाहे उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, इनके माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ किसान इस देश की मूलभूत आवश्यकता थी, हमने यह तय किया कि इस देश में 70 प्रतिशत लोग खेती से जुड़े थे। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक यह देश मजबूत नहीं होगा। यह हमारी अवधारणा थी और उसके लिए हमारी सरकार ने पहले दिन से ही काम प्रारम्भ किया।

हम एक लक्ष्य को लेकर चले हैं कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगुना करेंगे। हमने उसके लिए एक रोडमैप बनाया। रोडमैप बनाकर किसानों को सस्ते दर पर हम ऋण उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। उनको खाद और बीज समय से उपलब्ध हो, खेती समय से बोई जाए और उसके बाद फसल बोने के बाद भी अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें फसल का नुकसान होता है, हमारी सरकार फसल बीमा योजना लेकर आई है। फसल बीमा योजना के माध्यम से हमने यह प्रयास किया है कि किसान फसल बोने से अगर चूक भी जाता है तब भी हम उसको मुआवजा देंगे। यदि फसल बो दी जाती है, फसल रहते समय अगर कुछ नुकसान होता है, तब भी हम उसका मुआवजा देंगे। ऐसी परिस्थितियों में भी जबकि ऐसी स्थिति हो कि फसल कट जाए और कटने के लिए बाजार में जाने के लिए तैयार हो, उसके बाद भी अगर 14 दिन के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि फसल का नुकसान होता है तो भी हम फसल का मुआवजा देंगे। उसके साथ-साथ फसल का पूरा दाम मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार ने ई-बाजार की अवधारणा बनाई। राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है।

18.00 hours

ढाई सौ से ज्यादा कृषि मंडियों को हमने ई-बाजार से जोड़ दिया है और 31 मार्च, 2018 तक 598 कृषि मंडियों को हम ई-बाजार से जोड़ देंगे। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उन्हें फसल का पूरा दाम मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से करते रहेंगे।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Friday, the 24^{th} March, 2017 at 11.00 a.m.

18.01 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 24, 2017/Chaitra 3, 1939 (Saka).